सत्यमेव जयते

वित्त लेखे

2020-21

खण्ड-I

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त लेखे

खण्ड-I

2020-21

छत्तीसगढ़ शासन

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ
	खण्ड–I	
	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	iii-v
	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	vii-xiv
1.	वित्तीय स्थिति का विवरण	2–3
2.	प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण	4–6
	विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक–रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	7–13
3.	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण	14–16
4.	समेकित निधि में व्यय का विवरण	
	कार्यात्मक व्यय	17–20
	व्यय का स्वरूप	21–23
5.	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण	24–27
6.	उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण	28–31
7.	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण	32–36
8	वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों के अंशपूंजी तथा ऋण पत्रों में सरकार के निवेशों का तुलनात्मक सार	37
9.	सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण	38
10.	सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण	39–40
11.	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण	41
12.	वर्ष 2020–21 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण	42–47
13.	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश	48–49
	लेखाओं के लिए टिप्पणियॉ	50–65
	अनुलग्नक– (क) आवधिक/अन्य समायोजनों का विवरण	66–67
	(ख) (i) पूंजीगत अनुभाग के दर्ज सहायता अनुदान का विवरण	68
	(ख) (ii) पूंजीगत अनुभाग में दर्ज कार्यालय व्यय का विवरण	69
	(ख) (iii) पूंजीगत अनुभाग में दर्ज व्यवसायिक सेवा का विवरण	70
	(ग) लघुशीर्ष–800 'अन्य व्यय' के अन्तर्गत दर्ज व्यय का मुख्य शीर्षवार विवरण	71
	(घ) लघुशीर्ष–800 'अन्य प्राप्तियों' के अन्तर्गत दर्ज प्राप्तियों का मुख्य शीर्षवार विवरण	72
	(ङ) विभागों जिनके उपयोगिता प्रमाण पत्रों सर्वाधिक लंबित है का वर्षवार विश्लेषण	73
	(च) राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों, जिसके लेखों को 31 मार्च 2021 तक अंतिम रूप नही दिया गया है, को प्रदत्त अनुदान, आर्थिक सहायता एवं प्रत्याभूति	74
	(छ) पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय	75
	(ज) मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्ष का विवरण	76
	(झ) (i) अधोसंरचना विकास उपकर का संग्रहण एवं अधोसंरचना विकास निधि में स्थानांतरण का विवरण **(ii)** पर्यावरण उपकर संग्रहण का संग्रहण एवं पर्यावरण निधि में स्थानांतरण का विवरण	77
	(ञ) ऋण जिसका अपलेखन किया जाना है का विस्तृत विवरण	78–80

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ
खण्ड–II		
भाग– I		
14.	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण	82–124
15.	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण	125–178
16.	पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	179–336
17.	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण	337–352
18.	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण	353–389
19.	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	390–417
20.	सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण	418–425
21.	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण	426–438
22.	उदिष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण	439–443
भाग–II–परिशिष्ट		
I	मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण	446–459
II	आर्थिक सहायता पर व्यय का तुलनात्मक विवरण	460–467
III	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान / सहायता (संस्थावार तथा योजनावार)	468–522
IV	बाह्य सहायित परियोजनाएं की जानकारी	523–524
V	योजनाओं में व्यय	
(क)	केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)	525–548
(ख)	राज्य योजनागत योजनाएं	549–553
VI	भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियो का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियॉ (अलेखापरीक्षित आंकड़े))	554–561
VII	विवरण क्रमांक 18 एवं 21 में दर्शाए गए अन्तशेषों का मिलान एवं स्वीकरण	562–563
VIII	(i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	564
	(ii) विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम	565
IX	राज्य शासन की प्रतिबद्धता–अपूर्ण निर्माण कार्यो की सूची	566–596
X	अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर–वेतन भाग का विवरण	597–614
XI	वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं	615–625
XII	शासन के प्रतिबद्धित दायित्वों का विवरण	626–627
XIII	राज्यों के पुनर्गठन–राज्यों के मध्य शेषों के प्रभाजन नहीं किये गए मदों का विवरण	628

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त लेखे समाहित है, जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करता है। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया गया है, खंड–I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति समाविष्ट है और खंड–II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखे, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के साथ पठित मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन के विवरणों (8, 9, 17 (ख) (i), 17 (ग) (i), 19 एवं 20), व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विवरण क्रमांक 14, 15 तथा 16 के नीचे) और परिशिष्टों (VIII, IX, XI तथा XII) को छत्तीसगढ़ सरकार/निगमों/कम्पनियों/समितियों से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है, जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ–साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थायें हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ यह प्रमाणित करता हूँ कि ''लेखाओं के लिए टिप्पणियॉ'' के साथ पठित वित्त लेखे 2020–21 वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्‌भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले छत्तीसगढ़ सरकार पर हमारे वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

ध्यानाकर्षण हेतु मामले

मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो इन लेखों की शुद्धता, पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से तथा लोक वित्त पर विधायी वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक है :

राज्य सरकार के 31 मार्च 2021 तक अपने बजट दायित्वों ₹ 92,714.22 करोड़ के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं द्वारा वर्ष 2020–21 में लिए गए ₹ 510.16 करोड़ के ऋणों के पुनर्भुगतान का ऑफ बजट दायित्व है। हालॉकि सरकार ने उधारग्रहिता संस्थाओं द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक के मामले में इन दायित्वों के पुनर्भुगतान के लिए प्रत्याभूति प्रदान की है, किन्तु उन दायित्वों को अपने बजट दस्तावेजों में उचित रूप से प्रकट नहीं किया है। उपरोक्त मामले पर लेखापरीक्षा टिप्पणी 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के ''राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन'' में विस्तृत रूप से दिया गया है।

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

दिनांक : 7 मार्च 2022
स्थान : नई दिल्ली

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क शासकीय लेखे की संरचना का सिंहावलोकन :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त लेखे, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणामों सहित, वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियां एवं संवितरणों के लेखाओं तथा लेखे में दर्ज शेष के आधार पर राज्य सरकार के लोक ऋण और देनदारियां एवं परिसम्पत्तियों का लेखा–जोखा प्रस्तुत करते हैं।

2. सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है :–

भाग I–समेकित निधि : इस निधि के अन्तर्गत सरकार को प्राप्त समस्त राजस्व, सरकार द्वारा लिए गए समस्त ऋण (बाजार ऋण, बॉण्डस्, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति, इत्यादि), भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी से प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से कोई भी धनराशि विधि के अनुसार तथा भारत के संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। व्यय के कुछ वर्ग जैसे (सांविधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण अदायगी, इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर भारित होता है एवं इसके लिए राज्य विधान मण्डल में मतदान की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्ययों (दत्तमत व्यय) के लिए मतदान किया जाता है।

समेकित निधि के दो भाग होते हैं–राजस्व एवं पूंजी (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम सहित)। इन्हे पुनः 'प्राप्ति' एवं 'व्यय' शीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्ति शीर्ष को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है : 'कर राजस्व', 'करेतर राजस्व', सहायता अनुदान एवं अंशदान। ये तीन क्षेत्र पुनः उप क्षेत्रों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे कि 'आय एवं व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवा', इत्यादि। पूंजीगत प्राप्ति में कोई भी क्षेत्र या उप क्षेत्र नहीं होता है। राजस्व व्यय शीर्ष को चार क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है : सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं एवं सहायता अनुदान एवं अंशदान। राजस्व व्यय के इन क्षेत्रों को पुनः उप क्षेत्रों में उप विभाजित किया जाता है जैसे–राज्य के अंग, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति इत्यादि। पूंजीगत व्यय को सात क्षेत्रों में उप विभाजित किया जाता है। जैसे–'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'लोक ऋण', 'ऋण एवं अग्रिम', 'अन्तर्राज्यीय समाशोधन एवं आकस्मिकता निधि में अन्तरण'।

भाग II–आकस्मिकता निधि : यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है, जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधान मण्डल के अनुमोदन के लम्बित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। यह राशि राज्य के समेकित निधि से संबंधित मुख्य शीर्षों को नामे कर, प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2020–21 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के आकस्मिक निधि ₹ 100.00 करोड़ की है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—जारी

भाग III—लोक लेखा : सरकार द्वारा या सरकार के पक्ष में प्राप्त अन्य लोक धन राशि, जहॉ सरकार एक बैंक या न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा के अन्तर्गत प्रतिदेय जैसे—अल्प बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (जो कि अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष है) सम्मिलित है। सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखा के 6 क्षेत्र है : 'अल्प बचत', 'भविष्य निधि इत्यादि' 'आरक्षित निधि', 'जमा एवं अग्रिम', 'उचंत एवं विविध', 'प्रेषण एवं रोकड़ शेष'। यह छः क्षेत्र पुनः उप क्षेत्रों में उप विभाजित किया जाता है। लोक लेखा राज्य विधायिका के मताधीन नहीं है।

3. छत्तीसगढ़ सरकार के लेखे सात स्तरीय वर्गीकरण में प्रस्तुत किया जाता है जैसे—मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), समूह शीर्ष (चार अंक), उप शीर्ष (दो से चार अंक), उद्देश्य शीर्ष/विस्तृत शीर्ष (दो अंक) तथा उप विस्तृत शीर्ष (तीन अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य को प्रदर्शित करते हैं, लघु शीर्ष सरकार के कार्यक्रमों/क्रियाकलाप को प्रदर्शित करते हैं, समूह शीर्ष योजना व्यय के स्त्रोत को प्रदर्शित करते हैं, (अर्थात राज्य या केन्द्र के संसाधन), उप शीर्ष योजना को प्रदर्शित करते हैं, उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष व्यय के उद्देश्य/स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं, एवं उप विस्तृत शीर्ष व्यय के उद्देश्यों के घटक को प्रदर्शित करते हैं, (अर्थात—यदि व्यय का स्वरूप वेतन है तो उप विस्तृत शीर्ष मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि होगा)।

4. लेखाओं में वर्गीकरण की प्रमुख इकाई मुख्य शीर्ष होती है, जिसमें निम्नलिखित वर्गीकरण संरचना निहित है : (31 मार्च 2021 तक अद्यतित मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची अनुसार)

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियॉ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूंजीगत प्राप्तियॉ
4046 से 7810	पूंजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिकता निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. वित्त लेखे सामान्यतः (कुछ अपवादों के साथ), लघु शीर्ष तक के संव्यवहारों को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आंकड़े निवल स्तर पर, अर्थात वसूली को व्यय में से कटौत्रे करते हुए दर्शाये जाते हैं। यह प्रक्रिया विधायिका के समक्ष प्रस्तुत लेखा अनुदान तथा विनियोग लेखे से भिन्न है, जहॉ व्यय को सकल स्तर पर दर्शाया जाता है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका–जारी

6. शासकीय लेखे की संरचना का चित्रमय स्वरूप निम्न प्रकार प्रस्तुत है :

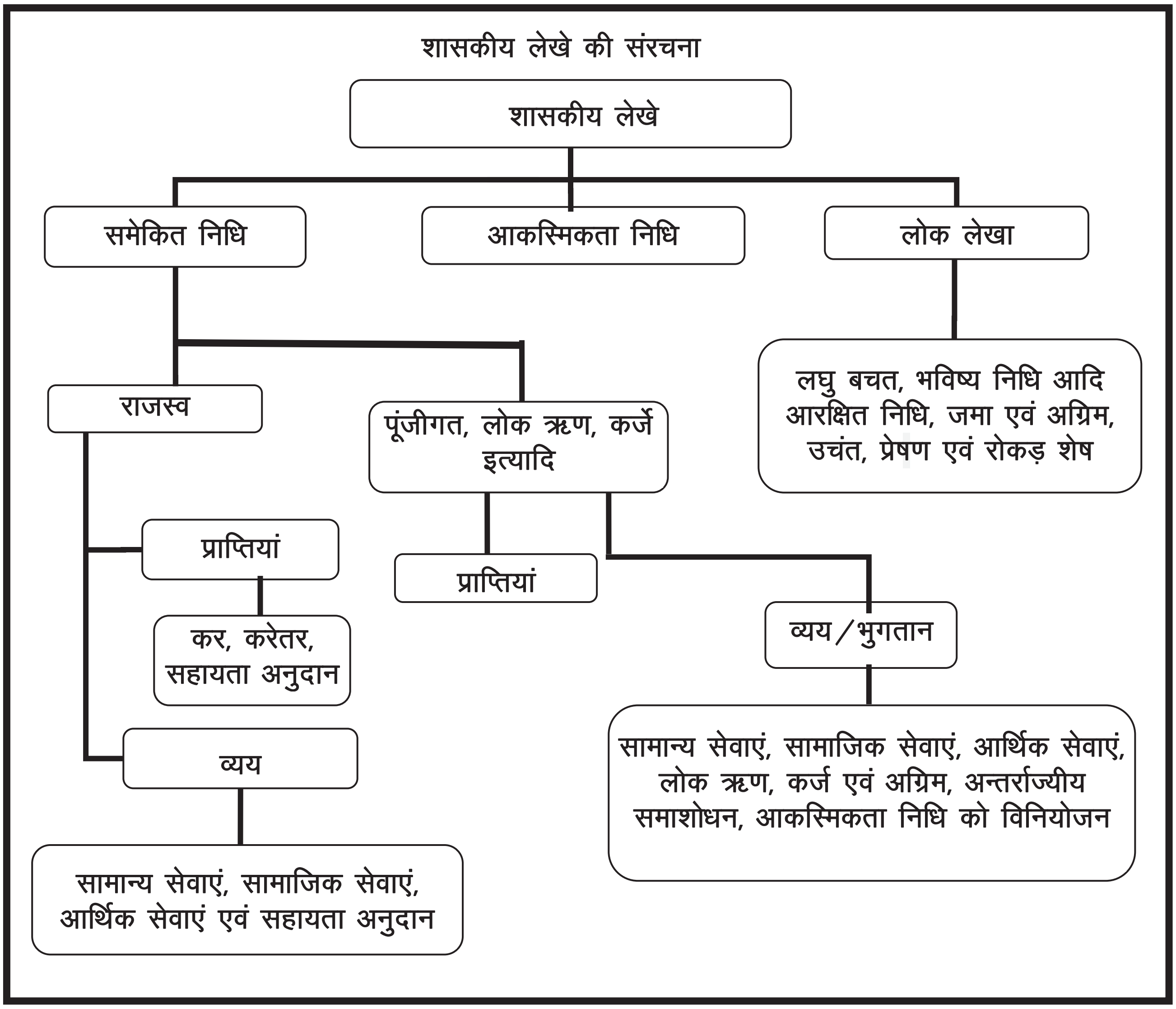

ख वित्त लेखे में क्या निहित है :–

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किये गये हैं।

खण्ड–I में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र, वित्त लेखाओं की मार्गदर्शिका, चालू वित्त वर्ष हेतु राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति और संव्यवहारों की संक्षिप्त जानकारी से संबंधित तेरह विवरणियॉ, लेखाओं के लिए टिप्पणियॉ एवं इसके अनुलग्नक सम्मिलित है। खण्ड–I में दिए तेरह विवरणियॉं निम्नलिखित है :

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका–जारी

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण :** इस विवरण में वर्ष के अंत में शासन की परिसम्पत्ति एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों एवं विगत वर्षांत के तुलनात्मक आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है।

2. **प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण :** इस विवरण में, सरकारी लेखे के तीनों भागों अर्थात समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में वर्ष के दौरान राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त एक परिशिष्ट, जो राज्य सरकार के रोकड़ शेषों का वैकल्पिक चित्रण (निवेश सहित) दर्शाते है, सम्मिलित है। इस परिशिष्ट में राज्य सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति को भी विस्तृत रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

3. **समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण :** इस विवरण में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों (विनिवेश, उधार एवं ऋण तथा अग्रिमों की वसूली सहित) की जानकारी समाविष्ट है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड–II के भाग–I में विस्तृत विवरण 14, 17 एवं 18 के अनुरूप है।

4. **समेकित निधि में व्यय का विवरण :** वित्त लेखे में लघुशीर्ष स्तर तक के सामान्य चित्रण से भिन्न यह विवरण कार्य के स्वरूप अनुसार व्यय भी दर्शाता है। यह खण्ड–II के भाग–I में विस्तृत विवरण 15, 16, 17 एवं 18 के अनुरूप है।

5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण :** यह विवरण खण्ड–II के भाग–I में विस्तृत विवरण क्रमांक 16 के अनुरूप है।

6. **उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण :** शासन के उधारों में उसके द्वारा उगाहे गए बाजार कर्जे (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्जे एवं अग्रिम सम्मिलित है। अन्य दायित्वों में 'अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि' 'आरक्षित निधि' एवं 'जमा' शामिल है। इस विवरण में ऋणों के परिशोधन व्यवस्था पर एक टिप्पणी भी है तथा यह खण्ड–II के भाग–I में विस्तृत विवरण क्रमांक 17 के अनुरूप है।

7. **सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिम का विवरण :** यह विवरण राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋणी समूहों जैसे–सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियॉं, स्वायत्त एवं अन्य निकाय/प्राधिकरणों एवं एकल प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारी सहित) को दिये गये समस्त कर्ज तथा अग्रिम को प्रदर्शित करता है। यह विवरण खण्ड–II के भाग–I में विस्तृत विवरण क्रमांक 18 के अनुरूप है।

8. **वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों की अंशपूंजी तथा ऋण पत्रों में सरकार के निवेशों का तुलनात्मक सार :** इस विवरण में शासन द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनी, अन्य संयुक्त उपक्रम, ग्रामीण बैंकों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूजी में किये गये निवेश की स्थिति का सारांश प्रदर्शित किया जाता है। यह विवरण खण्ड–II के भाग–I में विस्तृत विवरण क्रमांक 19 के अनुरूप है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका–जारी

9. **सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरणः** इस विवरण में सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों पर मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रत्याभूतियॉ का सारांश प्रदर्शित किया जाता है। यह विवरण खण्ड–II के भाग–I में विस्तृत विवरण क्रमांक 20 के अनुरूप है।

10. **सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण :** यह विवरण सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के अनुदानग्राहियों जैसे–सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दी गई सहायता अनुदान को प्रदर्शित करता है। परिशिष्ट–III में प्राप्तकर्ता संस्थाओं के विवरण होते हैं।

11. **दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण :** यह विवरण वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आंकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आंकड़ों के साथ मिलान में सहायता करती है।

12. **वर्ष 2020–21 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण :** यह विवरण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से पूरित किया जाना चाहिए, जबकि पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य, लोक लेखे के निवल जमा शेष, वर्ष के आरंभ में रोकड़ शेष तथा उधार से पूरित किया जाना चाहिए।

13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश :** यह विवरण वर्ष 2020–21 के अन्त में राज्य लेखों की निवल नामे राशि के साथ क्षेत्रवार शेषों का सारांश दर्शाता है।

वित्त लेखे के खण्ड–II के दो भाग है : भाग–I में 9 विस्तृत विवरण, भाग–II में 13 परिशिष्ट है।

खण्ड–II का भाग–I

14. **राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघुशीर्ष वार विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड–I के सारांशित विवरण क्रमांक 3 के अनुरूप है।

15. **राजस्व व्यय का लघुशीर्ष वार विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड–I के सारांशित विवरण क्रमांक 4 के अनुरूप है, जो शासन के राजस्व व्यय को राज्य निधि से व्यय और केन्द्रीय सहायता से व्यय (केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं) के अर्तगत विस्तार में प्रदर्शित करते हैं। भारित तथा दत्तमत्त व्ययों को स्पष्ट पृथक रूप से दर्शाये जाते हैं।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका–जारी

16. **पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड–I के सारांशित विवरण क्रमांक 5 के अनुरूप है, जो शासन के पूंजीगत व्यय को राज्य निधि से व्यय और केन्द्रीय सहायता से व्यय (केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं) के अर्तगत विस्तार में प्रदर्शित करते हैं। भारित तथा दत्तमत्त व्ययों को स्पष्ट पृथक रूप से दर्शाये जाते हैं। लधुशीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय दर्शाये जाने के अतिरिक्त विशिष्ट योजनाओं के संदर्भ में यह विवरण उपशीर्ष स्तर की जानकारी भी प्रदर्शित करता है।

17. **उधारों तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड–I के सारांशित विवरण–6 के अनुरूप है, जिसमें राज्य शासन द्वारा उगाहे गये समस्त ऋण (बाजार ऋण, बंदपत्र, केन्द्र शासन से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित है। इस विवरण में ऋणों की जानकारी तीन संवर्ग में प्रस्तुत किये गये हैंः (क) प्रत्येक ऋणों का विवरण, (ख) परिपक्वता विवरणी अर्थात प्रत्येक संवर्ग के ऋणों का विभिन्न वर्षो में देय राशि, (ग) बकाया ऋणों का ब्याज दर विवरणी।

18. **सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड–I के सारांशित विवरण क्रमांक 7 के अनुरूप है।

19. **सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण :** इस विवरण में सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूजी में किये गये निवेश की स्थिति प्रदर्शित करता है। यह विवरण खण्ड–I के सारांशित विवरण क्रमांक 8 के अनुरूप है।

20 **सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरणः** इस विवरण में सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों पर मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रत्याभूतियॉ का विवरण प्रदर्शित किया जाता है। यह विवरण खण्ड–I के सारांशित विवरण क्रमांक 9 के अनुरूप है।

21 **आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण** : इस विवरण में आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखे संव्यवहारों की समेकित स्थिति एवं वर्ष के अंत में बकाया शेषों का विवरण लघुशीर्षवार स्तर पर प्रदर्शित किया जाता है।

22 **उदिष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण :** यह विवरण आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से किये गये निवेश को विस्तृत रूप में प्रदर्शित करता है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका–जारी

खण्ड–II के भाग–II

भाग–II में वेतन, आर्थिक सहायता, सहायता अनुदान, बाहय् सहायित परियोजनाओं का विवरण, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं एवं राज्य पोषित योजनाओं में योजनावार व्यय इत्यादि, से संबंधित 13 परिशिष्ट सम्मिलित है। यह विस्तृत विवरण, लेखाओं में उप–शीर्ष अथवा उसके निचले स्तर (अर्थात लघुशीर्ष स्तर से नीचे) तक, दर्शाए जाते हैं एवं इसलिए इन्हें सामान्यतः वित्त लेखे में नहीं दर्शाये जाते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड–I एवं II में 'विषय–सूची' में उपलब्ध है। परिशिष्टों के साथ विवरणियों का पठन, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की पूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है।

ग सुलभ तालिका (रेडी रेकनर) :

खण्ड–I में सारांशिकृत विवरण एवं खण्ड–II में समावेशित विस्तृत विवरणों तथा परिशिष्टों के मध्य संबंध निम्न तालिका में दर्शाया गया है। (परिशिष्ट जिनके सारांशिकृत विवरणों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, निम्न तालिका में नहीं दर्शाये गये हैं)

मापदण्ड	सारांशिकृत विवरण (खण्ड–I)	विस्तृत विवरण (खण्ड–II)	परिशिष्ट (खण्ड–II)
राजस्व प्राप्तियां (प्राप्त अनुदानों सहित)	2, 3	14	..
राजस्व व्यय	2, 4,	15	I (वेतन), II (आर्थिक सहायता)
शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान	2, 10	..	III
पूंजीगत प्राप्तियां	2, 3	14	..
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	..
शासन द्वारा प्रदत्त कर्जे तथा पेशगियां	1, 2, 4, 7, 12, 13	18	..
ऋण की स्थिति/उधार	1, 2, 4, 6, 12, 13	17	..
कम्पनियों, निगमों आदि पर शासन का निवेश	1, 5, 8	16, 19	..
रोकड़	1, 2, 12, 13	21	..
लोक लेखे में शेष एवं उस पर निवेश	1, 2, 6, 12, 13	17, 21, 22	..
प्रत्याभूतियॉ	9	20	..
अंतर्राज्यीय परिशोधन	2, 3, 4, 12, 13	..	..
योजनाएं	..		V(क), V(ख), VI

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका–समाप्त

घ आवधिक एवं पुस्तकीय समायोजन :

कतिपय संव्यवहारों को लेखे में दर्ज करते समय नगद का वास्तविक प्रवाह नहीं होता है। इनमें से कुछ संव्यवहार लेखा प्रेषण ईकाईयों (जैसे कोषालयों, संभागों इत्यादि) के स्तर पर किये जाते है। उदाहरणार्थ, वेतन से किये जाने वाले समस्त कटौत्रों का संव्यवहार (सामान्य भविष्य निधि, प्रदत्त अग्रिमों की वसूली) क्रियात्मक मुख्य शीर्षों (संबंधित विभाग के) को नामे करते हुए पुस्तकीय समायोजन से राजस्व/ऋणों/लोक लेखा प्राप्तियों में दर्ज किये जाते हैं। इसी प्रकार 'निरंक' देयक जहाँ समेकित निधि तथा लोक लेखे के मध्य निधियों का स्थानांतरण किया जाता है, लेखा प्रस्तुत करने वाली ईकाईयों के स्तर पर बिना रोकड़ स्थानांतरण का लेन–देन है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य सरकार के लेखों में निम्न प्रकार के आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन करते हैं जिनका विवरण अनुलग्नक–क (खण्ड–I) तथा संबंधित विवरणों के नीचे पादटीपों में वर्णित किया जाता है।

आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन के उदाहरण निम्नानुसार हैः

(1) लोक लेखा के अन्तर्गत निधियों का सृजन/निधियों को अंशदान का समायोजन समेकित निधि को नामे कर किया जाता है, यथा–राज्य आपदा विमोचन निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, शोधन निधि इत्यादि।

(2) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा के जमा शीर्षों में जमा किया जाना।

(3) सामान्य भविष्य निधि एवं राज्य शासन समूह बीमा योजना पर वार्षिक ब्याज का समायोजन, जहाँ ब्याज का समायोजन मुख्य शीर्ष 2049–ब्याज अदायगियों को नामे कर 8009–सामान्य भविष्य निधि लेखे को जमा किया जाता है।

(4) केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसानुसार भारत शासन की योजना के अन्तर्गत ऋण माफी योजना। ऐसे समायोजन (जहाँ केन्द्रीय ऋणों को मुख्यशीर्ष 0075–'विविध सामान्य सेवाएं' में जमा कर मुख्यशीर्ष 6004–'केन्द्र शासन से कर्जे तथा पेशगियों को नामे कर अपलेखित किया जाता है) से राजस्व प्राप्तियाँ एवं लोक लेखे शीर्ष दोनों प्रभावित होते हैं।

ङ पूर्णांक :

₹ 0.01 लाख/करोड़ का अंतर, जहाँ भी परिलक्षित हो, पूर्णांक के कारण है।

सारांशित विवरण

1. वित्तीय स्थिति

आस्तियाँ[1]	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
	लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ	विवरण / परिशिष्ट		
रोकड़				
(i) कोषालय में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	..	..	0.00	0.00
(ii) विभागीय शेष	..	2,21	11.95	12.17
(iii) स्थायी रोकड़ अग्रदाय	..	2,21	0.34	0.34
(iv) रोकड़ शेष निवेश	..	2,21	3,389.68	5,246.81
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	4 (viii)	2,21	(–)1,121.67	(–)1,094.99
(vi) पृथक उदिष्ट निधियों से निवेश[2]	..	2,21	7,181.07	7,232.27
पूंजीगत व्यय				
(i) कंपनी, निगम इत्यादि के अंशपूंजी में निवेश	2 (xi)	5,8,16,19	7,119.10[3]	7,123.59
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय	..	5,16	94,794.07	85,770.24
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	..	..	0.00	0.00
कर्जे और पेशगियां	..	7,18	1,342.78	1,397.08
विभागीय अधिकारियों के पास पेशगियां	..	21	1.83	1.83
उचन्त और विविध शेष[4]	..	..	0.00	0.00
प्रेषण शेष	4 (iii)	12,21	329.38	278.30
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य	..	12	0.00	0.00
योग	..	..	**1,13,048.53**	**1,05,967.64**

1 आस्तियों तथा दायित्व के आंकड़े संचयी आंकड़े है। कृपया 'लेखाओं के लिए टिप्पणियॉं' के टीप 1(ii) भी देखें।

2 केन्द्र सरकार की प्रतिभूती में निवेशित राशि ₹ 7,038.87 करोड़ तथा छत्तीसगढ राज्य खनिज विकास निधि से संयुक्त उपक्रम कम्पनियों ''छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे मर्यादित'', ''छत्तीसगढ़ पूर्व–पश्चिम रेलवे मर्यादित'' एवं ''छत्तीसगढ़ रेलवे कारपोरेशन मर्यादित'' के अंशपूंजी में निवेशित ₹ 142.20 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

3 राज्य शासन की कंपनियों / निगमों इत्यादि का कुल अंशपूंजी निवेश ₹ 7,261.30 करोड़ है जिसमें से ₹ 7,119.10 करोड़ पूंजीगत शीर्षों से निवेश किया गया है एवं ₹ 142.20 करोड़ उदिष्ट निधि ''छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि'' से निवेश किया गया है।

4 इस विवरण में ''उचंत एवं विविध'' के अन्तर्गत ''रोकड़ शेष निवेश लेखे'', ''विभागीय शेष'' एवं ''स्थायी रोकड़ अग्रदाय'' सम्मिलित नहीं है, जिसे पृथक से उपर दर्शाया गया है यद्यपि ये लेखे कहीं इस क्षेत्र का एक हिस्सा बनता है।

का विवरण

(₹ करोड़ में)

दायित्वों[5]	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
	लेखाओं के लिए टिप्पणियॉं	विवरण / परिशिष्ट		
उधार (लोक ऋण)				
(i) राज्य शासन का आंतरिक ऋण				
बाजार कर्जे	..	6,17	60,932.10	50,432.10
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	..	6,17	918.53	918.53
वित्तीय संस्थाओं से कर्जे	..	6,17	4,713.08	4,601.06
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को विशेष प्रतिभूतियॉं जारी	..	6,17	3,975.10	4,430.98
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	..	6,17	0.00	0.00
(ii) केन्द्र सरकार से कर्जे और पेशगियां				
आयोजनेतर कर्जे	..	6,17	0.56	0.56
राज्य / संघ क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे	..	6,17	1,271.57	1,486.63
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे	..	6,17	0.19	0.19
केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे	..	6,17	0.00	0.00
1984–85 पूर्व के कर्जे	..	6,17	0.69	0.69
राज्य / विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र के योजनाओं के लिए अन्य कर्जे	..	6,17	4,896.29[6]	1,275.98
आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)	..	21	**100.00**	**100.00**
लोक लेखा पर दायित्व				
(i) अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	..	12,17,21	8,021.40	7,617.67
(ii) जमा	..	12,17,21	5,985.11	5,483.29
(iii) आरक्षित निधियां	4 (ii)	12,21,22	9,180.67	9,697.05
(iv) प्रेषण शेष	..	..	0.00	0.00
(v) उचंत और विविध शेष	4 (iii)	12,21	77.19[7]	89.52
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य [8]	..	..	12,976.05	19,833.39
योग	..	..	**1,13,048.53**	**1,05,967.64**

[5] आस्तियों तथा दायित्व के आंकड़े संचयी आंकड़े है। कृपया 'लेखाओं के लिए टिप्पणियॉं' के टीप 1 (ii) देखें।

[6] वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में राज्य के पुनर्भुगतान दायित्वों के बिना ऋण प्राप्ति के रूप में वर्ष 2020–21 के दौरान प्रदत्त ₹ 3,109.00 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण सम्मिलित है।

[7] मुख्यशीर्ष 8658–'उचंत लेखा' का अंतशेष ₹ 20.08 करोड़ तथा मुख्यशीर्ष 8670 'चेक्स तथा बिल्स' का अंतशेष ₹ 57.11 करोड़ सम्मिलित है।

[8] व्यय पर प्राप्तियों का संचयी अधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय / राजस्व आधिक्य को प्रदर्शित नहीं करते है। आंकड़े ''पूंजीगत एवं अन्य व्यय'' तथा ''निधियो के मुख्य स्त्रोत'' के निवल से निकाले गए है। विस्तृत जानकारी विवरण क्रमांक 12 में है।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2020–21	2019–20		2020–21	2019–20
भाग–1 समेकित निधि					
अनुभाग क– राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां	**63,176.18**	**63,868.70**	**राजस्व व्यय**	**70,032.84**	**73,477.31**
कर राजस्व	**43,226.74**	**42,323.69**	वेतन[1]	20,990.75[2, 3]	20,857.63
स्वयं के कर राजस्व	22,889.20	22,117.85	आर्थिक सहायता[1]	7,307.93[4]	11,483.23
संघीय करों/शुल्कों का अंश	20,337.54	20,205.84	सहायता अनुदान [1, 5]	19,789.37[6]	19,152.98
करेत्तर राजस्व	**7,136.95**	**7,933.77**	**सामान्य सेवायें**	**14,478.72**[7]	**13,822.11**
ब्याज प्राप्तियां	89.77	232.41	ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवायें	5,908.11	5,235.33
अन्य	7,047.18	7,701.36	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	7,135.79[8]	6,637.98
केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	**12,812.49**	**13,611.24**	अन्य	1,434.82	1,948.80
			सामाजिक सेवायें	**3,753.28**	**4,493.21**
			आर्थिक सेवायें	**2,587.48**	**2,547.83**
			स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	**1,125.31**[9]	**1,120.32**
राजस्व घाटा	**6,856.66**	**9,608.61**	**राजस्व आधिक्य**	**0.00**	**0.00**

---

[1] समेकित आंकड़ा प्रदर्शित करने के लिए सभी क्षेत्रों के वेतन, आर्थिक सहायता एवं सहायता अनुदान के ऑकड़ों के योग किए गये है। इस विवरण में ''सामान्य, ''सामाजिक'' एवं आर्थिक'' सेवा क्षेत्रों के व्यय में वेतन, आर्थिक सहायता एवं सहायता अनुदान पर किये गये व्यय सम्मिलित नहीं है (पादटीप 2, 3, 4 एवं 6 में उल्लेखित)।

[2] उद्देश शीर्ष 01–वेतन एवं 07–कार्यभारित आकस्मिकता स्थापना के अन्तर्गत दर्ज व्यय क्रमशः ₹ 20,656.09 करोड़ एवं ₹ 334.66 करोड़ सम्मिलित है।

[3] सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतन व्यय क्रमशः ₹ 4,819.31 करोड़, ₹ 14,081.42 करोड़ एवं ₹ 2,090.02 करोड़ है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट क्रमांक I देखें।

[4] सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत आर्थिक सहायता व्यय क्रमशः ₹ 4.76 करोड़, ₹ 3.43 करोड़ एवं ₹ 7,299.74 करोड़ है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट क्रमांक II देखें।

[5] शासन द्वारा सांविधिक निगमों, कम्पनियों, स्वायत्व संस्थाओं, स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायता अनुदान दिये जाते है जो ऊपर दिखाये अनुसार शामिल है। ये सहायता अनुदान क्षतिपूर्ति एवं करों के समनुदेशन एवं स्थानीय निकायों को शुल्क से भिन्न है जिसे पृथक रूप में ''स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज्य संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समपुदेशन'' के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।

[6] सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओ के अन्तर्गत सहायता अनुदांन क्रमशः ₹ 283.39 करोड़, ₹ 7,228.04 करोड़ एवं ₹ 12,277.94 करोड़ है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए विवरण क्रमांक 10 एवं परिशिष्ट क्रमांक–III देखें।

[7] ऑफ बजट दायित्व पर ₹ 212.20 करोड़ का ब्याज भुगतान सम्मिलित है।

[8] इस राशि में विस्तृत शीर्ष–12–पेंशन एवं सेवानिवृति लाभ ₹ 7,114.61 करोड़, 25–सामग्री और पूर्तियॉ ₹ 5.62 करोड़, 37–अंतः लेखा अन्तरण के अन्तर्गत दर्ज व्यय– ₹ 22.00 करोड़, 30–अंशदान ₹ 0.01 करोड़ तथा 40–घटाएं वसूलियॉ ₹ (–) 6.45 करोड़ सम्मिलित हैं।

[9] वर्ष 2020–21 में राज्य शासन द्वारा दिये गये सहायता अनुदान ₹ 1,185.88 करोड़ जिसमें से ₹ 60.57 करोड़ छत्तीसगढ़ स्टाम्प डयूटी निधि को स्थानांतरित किया गया।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2020–21	2019–20		2020–21	2019–20
अनुभाग ख–पूंजी					
पूंजीगत प्राप्तियां	**4.85**	**4.70**	**पूंजीगत व्यय**	**9,024.19**[10]	**8,566.39**
			सामान्य सेवायें	509.03	194.48
			सामाजिक सेवायें	2,934.64	1,912.33
			आर्थिक सेवायें	5,580.52[11]	6,459.58
कर्जे तथा पेशगियों की वापसी	**104.80**	**256.78**	**कर्जे तथा पेशगियों का संवितरण**	**50.50**	**56.11**
सामान्य सेवायें	0.00	100.00	सामान्य सेवायें	0.00	0.00
सामाजिक सेवायें	38.55	4.03	सामाजिक सेवायें	0.50	45.22
आर्थिक सेवायें	66.23	152.62	आर्थिक सेवायें	50.00	10.89
शासकीय कर्मचारियों को कर्जे तथा पेशगियां	0.02	0.13	शासकीय कर्मचारियों को कर्जे तथा पेशगियां	0.00	0.00
लोक ऋण प्राप्तियां	**21,581.68**	**19,587.53**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	**8,020.29**	**8,695.03**
आन्तरिक ऋण (बाजार कर्जे इत्यादि)[12]	17,961.37	19,308.36	आन्तरिक ऋण (बाजार कर्जे इत्यादि)[12]	7,805.23	8,479.52
भारत सरकार से कर्जे	3,620.31[13]	279.17	भारत सरकार से कर्जे	215.06	215.51
अंतर्राज्यीय परिशोधन	**(–)0.67**[14]	**0.13**	**अंतर्राज्यीय परिशोधन**	**0.01**	**0.05**
योग–समेकित निधि प्राप्तियां	**84,866.84**	**83,717.84**	**योग–समेकित निधि व्यय**	**87,127.83**	**90,794.89**
समेकित निधि में कमी	**2,260.99**	**7,077.05**	**समेकित निधि में आधिक्य**	**..**	**0.00**
भाग–II–आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि	**0.00**	**4.92**	**आकस्मिकता निधि**	**0.00**	**0.00**

---

10 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के ₹ 1,837.67 करोड़, वेतन के ₹ 86.45 करोड एवं कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना के ₹ 37.98 करोड़ के अन्तर्गत दर्ज व्यय सम्मिलित है।

11 मुख्यशीर्ष 4801 (₹ 150.00 करोड़) तथा 4810 (₹ 50.00 करोड़) में वर्गीकृत कुल पूंजीगत व्यय ₹ 200.00 करोड़ 'विद्युत विकास निधि', मुख्यशीर्ष 4853 के अन्तर्गत वर्गीकृत ₹ 26.30 करोड़ 'खनिज विकास निधि' तथा मुख्यशीर्ष 5054 के अन्तर्गत वर्गीकृत ₹ 266.28 करोड़ 'केन्द्रीय सड़क निधि' कुल ₹ 492.58 करोड़ की प्रतिपूर्ति किये गये है।

12 वर्ष 2020–21 में केन्द्र शासन के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से कोई भी कर्ज प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु मूलधन तथा ब्याज क्रमशः ₹ 455.88 करोड़ एवं ₹ 416.82 करोड़ का भुगतान किया गया है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए विवरण क्रमांक 6 का व्याख्यात्मक टिप्पणियॉ का पैरा 2 देखें।

13 वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में राज्य के पुनर्भुगतान दायित्वों के बिना ऋण प्राप्ति के रूप में प्रदत्त ₹ 3,109.00 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण सम्मिलित है।

14 मध्य प्रदेश से प्राप्त सामान्य भविष्य निधि कटौत्रों का निराकरण के कारण ऋणात्मक आंकड़े है।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2020–21	2019–20		2020–21	2019–20
भाग–III–लोक लेखा[15]					
लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,690.60	2,013.00	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,286.87	1,227.74
आरक्षित तथा निक्षेप निधि	6,057.17	7,007.85	आरक्षित तथा निक्षेप निधि	6,522.35	6,198.61
जमा	4,094.42	3,313.34	जमा	3,592.60	3,837.39
पेशगियां	444.25	510.19	पेशगियां	444.25	510.28
उचंत तथा विविध	1,39,629.30	1,52,357.50	उचंत तथा विविध[16]	1,37,784.28	1,47,852.23
प्रेषण	8,570.63	9,010.70	प्रेषण	8,621.71	8,929.91
योग–लोक लेखा प्राप्तियां	**1,60,486.37**	**1,74,212.58**	**योग–लोक लेखा व्यय**	**1,58,252.06**	**1,68,556.16**
लोक लेखे में कमी	0.00	0.00	लोक लेखे में आधिक्य	2,234.31	5,656.42
प्रारंभिक रोकड़ शेष	(–)1,094.99	320.72	रोकड़ का अंतशेष	(–)1,121.67	(–)1,094.99
रोकड़ शेष में वृद्धि	..	..	**रोकड़ शेष में कमी**	**26.68**	**1,415.71**

[15] विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड–II के विवरण क्रमांक 21 देखें।

[16] उचंत एवं विविध में ''अन्य लेखे'' जैसे–रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि शामिल है, इन अन्य लेखाओं के कारण आंकड़े वृहद प्रतीत होता है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विवरण क्रमांक 21 देखें।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

शासन की सकल रोकड़ स्थिति	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
क–सामान्य रोकड़ शेष		
(1) कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
(2) रिजर्व बैंक में जमा[17]	(–)1,121.67[18]	(–)1,094.99
योग	**(–)1,121.67**	**(–)1,094.99**
(3) 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' में किया गया निवेश	3,389.68	5,246.81
योग–(क)–सामान्य रोकड़ शेष	**2,268.01**	**4,151.82**
ख–अन्य रोकड़ शेष और निवेश–		
(1) विभागीय अधिकारियों जैसे–वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव आदि के पास रोकड़	11.95	12.17
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियां	0.34	0.34
(3) पृथक उदिष्ट निधियों का निवेश	7,181.07	7,232.27
योग–(ख)–अन्य रोकड़ शेष और निवेश–	**7,193.36**	**7,244.78**
योग (क) एवं (ख)	**9,461.37**	**11,396.60**

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(क) रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य :– रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य के अंतर्गत कोषालय में नगद एवं भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों में जमा एवं मार्गस्थ प्रेषण सम्मिलित है। उपरोक्त क (2) में दर्शित ''भारतीय रिजर्व बैंक'' जमा के अन्तर्गत वर्ष के अन्त में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के समेकित शेषों को प्रदर्शित करता है। समग्र रोकड़ स्थिति की गणना हेतु कोषालयों एवं विभागों में नगद शेष तथा रोकड़ शेष/आरक्षित निधियों से निवेश, आदि को रिजर्व बैंक जमा शेषों में सम्मिलित किया जाता है।

(ख) दैनिक रोकड़ शेष :– रिजर्व बैंक के साथ किये गये करार के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार को बैंक में ₹ 0.72 करोड़ का न्यूनतम शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि, किसी भी दिवस मे करार के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से कम होती है, तो उस कमी की पूर्ति रिजर्व बैंक से समय–समय पर विशेष आहरण सुविधा एवं साधारण अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण लेकर की जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 30 दिनों के लिए विशेष आहरण सुविधा लिया जाकर न्यूनतम शेष ₹ 0.72 करोड़ रखा गया।

अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण को स्वीकृत करने के उद्देश्य से दैनिक रोकड़ शेष[19] की गणना हेतु 14 दिवसीय ट्रेज़री बिलों की धारिता, साथ में वर्तमान दिवस को सूचित लेन–देनों (भारतीय रिज़र्व बैंक के शाखाओं, अंतः सरकार लेन–देनों तथा अभिकर्त्ता बैंकों द्वारा सूचित कोषालय के लेन–देनों) के

---

[17] ''रिजर्व बैंक में जमा'' शीर्ष के अन्तर्गत शेष का निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 के 10 अप्रैल 2021 तक के अन्तः शासन मौद्रिक समाशोधन के संव्यवहारों को सम्मिलित किया गया है।

[18] मार्च 2021 के लेखे बंद होने पर रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित राशि ₹ 1,121.67 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 926.96 करोड़ (नामे) के मध्य ₹ 194.71 करोड़ (जमा) का अन्तर था, जो पुनर्मिलान के अधीन है। यह अंतर कोषालय अधिकारियों द्वारा तिथिवार मासिक विवरण का ऋटिपूर्ण सत्यापन तथा एजेन्सी बैंक द्वारा नोड़ल ब्राच को या नोडल ब्रान्च द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को ऋटिपूर्ण सूचना देने के कारण है। दिनांक 30 जून 2021 को यह अंतर ₹ 195.02 करोड़ (जमा) रहा।

[19] उपर्युक्त रिजर्व बैंक में जमा का रोकड़ शेष वर्ष का 31 मार्च, 2021 की स्थिति का अंत शेष है किन्तु दिनांक 10 अप्रैल 2021 तक आकलित की गई है, एवं केवल 31 मार्च, 2021 का दैनिक रोकड़ शेष नहीं है ।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक–जारी
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश–जारी

आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक आकलन करती है। इस तरह आकलित शेष में 14 दिवसीय ट्रेज़री बिलों की परिपक्वता (यदि कोई हो) जोड़ा जाता है तथा न्यूनतम रोकड़ शेष रखते हुए अधिक शेष यदि हो, तो उसे ट्रेजरी बिलों में पुनः निवेश किया जाता है। यदि आकलित निवल रोकड़ शेष, न्यूनतम शेष से कम होता है अथवा क्रेडिट शेष हो और उस दिवस को 14 दिवसीय ट्रेजरी बिल परिपक्व नहीं होता हो तो भारतीय रिज़र्व बैंक धारित 14 दिवसीय ट्रेजरी बिलों की भुनाती है एवं उस कमी को पूरा कर लेती है और यदि उस दिवस को 14 दिवसीय ट्रेजरी बिल नहीं हो तो राज्य शासन अर्थोपाय अग्रिम/विशेष आहरण सुविधा/अधिविकर्षण हेतु आवेदन करता है।

(ग) **आहरण सुविधा की सीमा (डब्ल्यू.एम.ए.) :** 1 अप्रैल 2020 से 16 अप्रैल 2020 तक ₹ 858.00 करोड़ एवं 17 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक ₹ 1,056.00 करोड़ राज्य शासन के साधारण आहरण सुविधा की सीमा थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गवर्नमेंट सिक्यूरिटी के बंधक पर विशेष आहरण सुविधा देने पर सहमति दी गई है। बैंक द्वारा विशेष आहरण सुविधा की सीमा समय–समय पर संशोधन किया जाता है। विशेष आहरण सुविधा की सीमा निम्नानुसार है :

तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
01.04.2020	5,795.58
02.04.2020 से 06.04.2020	5,790.11
07.04.2020 से 09.04.2020	5,790.13
10.04.2020	5,789.67
11.04.2020 से 12.04.2020	5,789.07
13.04.2020 से 15.04.2020	5,790.54
16.04.2020	5,679.07
17.04.2020	5,680.29
18.04.2020 से 01.05.2020	5,679.07
02.05.2020 से 07.05.2020	5,679.10
08.05.2020	5,679.00
09.05.2020 से 10.05.2020	5,676.93
11.05.2020 से 13.05.2020	5,680.75
14.05.2020 से 19.05.2020	5,680.72
20.05.2020 से 22.05.2020	5,680.68
23.05.2020 एवं 25.05.2020	5,669.47
26.05.2020	5,685.25
27.05.2020 से 01.06.2020	5,680.37
02.06.2020	5,690.90
03.06.2020	5,680.44
04.06.2020	5,442.51
05.06.2020	5,454.41
06.06.2020 से 09.06.2020	5,443.30

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक–जारी
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश–जारी

तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा–जारी

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
10.06.2020 से 16.06.2020	5,443.29
17.06.2020 से 18.06.2020	5,447.52
19.06.2020 से 21.06.2020	5,447.74
22.06.2020 से 23.06.2020	5,447.76
24.06.2020 से 25.06.2020	5,447.75
26.06.2020 से 30.06.2020	5,448.38
01.07.2020	4,975.20
02.07.2020 से 07.07.2020	4,972.22
08.07.2020	4,972.99
09.07.2020 से 10.07.2020	4,973.23
11.07.2020 से 12.07.2020	4,972.92
13.07.2020	4,974.30
14.07.2020	4,976.00
15.07.2020	4,974.62
16.07.2020 से 27.07.2020	4,973.51
28.07.2020	4,973.71
29.07.2020 से 01.08.2020	4,973.51
02.08.2020	4,968.83
03.08.2020 से 09.08.2020	4,973.52
10.08.2020 से 14.08.2020	4,974.13
15.08.2020 से 16.08.2020	4,963.12
17.08.2020 से 19.08.2020	4,974.31
20.08.2020	4,976.06
21.08.2020 से 27.08.2020	4,976.04
28.08.2020	4,978.83
29.08.2020 से 30.08.2020	4,977.62
31.08.2020 से 03.09.2020	4,978.82
04.09.2020 से 06.09.2020	4,979.50
07.09.2020 से 11.09.2020	4,980.82
12.09.2020 से 13.09.2020	4,980.78
14.09.2020 से 15.09.2020	4,980.82
16.09.2020	4,981.03
17.09.2020 से 18.09.2020	4,981.13
19.09.2020	4,975.25
20.09.2020	4,973.57
21.09.2020 से 22.09.2020	5,002.24
23.09.2020	4,983.27
24.09.2020 से 29.09.2020	4,983.30
30.09.2020	4,983.78
01.10.2020 से 06.10.2020	4,912.72

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक–जारी
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश–जारी

तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा–जारी

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
07.10.2020 से 08.10.2020	4,913.33
09.10.2020	4,777.05
10.10.2020 से 11.10.2020	4,775.60
12.10.2020 से 16.10.2020	4,777.05
17.10.2020 से 18.10.2020	4,775.84
19.10.2020 से 03.11.2020	4,777.07
04.11.2020 से 07.11.2020	4,776.95
08.11.2020	4,774.57
09.11.2020	4,778.66
10.11.2020	4,780.80
11.11.2020 से 13.11.2020	4,777.88
14.11.2020 से 16.11.2020	4,774.33
17.11.2020 से 19.11.2020	4,777.85
20.11.2020 से 23.11.2020	4,777.80
24.11.2020	4,788.73
25.11.2020 से 01.12.2020	4,777.91
02.12.2020	4,777.98
03.12.2020 से 04.12.2020	1,161.90
05.12.2020 से 06.12.2020	1,150.28
07.12.2020 से 09.12.2020	1,162.44
10.12.2020 से 11.12.2020	1,159.74
12.12.2020 से 13.12.2020	1,159.54
14.12.2020 से 16.12.2020	1,159.73
17.12.2020 से 18.12.2020	1,164.29
19.12.2020 से 20.12.2020	1,163.32
21.12.2020	1,164.63
22.12.2020	1,164.65
23.12.2020	1,164.63
24.12.2020 से 25.12.2020	4,654.78
26.12.2020 से 27.12.2020	4,654.30
28.12.2020 से 31.12.2020	4,655.99
01.01.2021	4,731.59
02.01.2021 से 07.01.2021	4,730.52
08.01.2021	4,732.38
09.01.2021 से 10.01.2021	4,722.82
11.01.2021 से 12.01.2021	4,733.99
13.01.2021	4,732.61
14.01.2021 से 15.01.2021	4,732.65
16.01.2021 से 22.01.2021	4,731.93
23.01.2021 से 24.01.2021	4,731.92

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक–जारी
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश–जारी

तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा–समाप्त

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
25.01.2021 से 27.01.2021	4,731.93
28.01.2021	4,731.92
29.01.2021 से 01.02.2021	4,870.64
02.02.2021	4,875.43
03.02.2021 से 09.02.2021	4,870.76
10.02.2021 से 14.02.2021	4,871.23
15.02.2021 से 16.02.2021	4,882.74
17.02.2021 से 19.02.2021	4,871.68
20.02.2021 से 21.02.2021	4,869.91
22.02.2021 से 23.02.2021	4,872.73
24.02.2021 से 26.02.2021	4,871.62
27.02.2021 से 28.02.2021	4,861.98
01.03.2021	4,873.31
02.03.2021 से 03.03.2021	4,872.10
04.03.2021 से 05.03.2021	4,872.11
06.03.2021 से 07.03.2021	4,870.81
08.03.2021	4,872.09
09.03.2021 से 12.03.2021	4,875.06
13.03.2021 से 14.03.2021	4,875.02
15.03.2021	4,875.06
16.03.2021	4,876.93
17.03.2021	4,877.24
18.03.2021	4,931.52
19.03.2021	4,931.63
20.03.2021 से 21.03.2021	4,929.03
22.03.2021	4,951.26
23.03.2021	4,932.26
24.03.2021	5,050.33
25.03.2021	5,050.34
26.03.2021 से 29.03.2021	5,050.33
30.03.2021	5,050.32

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक–जारी
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश–जारी

अर्थोपाय अग्रिम पर भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो दर के अनुसार ब्याज प्रभारित होता है, जो निम्नानुसार है :

तालिका : अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज का विवरण

सरल क्रमांक	शीर्षक	दर
1.	विशेष आहरण सुविधा (पूर्व में विशेष अर्थोपाय अग्रिम से जाना जाता था)	रेपो रेट (–) एक *प्रतिशत*
2.	90 दिवस तक साधारण आहरण अग्रिम	रेपो रेट
3.	90 दिवस से अधिक साधारण आहरण अग्रिम	रेपो रेट (+) एक *प्रतिशत*
4.	शत *प्रतिशत* साधारण अर्थोपाय अग्रिम तक अधिविकर्षण	रेपो रेट (+) दो *प्रतिशत*
5.	शत *प्रतिशत* साधारण अर्थोपाय अग्रिम से अधिक के अधिविकर्षण	रेपो रेट (+) पॉच *प्रतिशत*

वर्ष 2020–21 में रेपो रेट निम्नानुसार है :

तालिका : रेपो रेट का विवरण

अवधि	रेपो रेट
01.04.2020 से 21.05.2020	4.40 *प्रतिशत*
22.05.2020 से 31.03.2021	4.00 *प्रतिशत*

वर्ष 2020–21 की अवधि में राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से तय की हुई न्यूनतम शेष राशि को बनाये रखने में कहॉ तक समर्थ थी, नीचे दर्शाया गया है :

(i)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष राशि बिना अग्रिम लिए बनाये रखी गई	335
(ii)	दिनों की सख्या, जब न्यूनतम शेष विशेष आहरण सुविधा लेकर बनाए रखी गई	30
(iii)	दिनों की सख्या, जब न्यूनतम शेष साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर बनाए रखी गई	निरंक
(iv)	दिनों की संख्या, जब उपरोक्त अग्रिम का उपयोग करने के बावजूद न्यूनतम अवशेष मे कमी थी, किन्तु कोई अधिविकर्षण नही लिया गया।	निरंक
(v)	दिनों की संख्या जब अधिविकर्षण लिये गए	निरंक

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–समाप्त
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक–समाप्त
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश–समाप्त

(घ) 31 मार्च 2021 को सामान्य रोकड़ शेष से किये गए निवेशों का विवरण निम्नानुसार है :

तलिका : रोकड़ शेष निवेश की जानकारी

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	प्रतिभूतियों का नाम	राशि
1.	भारत सरकार के खजाना बिल	3,389.68
योग		**3,389.68**

(ङ) वर्ष 2019–20 मे ₹ 196.10 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2020–21 के दौरान रोकड़ शेष निवेशो पर ₹ 29.66 करोड़ का ब्याज प्राप्त हुआ।

(च) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंको और समितियों के अंशपूजी में किए गए निवेशों के ब्यौरे विवरण क्रमांक–19–''सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण'' में दिये गये है।

(छ) पृथक उदिष्ट निधियों से निवेशित राशियां की जानकारी विवरण क्रमांक–22–''उदिष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण'' में दर्शाई गई है।

3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2020–21	2019–20
I. कर तथा करेत्तर राजस्व			
(क)	**कर राजस्व**		
क.1	**स्वयं के कर राजस्व**	**22,889.20**	**22,117.85**
	भू–राजस्व	937.71	551.50
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,584.94	1,634.63
	राज्य उत्पाद शुल्क	4,635.80	4,952.36
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	7,925.01	7,894.82
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,236.04	3,931.37
	माल तथा यात्री कर	79.83	40.51
	वाहन कर	1,148.07	1,274.85
	विद्युत कर तथा शुल्क	2,341.41	1,837.00
	होटल प्राप्ति कर	0.18	0.63
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.21	0.18
क.2	**संघीय करों/शुल्क के निवल आगमों का अंश**	**20,337.54**	**20,205.84**
	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	6,068.90	5,733.71
	निगम कर	6,117.65	6,889.42
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	6,269.51	5,398.34
	धन कर	0.00	0.30
	सीमा शुल्क	1,097.20	1,280.78
	संघ उत्पाद शुल्क	686.04	890.49
	सेवा कर	84.52	0.00
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	13.72	12.80
	योग–(क)	**43,226.74**	**42,323.69**
(ख)	**करेत्तर राजस्व–**		
	ब्याज प्राप्तियां	89.77[1]	232.41
	अन्य–		
	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	5,538.49[2]	6,195.73
	वृहद् सिंचाई	445.91	437.04
	वानिकी और वन्य प्राणी	277.09	249.37
	लघु सिंचाई	232.72	287.54
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	95.75	88.88
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली	61.84	82.32
	शहरी विकास	10.20	53.65
	लोक निर्माण कार्य	32.23	45.98
	विविध सामान्य सेवायें	75.20	40.49

[1] राज्य शासन द्वारा उगाहे गये ऋणों पर प्राप्त ₹ 15.51 करोड़ का प्रीमियम सम्मिलित है।

[2] कोल ब्लॉक की निलामी से प्राप्त (₹ 297.69 करोड़) तथा कोयला के अलावा अन्य खनिजों के निलामी से प्राप्त (₹ 19.05 करोड़) कुल ₹ 316.74 करोड़ सम्मिलित है।

3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2020–21	2019–20
I. कर तथा करेत्तर राजस्व			
(ख)	**करेत्तर राजस्व–समाप्त**		
	अन्य–समाप्त		
	अन्य प्रशासनिक सेवायें	35.67	35.75
	श्रम तथा रोजगार	22.46	24.43
	पुलिस	29.06	21.55
	फसल कृषि–कर्म	23.23	20.84
	अन्य सामाजिक सेवाएं	16.02	16.73
	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	18.63	14.83
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	11.86	10.78
	पशु पालन	9.72	8.66
	लोक सेवा आयोग	8.25	8.23
	जेल	4.89	8.06
	उद्योग	12.08	6.41
	ग्राम तथा लघु उद्योग	2.84	6.18
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	1.99	5.97
	मध्यम सिंचाई	5.16	5.71
	आवास	4.77	4.52
	मछली पालन	5.77	4.27
	जलपूर्ति तथा सफाई	5.06	4.19
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	37.70	2.82
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	13.33	2.61
	लाभांश तथा लाभ	2.29	2.39
	खाद्य भण्डारण तथा भांडागार	1.30	1.62
	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.86	1.27
	सहकारिता	2.88	1.14
	सड़क तथा सेतु	0.89	0.82
	सूचना तथा प्रचार	0.04	0.55
	परिवार कल्याण	0.00	0.03
	योग–अन्य	**7,047.18**	**7,701.36**
	योग–(ख)	**7,136.95**	**7,933.77**
II-भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			
(ग)	**केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान**		
	केन्द्रीय सहायता/अंशदान	6,829.98	7,525.38
	बाहय सहायित परियोजना– केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमो के लिए अनुदान[3]	145.57	282.86
	योग–केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	**6,975.55**	**7,808.24**

[3] कृपया विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड–II के परिशिष्ट IV देखें।

3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण–समाप्त

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2020–21	2019–20
II-भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			
(ग)	**केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान–समाप्त**		
	वित्त आयोग अनुदान		
	ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,454.00	1,415.89
	शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	403.50	451.56
	राज्य आपदा राहत निधि के लिए सहायता अनुदान	345.60	177.30
	राज्य आपदा उन्मोचन निधि के लिए सहायता अनुदान	86.40	0.00
	योग–वित्त आयोग अनुदान	**2,289.50**	**2,044.75**
	राज्य/विधान मण्डल वाले संघराज्य क्षेत्र को अन्य स्थानांतरण/अनुदान		
	विशेष सहायता	0.60	80.19
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के उपबन्ध के अन्तर्गत अनुदान	99.76	225.01
	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	234.92	371.61
	वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति	3,212.16	3,081.44
	योग– राज्य/विधान मण्डल वाले संघराज्य क्षेत्र को अन्य स्थानांतरण/अनुदान	**3,547.44**	**3,758.25**
	योग–ग	**12,812.49**	**13,611.24**
	कुल राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)	**63,176.18**	**63,868.70**
III-पूंजी, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियां			
घ	**पूंजीगत प्राप्तियां**		
	अन्य	4.85	4.70
	योग–घ	**4.85**	**4.70**
ड.	**लोक ऋण प्राप्तियां**		
	आन्तरिक ऋण	**17,961.37**	**19,308.36**
	बाजार कर्जे	13,000.00	11,680.00
	प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	0.00	0.00
	वित्तीय संस्थाओं से कर्जे	934.85[4]	969.68
	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	0.00	6,658.68
	91 दिवस जमा पर विशेष आहरण सुविधा	4,026.52	0.00
	केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा पेशगियाँ	**3,620.31**	**279.17**
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजना के लिए कर्जे	3,620.31[5]	279.17
	योग–ड.	**21,581.68**	**19,587.53**
च	**राज्य शासन द्वारा कर्जे तथा पेशगियाँ (वसूलियां[6])**	**104.80**	**256.78**
छ	**अंतर्राज्यीय परिशोधन**	**(–) 0.67**	**0.13**
	समेकित निधि में कुल प्राप्तियां[7] (क+ख+ग+घ+ड.+च+छ)	**84,866.84**	**83,717.84**

---

[4] संपूर्ण ₹ 934.85 करोड़ का ऋण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त किया गया।

[5] वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में राज्य के पुनर्भुगतान दायित्वों के बिना ऋण प्राप्ति के रूप में प्रदत्त ₹ 3,109.00 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण सम्मिलित है।

[6] विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड–I में विवरण कमांक 7 एवं खण्ड– II में विवरण संख्या 18 देखें।

[7] विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड–I में विवरण कमांक 2, 6 एवं 7 तथा खण्ड–II में विवरण कमांक 14, 17 एवं 18 देखें।

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण

क–कार्यात्मक व्यय (₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
क	**सामान्य सेवायें**				
क.1	**राज्य के अंग**				
	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	41.54	0.00	0.00	41.54
	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	9.69	0.00	0.00	9.69
	मंत्रि–परिषद	51.92	0.00	0.00	51.92
	न्याय प्रशासन	290.60	0.00	0.00	290.60
	निर्वाचन	70.01	0.00	0.00	70.01
क.2	**राजकोषीय सेवाएं**				
	भू–राजस्व	324.20	0.00	0.00	324.20
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	109.91	0.00	0.00	109.91
	राज्य उत्पाद शुल्क	70.21	0.00	0.00	70.21
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	68.05	0.00	0.00	68.05
	वाहन कर	29.65	0.00	0.00	29.65
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	233.51	0.00	0.00	233.51
क.3	**ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा**				
	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	275.00	0.00	0.00	275.00
	ब्याज की अदायगियाँ	5,633.11	0.00	0.00	5,633.11
क.4	**प्रशासनिक सेवाएं**				
	लोक सेवा आयोग	15.92	0.00	0.00	15.92
	सचिवालय–सामान्य सेवाएं	142.15	0.00	0.00	142.15
	जिला प्रशासन	296.50	0.00	0.00	296.50
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	75.44	0.00	0.00	75.44
	पुलिस	3,909.77	106.22	0.00	4,015.99
	जेल	141.10	0.00	0.00	141.10
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	5.12	0.00	0.00	5.12
	लोक निर्माण–कार्य	480.27	400.11	0.00	880.38
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	176.52	2.70	0.00	179.22
क.5	**पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं**				
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	7,135.79	0.00	0.00	7,135.79
	विविध सामान्य सेवाएं	0.20	0.00	0.00	0.20
	योग–क–सामान्य सेवाएं	**19,586.18**	**509.03**	**0.00**	**20,095.21**

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—जारी

क—कार्यात्मक व्यय—जारी (₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
ख	**सामाजिक सेवाएं**				
ख.1	**शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (कृपया विवरण के नीचे की टीप 1 देखें।)**				
	सामान्य शिक्षा	13,964.06	415.91[1]	0.00	14,379.97
	तकनीकी शिक्षा	164.94	0.00	0.00	164.94
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	30.09	0.00	0.00	30.09
	कला एवं संस्कृति	32.53	0.00	0.00	32.53
ख.2	**स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण**				
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4,924.27	511.71	0.00	5,435.98
	परिवार कल्याण	247.90	0.00	0.00	247.90
ख.3	**जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास**				
	जलपूर्ति तथा सफाई	340.38	907.93	0.00	1,248.31
	आवास	284.29	62.40	0.00	346.69
	शहरी विकास	1,559.45	626.80	0.50	2,186.75
ख.4	**सूचना तथा प्रसारण**				
	सूचना तथा प्रचार	160.81	0.00	0.00	160.81
ख.5	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण**				
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	204.51	358.30	0.00	562.81
ख.6	**श्रमिक तथा श्रम कल्याण**				
	श्रम तथा रोजगार	226.92	0.00	0.00	226.92
ख.7	**समाज कल्याण तथा पोषण**				
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,983.31	34.28	0.00	2,017.59
	पोषण	544.38	0.00	0.00	544.38
	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	378.13	0.00	0.00	378.14
ख.8	**अन्य**				
	अन्य सामाजिक सेवाएं	6.18	17.31	0.00	23.49
	सचिवालय—सामाजिक सेवाएं	14.02	0.00	0.00	14.02
	योग—ख—सामाजिक सेवाएं	**25,066.17**	**2,934.64**	**0.50**	**28,001.32**

[1] उपक्षेत्र ''शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति'' के अंतर्गत ''सामान्य शिक्षा'', ''तकनीकी शिक्षा'', ''खेलकूद एवं युवा सेवाएं'' तथा ''कला एवं संस्कृति'' हेतु पृथक राजस्व व्यय मुख्यशीर्ष है, किन्तु इन राजस्व मुख्यशीर्षो हेतु एक ही पूंजीगत मुख्यशीर्ष–4202–''शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय'' है। इन चार मुख्यशीर्षो के पूंजीगत व्यय मुख्यशीर्ष–4202 के अन्तर्गत उप मुख्यशीर्ष स्तर पर दर्ज किये जाते है। वर्ष 2020–21 में इन शीर्षो में क्रमशः ₹ 364.28 करोड़, ₹ 34.16 करोड़, ₹ 14.47 करोड़ तथा ₹ 3.00 करोड़ राशि दर्ज किये गये है।

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण–जारी

क–कार्यात्मक व्यय–जारी (₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
ग	**आर्थिक सेवाएं–**				
ग.1	**कृषि तथा संबद्ध क्रिया–कलाप**				
	फसल कृषि कर्म	7,519.38	2.98	0.00	7,522.36
	मृदा तथा जल संरक्षण	64.13	16.66	0.00	80.79
	पशुपालन	426.76	5.16	0.00	431.92
	मछली पालन	117.01	1.22	0.00	118.23
	वनिकी तथा वन्य प्राणी	1,039.07	19.98	0.00	1,059.05
	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार	4,311.02	0.00	0.00	4,311.02
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	150.81	37.88	0.00	188.69
	सहकारिता	176.33	0.00	50.00	226.33
	अन्य कृषि कार्यक्रम	13.73	0.00	0.00	13.73
ग.2	**ग्राम विकास**				
	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	281.33	0.00	0.00	281.33
	ग्राम रोजगार	971.90	0.00	0.00	971.90
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2,453.72	350.57	0.00	2,804.29
ग.3	**विशेष क्षेत्र कार्यक्रम**				
ग.4	**सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण**				
	वृहद सिंचाई	89.70	335.25	0.00	424.95
	मध्यम सिंचाई	375.27	71.12	0.00	446.39
	लघु सिंचाई	79.35	705.73	0.00	785.08
	कमान विकास क्षेत्र	1.78	1.38	0.00	3.16
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	0.00	19.89	0.00	19.89
ग.5	**उर्जा**				
	बिजली	4,393.81	52.11	0.00	4,445.92
	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	49.70	500.00	0.00	549.70
ग.6	**उद्योग तथा खनिज**				
	ग्राम तथा लघु उद्योग	175.21	12.47	0.00	187.67
	उद्योग	155.76	0.00	0.00	155.76
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	216.45	0.27	0.00	216.72
	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	13.65	0.00	0.00	13.65
ग.7	**परिवहन**				
	नागर विमानन	0.50	8.70	0.00	9.20
	सड़क तथा सेतु	1,058.30	3,351.28	0.00	4,409.58
	सड़क परिवहन	0.00	3.97	0.00	3.97

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—जारी

क—कार्यात्मक व्यय—समाप्त (₹करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
ग	**आर्थिक सेवाएं—समाप्त**				
ग.8	**संचार**				
	अन्य संचार सेवाएं	35.63	70.00	0.00	105.63
ग.9	**विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण**				
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	8.99	3.00	0.00	11.99
ग.10	**सामान्य आर्थिक सेवाएं**				
	सचिवालय—आर्थिक सेवाएं	19.77	0.00	0.00	19.77
	पर्यटन	21.81	10.90	0.00	32.71
	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	26.71	0.00	0.00	26.71
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	7.60	0.00	0.00	7.60
	योग—ग—आर्थिक सेवाएं	**24,255.18**	**5,580.52**	**50.00**	**29,885.69**
घ	**सहायता अनुदान तथा अंशदान**				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1,125.31	0.00	0.00	1,125.31
	योग—घ—सहायता अनुदान तथा अंशदान	**1,125.31**	**0.00**	**0.00**	**1,125.31**
ड.	**लोक ऋण—**				
	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	7,805.23	7,805.23
	केन्द्र सरकार से कर्जे तथा पेशगियां	0.00	0.00	215.06	215.06
	योग—ड—लोक ऋण	**0.00**	**0.00**	**8,020.29**	**8,020.29**
च	**अंतर्राज्यीय परिशोधन—**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.01**
छ	**आकस्मिकता निधि को विनियोजन**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	योग—समेकित निधि व्यय	**70,032.84**	**9,024.19**	**8,070.80**	**87,127.83**

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण–जारी

ख–व्यय का स्वरूप **(₹ करोड़ में)**

सरल क्रमांक	व्यय के मद	2020–21			2019–20			2018–19		
		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
1	14–सहायक अनुदान	20,975.25	0.00	20,975.25	20,328.74	0.00	20,328.74	22,898.67	0.00	22,898.67
2	01–वेतन	20,656.09	86.45	20,742.54	20,495.12	90.59	20,585.71	16,698.87	95.31	16,794.18
3	13–आर्थिक सहायता	7,307.93	0.00	7,307.93	11,483.23	0.00	11,483.23	8,323.01	0.00	8,323.01
4	12–पेंशन एवं हितलाभ	7,114.99	0.00	7,114.99[2]	6,611.11	0.00	6,611.11	5,403.09	0.00	5,403.09
5	97–निर्माण कार्य	0.99	3,282.80	3,283.79	1.40	3,444.73	3,446.13	0.29	3,970.86	3,971.15
6	35–ब्याज/ऋण अदायगी	5,812.54	41.36[3]	5,853.90	4,978.12	33.23	5,011.35	3,652.60	0.00	3,652.60
7	26–वृहद निर्माण कार्य	0.05	3,260.56	3,260.61	0.00	2,882.37	2,882.37	0.00	2,566.50	2,566.50
8	45–पूंजीगत परि–संपत्तियों का निर्माण	0.00	1,837.67	1,837.67	0.00	1,939.61	1,939.61	0.00	1,998.74	1,998.74
9	25–सामग्री और पूर्तियॉ	2,798.15	2.36	2,800.51	2,421.26	2.30	2,423.56	1,453.91	2.10	1,456.01
10	37–अंतः लेखा अन्तरण	1,344.34	0.00	1,344.34	1,306.50	0.00	1,306.50	1,004.04	0.00	1,004.04
11	42–बीमा	596.33	0.00	596.33	977.26	0.00	977.26	839.74	0.00	839.74
12	24–अनुरक्षण कार्य	848.97	0.00	848.97	859.75	0.29	860.04	763.27	0.21	763.48
13	27–लघु निर्माण कार्य	430.57	518.16	948.73	426.90	221.61	648.51	335.73	302.50	638.23
14	02–मजदूरी	886.95	0.01	886.96	764.94	0.01	764.95	632.66	0.01	632.67
15	11–छात्रवृत्तियां, वृत्तियां एवं अन्य हितलाभ	615.81	0.00	615.81	1,031.95	0.00	1,031.95	577.92	0.00	577.92
16	04–कार्यालय व्यय	616.32	3.43	619.75	668.81	0.75	669.56	514.74	0.85	515.59
17	30–अंशदान	342.72	0.00	342.72	379.41	0.00	379.41	385.02	0.00	385.02
18	07–कार्य भारित/आकस्मिकता स्थापना	334.66	37.98	372.64	362.51	50.75	413.26	332.17	48.58	380.75
19	09–विज्ञापन एवं प्रचार	184.57	0.00	184.57	260.66	0.00	260.66	241.01	0.00	241.01
20	31–क्षतिपूर्ति	22.68	82.45	105.13	27.72	137.62	165.34	16.79	218.66	235.45

[2] मुख्यशीर्ष 2071 के अंतर्गत सेवानिवृत शासकीय कर्मचारियों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों, आदि के सेवानिवृत्ति लाभ की राशि ₹ 7,114.61 करोड़ एवं मुख्यशीर्ष 2235 के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन की राशि ₹ 0.38 करोड़ सम्मिलित है।

[3] राज्य सरकार द्वारा क्रय किये गये 728 फ्लेट हेतु छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा लिये गये ₹ 195.00 करोड़ के ऋण पर राज्य सरकार द्वारा भुगतान किये गये ₹ 27.36 करोड़ का ब्याज एवं दाऊ कल्याण सिह सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटल द्वारा राज्य सरकार की ₹ 64.00 करोड़ प्रत्याभुति के विरूद्ध लिये गये ऋण पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये ब्याज ₹ 14.00 करोड़ सम्मिलित है।

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण–जारी

ख–व्यय का स्वरूप–जारी (₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	व्यय के मद	2020–21			2019–20			2018–19		
		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
21	10–व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियॉं	385.83	24.75	410.58	311.95	8.56	320.51	222.62	3.95	226.57
22	28–मशीन और उपकरण	47.54	282.85	330.39	37.62	95.86	133.48	25.88	137.78	163.66
23	43–निर्वाचन व्यय	28.25	0.00	28.25	190.81	0.00	190.81	100.33	0.00	100.33
24	03–यात्रा भत्ता	52.06	1.75	53.81	111.49	1.96	113.45	98.27	1.92	100.19
25	05–प्रशिक्षण	12.92	0.00	12.92	104.57	0.00	104.57	72.52	0.00	72.52
26	22–शस्त्रास्त्र एवं गोला बारूद	47.49	0.00	47.49	45.37	0.00	45.37	46.53	0.00	46.53
27	29–भूमि एवं भवन की खरीदी	0.00	0.00	0.00	0.00	77.85	77.85	0.00	41.65	41.65
28	17–सम्मेलन	18.72	0.00	18.72	52.61	0.00	52.61	35.77	0.00	35.77
29	74–मेला, उत्सव, प्रदर्शनी	18.71	0.00	18.71	25.77	0.00	25.77	30.73	0.00	30.73
30	89–परिवहन व्यय	51.71	0.00	51.71	49.08	0.00	49.08	30.27	0.00	30.27
31	06–सर्वेक्षण	3.53	31.84	35.37	4.47	14.40	18.87	7.55	17.80	25.35
32	34–वाहनों का क्रय	1.11	24.12	25.23	18.32	15.33	33.65	4.89	18.99	23.88
33	19–गोपनीय सेवा व्यय	15.48	0.00	15.48	15.23	0.00	15.23	14.86	0.00	14.86
34	15–डिक्री धन का भुगतान	4.80	0.25	5.05	11.27	2.43	13.70	3.25	8.10	11.35
35	08–प्रकाशन	5.18	0.00	5.18	6.53	0.00	6.53	11.26	0.00	11.26
36	86–कोचिंग / प्रतियोगितायें	6.45	0.00	6.45	9.88	0.00	9.88	10.03	0.00	10.03
37	32–निवेश	0.00	0.49	0.49	0.00	2.51	2.51	0.00	9.78	9.78
38	18–पारितोषिक	12.48	0.00	12.48	15.92	0.00	15.92	7.50	0.00	7.50
39	63–स्टॉक	11.45	0.00	11.45	14.89	0.00	14.89	6.27	0.00	6.27
40	55–जनसंपर्क दौरे के समय अनुदान	8.33	0.00	8.33	3.43	0.00	3.43	3.32	0.00	3.32
41	50–मंत्री के मोटर गाड़ियो हेतु पेट्रोल	4.79	0.00	4.79	4.72	0.00	4.72	3.16	0.00	3.16
42	57–आतिथ्य व्यय	2.46	0.00	2.46	4.90	0.00	4.90	2.66	0.00	2.66
43	33–औजार एवं सयंत्र	3.38	0.03	3.41	3.04	0.03	3.07	2.07	0.00	2.07
44	52–सुसज्जित आवासो हेतु बिजली तथा पानी	2.53	0.00	2.53	1.39	0.00	1.39	1.22	0.00	1.22
45	49–दैनिक भत्ते	1.29	0.00	1.29	0.94	0.00	0.94	1.01	0.00	1.01
46	72–साज सज्जा पर व्यय	6.66	0.00	6.66	8.54	0.00	8.54	0.95	0.00	0.95

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—समाप्त

ख—व्यय का स्वरूप—समाप्त **(₹ करोड़ में)**

सरल क्रमांक	व्यय के मद	2020—21			2019—20			2018—19		
		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
47	90—पारिश्रमिक	2.65	0.00	2.65	3.72	0.00	3.72	0.87	0.00	0.87
48	69—गैर शासकीय मानदेय	0.88	0.00	0.88	0.87	0.00	0.87	0.78	0.00	0.78
49	44—अनपेक्षित व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75
50	48—निर्वाचन भत्ता	0.81	0.00	0.81	0.65	0.00	0.65	0.70	0.00	0.70
51	21—साक्षियों पर व्यय	0.20	0.00	0.20	0.49	0.00	0.49	0.39	0.00	0.39
52	39—उचंत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(-)0.03	(-)0.03
53	40—घटाइयें—पुर्नप्राप्तियॉ	(-)1,614.76	(-)495.12	(-)2,109.88	(-)966.55	(-)456.40	(-)1,422.95	(-)408.77	(-)540.82	(-)949.59
महायोग		**70,032.84**	**9,024.19**	**79,057.03**[4]	**73,477.31**	**8,566.39**	**82,043.70**	**64,411.17**	**8,903.45**	**73,314.62**

[4] 'ऋण तथा अग्रिम', 'लोक ऋण' एवं 'अंतर्राज्यीय परिशोधन' की राशि क्रमशः ₹ 50.50 करोड़, ₹ 8,020.29 करोड़ एवं ₹ 0.01 करोड़ का व्यय सम्मिलित नहीं है।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019–20 के दौरान व्यय	2019–20 तक प्रगामी व्यय	2020–21 के दौरान व्यय	2020–21 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2020–21 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की प्रतिशतता
क–सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	43.01	277.00	106.22	383.22	(+)146.97
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	4.74	0.00	4.74	0.00
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	148.85	2,202.21	400.11	2,602.32	(+)168.80
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.62	47.84	2.70	50.54	(+)3.05
योग–क–सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा		**194.48**	**2,531.79**	**509.03**	**3,040.82**	**(+)161.74**
ख–सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
(क)	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा					
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	315.32	4,744.76	415.91	5,160.67	(+)31.90
योग–(क)–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा		**315.32**	**4,744.76**	**415.91**	**5,160.67**	**(+)31.90**
(ख)	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा					
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	361.83	2,942.90	511.71	3,454.61	(+)41.42
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	16.30	0.00	16.30	0.00
योग–(ख)–स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा		**361.83**	**2,959.20**	**511.71**	**3,470.91**	**(+)41.42**
(ग)	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा					
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	375.18	1,644.08	907.93	2,552.01	(+)142.00
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	53.34	825.49	62.40	887.89	(+)16.99
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	529.70	5,526.23	626.80	6,153.03	(+)18.33
योग (ग)–जलपूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा		**958.22**	**7,995.80**	**1,597.13**	**9,592.93**	**(+)66.68**
(घ)	सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा					
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.05	1.68	0.00	1.68	(–)100.00
योग–(घ)–सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा		**0.05**	**1.68**	**0.00**	**1.68**	**(–)100.00**

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019–20 के दौरान व्यय	2019–20 तक प्रगामी व्यय	2020–21 के दौरान व्यय	2020–21 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2020–21 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की प्रतिशतता
ख–सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–समाप्त						
(ड)	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा**					
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	230.46	3,547.71	358.30	3,906.01	(+)55.47
योग–(ड़)–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा		**230.46**	**3,547.71**	**358.30**	**3,906.01**	**(+)55.47**
(च)	**समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा**					
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	30.84	763.40	34.28	797.68	(+)11.15
योग–(च)–समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा		**30.84**	**763.40**	**34.28**	**797.68**	**(+)11.15**
(छ)	**अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा–**					
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	15.61	403.74	17.31	421.05	(+)10.89
योग–(छ)–अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा		**15.61**	**403.74**	**17.31**	**421.05**	**(+)10.89**
योग–ख–सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		**1,912.33**	**20,416.29**	**2,934.64**	**23,350.93**	**(+)53.46**
ग–आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–						
(क)	**कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा–**					
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	6.99	31.80	2.98	34.78	(–)57.37
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	24.92	364.58	16.66	381.24	(–)33.15
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	6.85	83.71	5.16	88.87	(–)24.67
4404	दुग्ध विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	3.19	23.60	1.22	24.82	(–)61.76
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	27.17	435.49	19.98	455.47	(–)26.46
4408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.68	83.30	0.00	83.28[1]	(–)100.00
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	26.05	60.11	37.88	97.99	(+)45.41
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	1.68	291.84	0.00	287.01[2]	(–)100.00
4435	अन्य कृषि कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00
योग–(क)–कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा		**97.53**	**1,378.66**	**83.88**	**1,457.69**[3]	**(–)14.00**

[1] सहकारी समितियों/बैंकों के पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 0.02 करोड़ की कमी की गई।
[2] सहकारी समितियों/बैंकों के पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 4.83 करोड़ की कमी की गई।
[3] अंतशेष में ₹ 4.85 करोड़ सहकारी समितियों/बैंकों की पूंजी निवृत्ति के कारण कम की गई।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019–20 के दौरान व्यय	2019–20 तक प्रगामी व्यय	2020–21 के दौरान व्यय	2020–21 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2020–21 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की प्रतिशतता
ग–आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–जारी						
(ख)	**ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा**					
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	505.20	4,837.48	350.57	5,188.05	(–)30.61
योग–(ख)–ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा		**505.20**	**4,837.48**	**350.57**	**5,188.05**	**(–)30.61**
(घ)[4]	**सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा**					
4700	वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	387.39	8,298.24	335.25	8,633.49	(–)13.46
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	58.28	1,977.88	71.12	2,049.00	(+)22.03
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	667.97	11,991.20	705.73	12,696.93	(+)5.65
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1.51	470.13	1.38	471.51	(–)8.61
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	10.21	141.35	19.89	161.24	(+)94.81
योग–(घ)–सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा		**1,125.36**	**22,878.80**	**1,133.37**	**24,012.17**	**(+)0.71**
(ङ)	**ऊर्जा का पूंजीगत लेखा**					
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	42.08	7,477.35	52.11	7,529.46	(+)23.84
4810	अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	474.62	1,677.74	500.00	2,177.74	(+)5.35
योग–(ङ)–ऊर्जा का पूंजीगत लेखा		**516.70**	**9,155.09**	**552.11**	**9,707.20**	**(+)6.85**
(च)	**उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा**					
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	8.85	676.38	12.47	688.85	(+)40.90
4852	लोहा तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	46.39	0.00	46.39	0.00
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.37	4.24	0.27	4.51	(–)27.03
4854	सीमेंट तथा धातुरहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
4858	इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	12.14	0.00	12.14	0.00
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	0.00	26.35	0.00	26.35	0.00
योग–(च)–उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा		**9.22**	**768.71**	**12.74**	**781.45**	**(+)38.18**

[4] उपक्षेत्र 'ग' 'विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के पूंजीगत लेखा' के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष 4551, 4552 एवं 4575 के अन्तर्गत कोई भी व्यय दर्ज नहीं किया गया है।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण–समाप्त

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019–20 के दौरान व्यय	2019–20 तक प्रगामी व्यय	2020–21 के दौरान व्यय	2020–21 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2020–21 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की प्रतिशतता
ग–आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–समाप्त						
(छ)	**परिवहन का पूंजीगत लेखा**					
5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	7.03	212.44	8.70	221.14	(+)23.76
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,928.86	30,008.09	3,351.28	33,359.37	(–)14.70
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	6.00	51.33	3.97	55.30	(–)33.83
योग–(छ)–परिवहन का पूंजीगत लेखा		**3,941.89**	**30,271.86**	**3,363.95**	**33,635.81**	**(–)14.66**
(ज)	**संचार का पूंजीगत लेखा**					
5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	250.00	466.96	70.00	536.96	(–)72.00
योग–(ज)– संचार का पूंजीगत लेखा		**250.00**	**466.96**	**70.00**	**536.96**	**(–)72.00**
(झ)	**विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा**					
5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	11.04	3.00	14.04	(+)100.00
योग–(झ)–विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा		**0.00**	**11.04**	**3.00**	**14.04**	**(+)100.00**
(ञ)	**सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा**					
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	13.68	173.01	10.90	183.91	(–)20.32
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00
योग–(ञ)–सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		**13.68**	**177.15**	**10.90**	**188.05**	**(–)20.32**
योग–ग–आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		**6,459.58**	**69,945.75**	**5,580.52**	**75,521.42**[5]	**(–)13.61**
महायोग		**8,566.39**	**92,893.83**	**9,024.19**	**1,01,913.17**[6]	**(+)5.34**

व्याख्यात्मक टिप्पणियॉ

1. छत्तीसगढ राज्य के गठन के समय से वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 के अंत तक राज्य सरकार का विभिन्न कम्पनी/निगमों/सरकारी समितियों एवं बैंकों की अंश पूंजी में कुल निवल निवेश क्रमशः ₹ 7,268.04 करोड़, ₹ 7,265.79 करोड़ तथा ₹ 7,261.30[7] करोड़ है।
2. उक्त निवेश से वर्ष 2018–19 में ₹ 1.49 करोड़, वर्ष 2019–20 में ₹ 2.39 करोड़ तथा 2020–21 मे ₹ 2.29 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ।
3. अन्य जानकारियॉ विवरण क्रमांक 19–सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण में दिए गए हैं।

---

[5] सहकारी समितियों/बैंकों के पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 4.85 करोड़ की कमी की गई।

[6] सहकारी समितियों/बैंकों के पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 4.85 करोड़ की कमी की गई।

[7] छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि से संयुक्त उपक्रम कम्पनियों (छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे मर्यादित, छत्तीसगढ़ पूर्व–पश्चिम रेलवे मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ रेलवे निगम मर्यादित) के अंशपूंजी में निवेशित ₹ 142.20 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों[1] का विवरण

(₹ करोड़ में)

उधारों का स्वरूप	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	31 मार्च 2021 को शेष	निवल वृद्धि(+)/कमी(–)		कुल दायित्वों का *प्रतिशत*
					राशि	*प्रतिशत*	
(क)–लोक ऋण							
6003–राज्य सरकार का आंतरिक ऋण							
बाज़ार कर्ज	50,432.10	13,000.00	2,500.00	60,932.10	(+)10,500.00	(+)20.82	65.72
प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	918.53	0.00	0.00	918.53	0.00	0.00	0.99
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	4,601.06	934.85	822.83	4,713.08	(+)112.02	(+)2.43	5.08
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	4,430.98	0.00	455.88	3,975.10	(–)455.88	(–)10.29	4.29
विशेष आहरण सुविधा	0.00	4,026.52	4,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00
योग–6003	**60,382.67**	**17,961.37**	**7,805.23**	**70,538.81**	**(+)10,156.14**	**(+)16.82**	**76.08**
6004–केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा अग्रिम							
01–योजनेतर कर्ज	0.56	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
02–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	1,486.63	0.00	215.06	1,271.57	(–)215.06	(–)14.47	1.37
03–केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
07–1984–85 पूर्व के कर्ज	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
09–राज्य/विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र के योजनाओं के लिए अन्य कर्ज	1,275.98	3,620.31[2,3]	0.00	4,896.29	(+)3,620.31	(+)283.73	5.28
योग–6004	**2,764.05**	**3,620.31**	**215.06**	**6,169.30**	**(+)3,405.25**	**(+)123.20**	**6.65**
योग–लोक ऋण	**63,146.72**	**21,581.68**	**8,020.29**	**76,708.11**	**(+)13,561.39**	**(+)21.48**	**82.73**
(ख)–अन्य दायित्व							
लोक लेखा							
अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	7,617.67	1,690.60	1,286.87	8,021.40	(+)403.73	(+)5.30	8.65
ब्याज वाली आरक्षित निधियां	1,101.77	5,386.32	5,873.25	614.84	(–)486.93	(–)44.20	0.66
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	1,363.01	670.85	649.10	1,384.76	(+)21.75	(+)1.60	1.50

[1] विस्तृत लेखा पृष्ठ क्रमांक 337 से 352 में दिए गए है।

[2] वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में राज्य के पुनर्भुगतान दायित्वों के बिना ऋण प्राप्ति के रूप में प्रदत्त ₹ 3,109.00 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण सम्मिलित है।

[3] इसमें ''पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना'' के अन्तर्गत ब्लॉक ऋण के रूप में ₹ 286.00 करोड़ भी सम्मिलित है।

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण–जारी

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण–समाप्त

(₹ करोड़ में)

उधारों का स्वरूप	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान अदायगियॉ	31 मार्च 2021 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (–)		कुल दायित्वों का *प्रतिशत*
					राशि	*प्रतिशत*	
(ख)–अन्य दायित्व–समाप्त							
लोक लेखा–समाप्त							
ब्याज वाली जमा	37.29	1,141.51	1,145.64	33.16	(–)4.13	(–)11.08	0.04
बिना ब्याज वाली जमा	5,446.00	2,952.91	2,446.96	5,951.95	(+)505.95	(+)9.29	6.42
योग–(ख) अन्य दायित्व	**15,565.74**	**11,842.19**	**11,401.82**	**16,006.11**	**(+)440.37**	**(+)2.83**	**17.27**
योग–लोक ऋण तथा अन्य दायित्व	**78,712.46**	**33,423.87**	**19,422.11**	**92,714.22**[4]	**(+)14,001.76**	**(+)17.79**	**100.00**

(ii) विवरण क्रमांक 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियॉ

1. परिशोधन हेतु व्यवस्था :

राज्य सरकार द्वारा निक्षेप निधि को प्रतिस्थापित करते हुए वर्ष 2006–07 से समेकित निक्षेप निधि का गठन किया गया। यह निधि वर्ष 2011–12 से राज्य सरकार के बकाया दायित्वों (आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखा दायित्वों) के परिशोधन में उपयोग किया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा इस निधि में गत वर्ष के अन्त में कुल शेष दायित्वों का न्यूनतम 0.50 *प्रतिशत* अंशदान किया जायेगा जिसका स्रोत सामान्य राजस्व या अन्य स्रोत जैसे– विनिवेश से प्राप्त राजस्व, होगा। वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार द्वारा बकाया दायित्वों के परिशोधन हेतु इस निधि का उपयोग नहीं किया गया है। निधि में वर्ष के प्रारंभ तथा वर्ष के अन्त में अवशेष निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

निधि का नाम	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान आहरण	31 मार्च 2021 को शेष
समेकित निक्षेप निधि	2,311.94	275.00	0.00	2,586.94

मार्च 2021 के अंत तक निक्षेप निधि का कुल शेष ₹ 2,586.94 करोड़ को भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया गया।

[4] वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में राज्य के पुनर्भुगतान दायित्वों के बिना ऋण प्राप्ति के रूप में वर्ष 2020–21 के दौरान प्रदत्त ₹ 3,109.00 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण सम्मिलित है।

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण–जारी

(ii) विवरण 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियॉ–जारी

2. **अल्प बचत निधि से कर्ज :** डाक घर में ''अल्प बचत योजना'' तथा ''लोक भविष्य निधि'' के संग्रहण से कर्जों का राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के मध्य बांटा जाता है। अल्प बचत संग्रहणों से कर्जे विमुक्त करने के उद्देश्य से ''राष्ट्रीय अल्प बचत निधि'' नाम से एक पृथक निधि वर्ष 1999–2000 में गठ़ित की गई। चौदहवे वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि राज्यों को राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के संचालन से बाहर रखा जाये। इस अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय कैबिनेट ने 18 जनवरी 2017 को ''राष्ट्रीय अल्प बचत निधि'' के निवेश से सभी राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, केरला तथा मध्य प्रदेश को छोड़कर) को बाहर रखे जाने को अनुमोदन किया तथा राज्य के निवेश केवल 01 अप्रैल 2017 तक के बकाया ऋण के भुगतान तक सीमित रहेगा। इसके अनुसार राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 से ''राष्ट्रीय अल्प बचत निधि'' से ऋण प्राप्त नही किया गया है। वर्ष 2020–21 में ₹ 455.88 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया तथा ₹ 416.82 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया गया। वर्ष के अंत में ₹ 3,975.10 करोड़ का शेष बकाया था जो कि 31 मार्च 2021 के राज्य शासन की कुल दायित्वों का 4.29 *प्रतिशत* था। 31 मार्च 2016 तक ''राष्ट्रीय अल्प बचत निधि'' से प्राप्त किये गये ऋण वर्ष 2038–39 में पूर्ण भूगतान किया जावेगा।

3. **भारत सरकार से कर्ज आदि** : 31 मार्च 2021 तक भारत सरकार से प्राप्त कर्जे, कुल दायित्वों का 6.65 *प्रतिशत* था। वर्ष 2020–21 के दौरान भारत सरकार से ₹ 3,620.31 करोड़ का कर्ज प्राप्त हुआ। 2020–21 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा ₹ 215.06 करोड़ के कर्ज का पुनर्भुगतान किया गया तथा ₹ 118.84 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया।

4. **बाजार कर्ज :** वर्ष 2020–21 में 8.04 *प्रतिशत* छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2020 तथा 7.64 *प्रतिशत* छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2021 से संबंधित क्रमशः ₹ 1,000.00 करोड़ एवं ₹ 1,500.00 करोड़ का कर्ज उन्मुक्त किया गया।

5. **वित्तीय संस्थाओं से कर्ज :** उधारों की इस श्रेणी में सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं जैसे :– भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड से प्राप्त किए गए कर्जे सम्मिलित हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ₹ 934.85 करोड़ के कर्ज प्राप्त किए एवं ₹ 822.83 करोड़ का पुनर्भुगतान (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ₹ 822.30 करोड़, भारतीय सामान्य बीमा निगम ₹ 0.40 करोड़ एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ₹ 0.13 करोड़) किये गए। 31 मार्च 2021 के अंत में इस प्रकार के बकाया कर्जों का शेष ₹ 4,713.08 करोड़ था। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त कर्जों पर राज्य सरकार ने ₹ 226.09 करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान किया। कर्जों के पूर्ण जानकारी विवरण क्रमांक 17 और इसके अनुलग्नक में दिए गए हैं।

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण–समाप्त

(ii) विवरण 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियां–समाप्त

6. ऋण सेवाएं :

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज : बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्वों तथा ब्याज प्रभारो की निवल राशियां जिन्हे 2020–21 के दौरान राजस्व से पूर्ति किए गए है, नीचे दर्शाई गई हैं :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2020–21	2019–20	निवल वृद्धि (+)/ कमी (–)
(i) वर्ष के अंत में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व				
(क)	लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधियॉ आदि	84,729.51	70,764.39	(+)13,965.12
(ख)	अन्य दायित्वों	7,984.71	7,948.07	(+)36.64
	योग–(i)	**92,714.22**[4]	**78,712.46**	**(+)14,001.76**
(ii) राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज				
(क)	लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधियॉ आदि पर	5,181.41	4,762.19	(+)419.22
(ख)	आफ बजट लाईबिलिटीज	212.20[5]	129.79	(+)82.41
(ग)	अन्य दायित्वों पर	239.50	78.36	(+)161.14
	योग–(ii)	**5,633.11**	**4,970.34**	**(+)662.77**
(iii) घटायें –				
(क)	अन्य कर्जों और पेशगियों पर ब्याज	6.88	1.67	(+)5.21
(ख)	रोकड शेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज	29.66	196.10	(–)166.44
	योग–(iii)	**36.54**	**197.77**	**(–)161.23**
ब्याज प्रभारों की निवल राशि		**5,596.57**	**4,772.57**	**(+)824.00**
1.	सकल ऋण से सकल ब्याज का *प्रतिशत*	6.08	6.31	(–)0.23
2.	कुल राजस्व प्राप्तियों से सकल ब्याज का *प्रतिशत* [6]	8.92	7.78	(+)1.14
3.	कुल राजस्व प्राप्तियों से निवल ब्याज का *प्रतिशत*	8.86	7.47	(+)1.39

इसके अतिरिक्त ''विविध'' लेखा से (₹ 53.23 करोड़) ब्याज प्राप्त किये गये। यदि इन्हें भी घटाया जाता तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹ 5,543.34 करोड़ होता, जो कुल राजस्व का 8.77 *प्रतिशत* है।

वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न कम्पनियों/कार्पोरेशन में किये गये निवेश से ₹ 2.29 करोड़ का लाभांश प्राप्त किया गया।

7. ऋण में कमी करने या परिहार के लिए विनियोजन : वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य शासन द्वारा ऋण में कमी या परिहार हेतु ₹ 275.00 करोड़ का व्यय किया गया है।

---

[5] 'ऑफ बजट लायबिलिटीज़' तीन संस्थाओं अर्थात छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन मर्यादित एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा शासकीय प्रत्याभूति के विरूद्ध प्राप्त किया गया ऋण को प्रदर्शित करते है जिसका मूलधन एवं ब्याज का भुगतान बजट प्रावधान के माध्यम से करने का दायित्व राज्य शासन द्वारा ग्रहण किया गया। वर्ष के दौरान, राज्य शासन द्वारा उक्त तीनों संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋण पर ₹ 212.20 करोड़ (ब्याज ₹ 188.01 करोड़ तथा मूलधन ₹ 24.19 करोड़) का ब्याज भुगतान बजट शीर्ष 2049 में दर्ज किया गया।

[6] वर्ष 2020–21 में कुल राजस्व प्राप्तियॉ ₹ 63,176.18 करोड़ है।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण

भाग 1 : कर्ज तथा उधार का सारांश ऋणी समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2020 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्रदत राशि	वर्ष के दौरान वापस अदा की गई राशि	ऋणों तथा पेशगियों का अपलेखन किया गया	31 मार्च 2021 को बकाया शेष (2+3)–(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)कमी (-) (6–2)	बकाया ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सांविधिक निगम	112.83	0.00	44.31	0.00	68.52	(–)44.31	0.00
सरकारी कम्पनियॉ	381.93	0.00	0.00	0.00	381.93	0.00	5.57
विश्वविद्यालयों / शैक्षणिक संस्थाएं	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00
पंचायती राज संस्थाएं	13.08	0.00	0.98	0.00	12.10	(–)0.98	0.00
नगर पालिकायें / नगर परिषद् / नगर निगम	324.57[1]	0.00	38.55	0.00	286.02	(–)38.55	0.00
शहरी विकास प्राधिकरण	108.11[2]	0.50	0.00	0.00	108.61	(+)0.50	0.00
गृह निर्माण मंडल	49.30	0.00	0.00	0.00	49.30	0.00	0.00
सहकारी संस्थाएं / सहकारी निगम / बैंक	363.45[1]	50.00	20.93	0.00	392.52	(+)29.07	105.77
अन्य	37.03[2]	0.00	0.01	0.00	37.02	(–)0.01	0.46
शासकीय सेवक	5.87	0.00	0.02	0.00	5.85	(–)0.02	0.00
योग–ऋण तथा पेशगियॉ	**1,397.08**	**50.50**	**104.80**	**0.00**	**1,342.78**	**(–)54.30**	**111.80**

[1] पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की कमी की गई।
[2] पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि की गई।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण–जारी
भाग 1 : कर्ज तथा उधार का सारांश ऋणी समूहवार–समाप्त

निम्नानुसार प्रकरणों में ''शाश्वतकालीन ऋण'' स्वीकृत किये गये है :–

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	ऋणी संस्था	अनुज्ञप्ति का वर्ष	अनुज्ञप्ति का आदेश क्रमांक	राशि	ब्याज का दर
इस प्रकार का प्रकरण निरंक है।					

भाग 2 : कर्ज तथा उधार का सारांश : प्रक्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

प्रक्षेत्र	1 अप्रैल 2020 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्रदत राशि	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	वर्ष के दौरान ऋणों तथा पेशगियों को अपलेखित की गई राशि	31 मार्च 2021 को बकाया शेष (2+3)–(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (–) (6–2)	बकाया ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सामान्य सेवायें							
सरकारी कम्पनियॉ	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
योग–सामान्य सेवाएं	**75.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75.00**	**0.00**	**0.00**
सामाजिक सेवायें							
विश्वविद्यालयों / शैक्षणिक संस्थाएं	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00
नगर निगम, नगर पालिकायें / नगर परिषद / नगर पंचायत	324.46[1]	0.00	38.55	0.00	285.91	(-)38.55	0.00
शहरी विकास प्राधिकरण	108.11[2]	0.50	0.00	0.00	108.61	(+)0.50	0.00
गृह निर्माण मंडल	49.30	0.00	0.00	0.00	49.30	0.00	0.00
सांविधिक निगमों	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00
अन्य	5.16	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	0.00
योग–सामाजिक सेवायें	**488.48**	**0.50**	**38.55**	**0.00**	**450.43**	**(-)38.05**	**0.00**
आर्थिक सेवायें							
पंचायती राज संस्थाएं	13.08	0.00	0.98	0.00	12.10	(–)0.98	0.00
नगर निगम, नगर पालिकायें / नगर परिषद / नगर पंचायत	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
सांविधिक निगम	112.29	0.00	44.31	0.00	67.98	(–)44.31	0.00
सरकारी कम्पनियॉ	306.93	0.00	0.00	0.00	306.93	0.00	5.57
सहकारी समितियॉ / बैंक	363.45[1]	50.00	20.93	0.00	392.52	(+)29.07	105.77
अन्य	31.87[2]	0.00	0.01	0.00	31.86	(–)0.01	0.46
योग–आर्थिक सेवायें	**827.73**	**50.00**	**66.23**	**0.00**	**811.50**	**(–)16.23**	**111.80**

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण–जारी
भाग 2 : कर्ज तथा उधार का सारांश : प्रक्षेत्रवार–समाप्त

(₹ करोड़ में)

प्रक्षेत्र	1 अप्रैल 2020 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्रदत राशि	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	वर्ष के दौरान ऋणों तथा पेशगियों को अपलेखित की गई राशि	31 मार्च 2021 को बकाया शेष (2+3)–(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (–) (6–2)	बकाया ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शासकीय कर्मचारियों को कर्जे तथा पेशगियॉ	5.87	0.00	0.02	0.00	5.85	(–)0.02	0.00
योग–शासकीय कर्मचारियों को कर्जे तथा पेशगियॉ	**5.87**	**0.00**	**0.02**	**0.00**	**5.85**	**(–)0.02**	**0.00**
योग	**1,397.08**	**50.50**	**104.80**	**0.00**	**1,342.78**	**(–)54.30**	**111.80**

भाग 3 : ऋणी संस्थाओं से बकाया कर्जो का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	बकाया ऋण राशि (31 मार्च 2021 की स्थिति में)			निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	दिनांक 31 मार्च 2021 की स्थिति में संस्थाओं के विरूद्ध कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरकारी कम्पनियॉ[3]					
छत्तीसगढ़ उद्योग विकास निगम	0.00	5.57	5.57	2005–06	0.00
सहकारी समितियॉ/बैंक/शक्कर कारखाना					
भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना (6425)	64.00	19.40	83.40	2016–17	77.00
दन्तेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना (6425)	74.82	28.03	102.85	2011–12	74.82
महामाया सहकारी शक्कर कारखाना (6425)	70.67	35.25	105.92	2010–11	103.67
लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना (6425)	82.00	21.37	103.37	2017–18	95.00
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (6408)	12.37	0.20	12.57	2019–20	7.93#
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना–जगदलपुर (6425)	1.27	1.03	2.30	2000–01 के पूर्व	0.24#
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना–जशपुर (6425)	0.48	0.22	0.70	2000–01 के पूर्व	0.43#
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना–रायगढ (6425)	0.47	0.18	0.65	2000–01 के पूर्व	1.41
थोक उपभोक्ता भण्डार जगदलपुर (6425)	0.01	0.01	0.02	2014–15	0.01

शेष पुनर्मिलान के अधीन है।

[3] छत्तीसगढ़ राज्य पावर जनरेशन कंपनी एवं छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बकाया ऋण की जानकारी अपेक्षित है।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण–जारी
भाग 3 : ऋणी संस्थाओं से बकाया कर्जो का सारांश–जारी

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	बकाया ऋण राशि (31 मार्च 2021 की स्थिति में)			निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	दिनांक 31 मार्च 2021 की स्थिति में संस्थाओं के विरूद्ध कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहकारी समितियॉ/बैंक/शक्कर कारखाना					
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, डोंडीलोहारा (6408)	0.01	0.01	0.02	2014–15	0.01
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, सारागांव (6408)	0.03	0.02	0.05	2015–16	0.03
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, अकलतरा (6408)	0.14	0.05	0.19	2015–16	0.14
अन्य					
रायपुर दुग्ध संघ (6403)	1.30	0.00	1.30	2000–01 के पूर्व	1.30
छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास मंडल (7452)	5.50	0.00	5.50	2009–10	5.50
मेसर्स कंचन स्टोन, बरबसपुर, महासमुन्द (6851)	0.02	0.02	0.04	2016–17	0.02
मेसर्स एम.आई. पालीमर्स, उरला, रायपुर (6851)	0.00	0.02	0.02	2013–14	0.00
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति के लिए कर्ज (6202)	0.90	0.00	0.90	2000–01 के पूर्व	0.91
	0.01	0.00	0.01	2000–01 के पश्चात	
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज (6210)	0.03	0.00	0.03	2000–01 के पूर्व	0.03
जल पूर्ति एवं सफाई के लिए कर्ज (6215)	26.57	0.00	26.57	2000–01 के पूर्व	26.57
आवास के लिए कर्ज (6216)	49.30	0.00	49.30	2000–01 के पूर्व	49.30
शहरी विकास के लिए कर्ज (6217)	18.64	0.00	18.64	2000–01 के पूर्व	24.50
	5.86	0.00	5.86	2000–01 के पश्चात	
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिये कर्ज (6225)	2.71	0.00	2.71	2000–01 के पूर्व	2.71
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज (6235)	1.16	0.00	1.16	2000–01 के पूर्व	1.23
	0.07	0.00	0.07	2000–01 के पश्चात	
प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए कर्ज (6245)	0.83	0.00	0.83	2000–01 के पूर्व	0.83
अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज (6250)	0.91	0.00	0.91	2000–01 के पूर्व	0.91
फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज (6401)	20.90	0.00	20.90	2000–01 के पूर्व	24.54
	3.64	0.00	3.64	2000–01 के पूर्व	
मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज (6402)	8.06	0.00	8.06	2000–01 के पूर्व	8.06
पशु पालन के लिए कर्ज (6403)	0.26	0.00	0.26	2000–01 के पूर्व	0.26
डेयरी विकास के लिए कर्ज (6404)	0.01	0.00	0.01	2000–01 के पूर्व	0.01
वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए कर्ज (6406)	12.75	0.00	12.75	2000–01 के पूर्व	12.75

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण–समाप्त
भाग 3 : ऋणी संस्थाओं से बकाया कर्जो का सारांश–समाप्त

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	बकाया ऋण राशि (31 मार्च 2021 की स्थिति में)			निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	दिनांक 31 मार्च 2021 की स्थिति में संस्थाओं के विरूद्ध कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अन्य					
खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज (6408)	5.14	0.00	5.14	2000–01 के पूर्व	5.14
सहकारिता के लिए कर्ज (6425)	17.25	0.42	17.67	2000–01 के पूर्व	17.25
अन्य कृषि कार्यक्रमों के लिए कर्ज (6435)	0.03	0.00	0.03	2000–01 के पूर्व	0.03
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कर्ज (6515)	0.58	0.00	0.58	2000–01 के पूर्व	0.58
लघु सिंचाई के लिए कर्ज (6702)	0.12	0.00	0.12	2000–01 के पूर्व	0.12
कमान क्षेत्र विकास के लिए कर्ज (6705)	0.05	0.00	0.05	2000–01 के पूर्व	0.05
बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज (6801)	271.74	0.00	271.74	2000–01 के पूर्व	271.74
ग्राम तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज (6851)	1.81	0.00	1.81	2000–01 के पूर्व	1.82
	0.01	0.00	0.01	2005–06 के पूर्व	
अलौह तथा धातु–कर्म उद्योग के लिए कर्ज (6853)	0.01	0.00	0.01	2000–01 के पूर्व	0.01
उपभोक्ता उद्योग के लिए कर्ज (6860)	1.56	0.00	1.56	2000–01 के पूर्व	1.56
उद्योग तथा खनिज पर अन्य कर्जे (6885)	6.43	0.00	6.43	2000–01 के पूर्व	6.43
सड़क परिवहन के लिए कर्ज (7055)	6.17	0.00	6.17	2000–01 के पूर्व	6.17
पर्यटन के लिये कर्ज (7452)	0.03	0.00	0.03	2000–01 के पूर्व	0.03
सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए कर्ज (7465)	0.01	0.00	0.01	2000–01 के पूर्व	0.01
योग	**776.64**	**111.80**	**888.44**		**831.06**

नोट : राज्य पुनर्गठन होने के फलस्वरूप वर्ष 2000–01 के पूर्ववर्ती काल के ऋण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को प्रभाजित किये गये है।

8. वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों के अंशपूंजी तथा ऋण पत्रों में सरकार के निवेशों का तुलनात्मक सार

(₹ करोड़ में)

प्रतिष्ठान का नाम	2020–21			2019–20		
	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश
सांविधिक निगम	10	88.34	0.00	10	87.88	0.40
सरकारी कम्पनियॉ	28	6,683.34	2.25	28	6,683.34	1.55
संयुक्त स्टॉक कम्पनियॉ	22	145.21	0.00	22	145.21	0.00
ग्रामीण बैंक	02	25.15	0.00	02	25.15	0.00
सहकारी संस्थाएं तथा स्थानीय निकाय	1460	319.26	0.04	1460	324.21	0.44
योग	**1522**	**7,261.30**	**2.29**	**1522**	**7,265.79**	**2.39**

9. सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण

वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंम्पानियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों आदि को चुकाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ[1] तथा 31 मार्च 2021 को विभिन्न प्रक्षेत्रों में बकाया प्रत्याभूती की राशि निम्नानुसार दर्शाया गया है :–

क्षेत्रवार प्रत्याभूती

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्टक में)	31 मार्च 2021 की स्थिति में प्रत्याभूती की अधिकतम राशि	वर्ष 2020 के प्रारम्भ में बकाया राशि (01.04.2020)	वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूती	निरस्त की गई प्रत्याभूती (प्रत्याभूती के भुगतान की जाने के अलावा)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूती के विरूद्ध भुगतान		2021 के अन्त में बकाया राशि (31.03.2021)	प्रत्याभूती कमीशन अथवा फीस		अन्य विवरण
					उन्मोचित	अनुन्मोचित	मूलधन	प्राप्य	प्राप्त	
ऊर्जा (5)	2,455.00	1,504.38[2]	12.69[3]	429.44	0.00	0.00	1,087.63	0.00	0.00	निरंक
सहकारिता (20)	14,845.81[4]	13,829.87	1,945.48[5]	1,348.90	0.00	0.00	14,426.45	74.58	74.59	निरंक
राज्य वित्त निगम (59)	392.40	112.10	0.00	9.71	0.00	0.00	102.39	0.00	0.00	निरंक
शहरी विकास तथा आवास (93)	8,137.49[6]	2,487.39[7]	1,224.16[8]	81.74	0.00	0.00	3,629.81	2.00	0.00	निरंक
अन्य (3)	864.09[9]	535.68[10]	78.45	24.28	0.00	0.00	589.85	0.00	0.00	निरंक
योग	**26,694.79[4]**	**18,469.42[10]**	**3,260.78**	**1,894.07**	**0.00**	**0.00**	**19,836.13**	**76.58**	**74.59**	**निरंक**

1 संस्थावार प्रत्याभूति का वर्णन खण्ड–II के विवरण क्रमांक 20 में दर्शाया गया है।

2 पूर्णांक के कारण ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि की गई।

3 ₹ 12.69 करोड़ की वृद्धि स्थगन राशि को ऋण में रूपान्तरण के कारण है।

4 ₹ 1,300.00 करोड़ की कमी की गई। चालू वर्ष में ₹ 1,000.00 करोड़ की प्रत्याभूति विलोपित की गई जो छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से संबंधित है एवं छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ, रायपुर से संबंधित ₹ 1,300.00 करोड़ की एक प्रत्याभूति में से ₹ 300.00 करोड़ की आंशिक समर्पण के कारण प्रत्याभूति की अधिकतम राशि में कमी हुई।

5 वर्ष के दौरान पुरानी प्रत्याभूति के विरूद्ध ₹ 1,945.48 करोड़ का नया ऋण छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ, रायपुर द्वारा लिया गया।

6 वर्ष 2017–18 में छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 6,424 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹ 800.00 करोड़ का केनरा बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु एवं वर्ष 2018–19 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने आवासीय भवनों के क्रय हेतु इलाहाबाद बैंक से ₹ 195.00 करोड़ के ऋण प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को प्रत्याभूति प्रदान की। वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 800.00 करोड़ की प्रत्याभूति के विरूद्ध ₹ 106.72 करोड़ का ऋण प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) को प्रधान मंत्री आवास योजना–हाउसिंग फार ऑल के अन्तर्गत राज्य शासन का हिस्सा हेतु ₹ 3,357.00 करोड की प्रत्याभूति जारी किया गया तथा प्रत्याभूति की शर्ते अनुसार प्रत्याभूति के विरूद्ध प्राप्त ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य शासन का होगा। वर्ष 2020–21 के दौरान इस प्रत्याभूति के विरूद्ध ₹ 325.00 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल एवं राज्य शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्याभूती के विरूद्ध प्राप्त ऋण राज्य शासन का ऑफ बजट दायित्व है जिसका मूलधन एवं ब्याज का भुगतान हेतु राज्य शासन द्वारा बजट प्रावधान किया जाता है।

7 पूर्णांक के कारण ₹ 0.01 करोड़ की कमी की गई।

8 वर्ष के दौरान पुरानी प्रत्याभूति के विरूद्ध ₹ 792.44 करोड़ का छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम के द्वारा नया ऋण लिया गया।

9 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 10,000 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ शासन ने दो वित्तीय संस्थानों इलाहाबाद बैंक से ₹ 400.00 करोड़ तथा केनरा बैंक से ₹ 400.00 करोड़ (कुल ₹ 800.00 करोड़) की ऋण प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन को वर्ष 2017–18 में ₹ 800.00 करोड़ की प्रत्याभूति प्रदान की। वर्ष 2020–21 के दौरान इस प्रत्याभूति के विरूद्ध ₹ 78.45 करोड़ का ऋण लिया गया। उक्त प्रत्याभूती के विरूद्ध प्राप्त ऋण राज्य शासन का ऑफ बजट दायित्व है जिसका मूलधन एवं ब्याज का भुगतान हेतु राज्य शासन द्वारा बजट प्रावधान किया जाता है।

10 दाऊ कल्याण सिंह पोस्ट ग्रज्यूएट संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र से प्राप्त जानकारी के आधार पर ₹ 10.06 करोड़ की वृद्धि की गई।

10. सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण

(i) नकद भुगतान की गई सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

ग्रांटी का वर्ग / नाम		वर्ष 2020–21 में सहायता अनुदान के रूप में कुल विमुक्त राशि			कालम क्रमांक (2) की कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु प्रदत्त राशि		
(1)		(2)			(3)		
		राज्य निधि से व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. / के.क्षे.यो. सहित)	योग	राज्य निधि से व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. / के.क्षे.यो. सहित)	योग
1.	**पंचायती राज संस्थायें**						
	(i) जिला पंचायत	341.98	1,059.17	1,401.15	0.00	0.00	0.00
	(ii) जनपद पंचायत	439.40	0.00	439.40	0.00	0.00	0.00
	(iii) ग्राम पंचायत	2,574.51	6.73	2,581.24	103.61	0.00	103.61
2.	**शहरी स्थानीय निकाय**						
	(i) नगर निगम	1,363.35	948.70	2,312.05	298.44	0.00	298.44
	(ii) नगर पालिका परिषद	576.40	40.79	617.19	163.73	0.00	163.73
	(iii) नगर पंचायत	596.31	28.62	624.93	214.25	0.00	214.25
3.	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**						
	(i) शासकीय कम्पनियॉ	1,826.14	0.00	1,826.14	200.04	0.00	200.04
	(ii) सांविधिक निगम	17.90	2.65	20.55	0.00	0.00	0.00
4.	**स्वशासी निकाय**						
	(i) विश्वविद्यालय	204.97	0.00	204.97	0.00	0.00	0.00
	(ii) विकास प्राधिकरण	159.03	70.90	229.93	89.36	70.90	160.26
	(iii) सहकारी संस्थाएं	140.72	0.00	140.72	0.00	0.00	0.00
	(iv) अन्य	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
5.	**अशासकीय संगठन**	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50
6.	**अन्य (सरल क्रमांक 1 से 5 के अतिरिक्त)**	8,801.25	3,602.25	12,403.50[1]	637.99	243.00	880.99
योग		**17,053.11**	**5,759.81**	**22,812.92**[2]	**1,707.92**	**313.90**	**2,021.82**[3]

1 सहायता अनुदान में आयोग (₹ 7.10 करोड़), महाविद्यालय (₹ 77.08 करोड़), मण्डल (₹ 45.03 करोड़), समिति (सहकारी समितियों के अलावा) (₹ 2,017.92 करोड़), एसोसिएशन (₹ 2.08 करोड़), व्यक्तिगत अनुदान (₹ 1,256.29 करोड़), जल समितियॉ (₹ 3.97 करोड़), अशासकीय संगठन (₹ 11.00 करोड़), अकादमी (₹ 2.14 करोड़), सरकारी संगीत स्कूल (₹ 0.28 करोड़), अभिकरण (₹ 942.78 करोड़), फाऊन्डेशन (₹ 0.04 करोड़), संघ (₹ 40.97 करोड़), विद्यालय (₹ 190.54 करोड़), परिषद (₹ 24.26 करोड़), संस्थाएं (₹ 9.55 करोड़), केन्द्र (₹ 24.35 करोड़), कमेटी (₹ 0.91 करोड़), पशुपालन अस्पताल एवं औषधालय (₹ 1.27 करोड़), मिशन (₹ 1,064.35 करोड़), मत्स्य सहकारी समितियॉ (₹ 14.92 करोड़), स्वयं सहायता समूह (₹ 6.05 करोड़), पूजारी एवं सेवादार (₹ 0.17 करोड़) एवं अन्य (₹ 6,660.45 करोड़) सम्मिलित है।

2 उद्देश्य शीर्ष 14–सहायता अनुदान (₹ 20,975.25 करोड़) एवं उद्देश्य शीर्ष 45–पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान (₹ 1,837.67 करोड़) के अन्तर्गत दर्ज व्यय सम्मिलित किये गये है।

3 उद्देश्य शीर्ष 45–पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान (₹ 1,837.67 करोड़), उद्देश्य शीर्ष 14–004 अधोसंरचना अनुदान (₹ 6.23 करोड़) एवं पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण हेतु मुख्य शीर्ष 2055–14–002 विकास अनुदान के अन्तर्गत दर्ज व्यय (₹ 177.92 करोड़) सम्मिलित है।

10. सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण–समाप्त

(ii) वस्तुओं के रूप में प्रदत सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

ग्रांटी का वर्ग/नाम		वर्ष 2020–21 में वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान का कुल मूल्य	पूंजीगत सम्पत्ति की प्रकृति में प्रदत्त सहायता अनुदान का मूल्य
(1)		(2)	(3)
1.	**पंचायती राज संस्थायें**	**0.00**	**0.00**
2.	**शहरी स्थानीय निकाय**	**0.00**	**0.00**
3.	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**	**0.00**	**0.00**
4.	**स्वशासी निकाय**	**0.00**	**0.00**
5.	**अशासकीय संगठन**	**0.00**	**0.00**
6.	**अन्य :**		
	मु.शी. 2202–02–109–5551 हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	63.69	0.00
	मु.शी. 2403–00–101–8898 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों निःशुल्क पशु वितरण	15.18	0.00
	मु.शी. 2403–00–106–5260 उन्नत प्रजनन की सुविधा के विस्तार हेतु कृत्रिम गर्भाधान सुविधा विहीन ग्रामों में हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के सांड वितरण	0.74	0.00
	मु.शी. 2403–00–101–4082 विशेष पशुपालन कार्यक्रम	2.39	0.00
	मु.शी. 2403–00–103–846 अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने हेतु निःशुल्क वितरण	5.17	0.00
	मु.शी. 2403–00–105–4016 उन्नत नस्ल के नर सुअरों के वितरण हेतु अनुदान	0.03	0.00
	मु.शी. 2851–00–104–6913 कुम्भकार टेराकोटा शिल्प योजना	0.70	0.00
योग		**87.90**	**0.00**

11. दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वास्तविक					
	2020–21			2019–20		
	प्रभारित	दत्तमत	योग	प्रभारित	दत्तमत	योग
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	*6,149.98*	63,882.86	70,032.84	*5,570.70*	67,906.61	73,477.31
व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	*19.02*	9,005.17	9,024.19	*46.50*	8,519.89	8,566.39
लोक ऋण, कर्जे तथा पेशगियां, अन्तर्राज्यीय परिशोधन के अन्तर्गत भुगतान तथा आकस्मिकता निधि को अन्तरण (क)	*8,020.29*	50.51	8,070.80	*8,695.03*	56.16	8,751.19
योग	***14,189.29***	**72,938.54**	**87,127.83**	***14,312.23***	**76,482.66**	**90,794.89**
(क) ये आंकड़े निम्नवत निकाले गए है :–						
लोक ऋण –						
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	*7,805.23*	0.00	7,805.23	*8,479.52*	0.00	8,479.52
केन्द्र सरकार से कर्जे तथा पेशगियां	*215.06*	0.00	215.06	*215.51*	0.00	215.51
कर्जे तथा उधार *						
सामान्य सेवाओं के लिए कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे	0.00	0.50	0.50	0.00	45.22	45.22
आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे	0.00	50.00	50.00	0.00	10.89	10.89
सरकारी कर्मचारियों को कजे, आदि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्तर्राज्यीय परिशोधन						
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.01	0.01	0.00	0.05	0.05
आकस्मिकता निधि को अन्तरण						
आकस्मिकता निधि को अन्तरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	***8,020.29***	**50.51**	**8,070.80**	***8,695.03***	**56.16**	**8,751.19**

* विस्तृत लेखा विवरण क्रमांक 18–''सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण'' पृष्ठ क्रमांक 353 से 389 में दिया गया है। वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 के दौरान प्रभारित तथा दत्तमत व्यय के कुल व्यय का *प्रतिशत* निम्नानुसार था :

वर्ष	कुल व्यय का *प्रतिशत*	
	प्रभारित	दत्तमत
2019–20	*15.76*	84.24
2020–21	*16.29*	83.71

12. वर्ष 2020–21 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष 2020–21 के दौरान	31 मार्च 2021 को
पूंजीगत और अन्य व्यय			
पूंजीगत व्यय (उप–क्षेत्रवार)			
अन्य सामान्य सेवाएं	329.58	108.92	438.50[क.]
लोक निर्माण	2,390.21	400.11	2,790.32
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	4,744.76	415.91	5,160.67
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	2,959.20	511.71	3,470.91
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	7,995.80	1,597.13	9,592.93
सूचना तथा प्रसारण	1.68	0.00	1.68
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,547.71	358.30	3,906.01
समाज कल्याण तथा पोषण	763.40	34.28	797.68
अन्य समाज सेवाएं	403.74	17.31	421.05
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	1,378.66	83.88	1,457.69[1]
ग्राम विकास	4,837.48	350.57	5,188.05
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	22,878.80	1,133.37	24,012.17
ऊर्जा	10,353.57	752.11[2]	11,105.68
उद्योग तथा खनिज	2,067.42	39.04[3]	2,106.46
परिवहन	31,273.53	3,630.23[4]	34,903.76
अन्य संचार सेवाएं	466.96	70.00	536.96
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	11.04	3.00	14.04
सामान्य आर्थिक सेवाएं	177.15	10.90	188.05
योग–पूंजीगत व्यय	**96,580.69**	**9,516.77**	**1,06,092.61**[5]

[क.] पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 383.22 करोड़), लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 4.74 करोड़) एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 50.54 करोड़) सम्मिलित है।

[1] सहकारी समितियों एवं बैकों की पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 4.85 करोड़ कमी की गई।

[2] यह सकल आंकड़े है। ₹ 200.00 करोड़ की राशि जो मुख्यशीर्ष 4801 (₹ 150.00 करोड़) एवं 4810 (₹ 50.00 करोड़) में दर्ज है, विद्युत विकास निधि (8229–110) को अंतरित किया गया है।

[3] यह सकल आंकड़े है। मुख्यशीर्ष 4853 के अन्तर्गत दर्ज व्यय ₹ 26.30 करोड़ को छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि (8229–200) को अंतरित किया गया है।

[4] यह सकल आंकड़े है। मुख्यशीर्ष 5054 में दर्ज राशि ₹ 266.28 करोड़ को केन्द्रीय सड़क निधि (8449–103) को अंतरित किया गया है।

[5] सहकारी समितियों एवं बैकों की पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 4.85 करोड़ कमी की गई।

12. वर्ष 2020–21 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष 2020–21 के दौरान	31 मार्च 2021 को
पूंजीगत और अन्य व्यय–जारी			
ऋण एवं अग्रिम			
सामान्य सेवाएं			
विविध सामान्य सेवाएं	75.00	0.00	75.00
सामाजिक सेवाएं			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज	0.91[6]	0.00	0.91
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	0.03	0.00	0.03
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	481.86	(–)38.05[7]	443.81
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2.71	0.00	2.71
समाज कल्याण तथा पोषण	2.06	0.00	2.06
अन्य सामाजिक सेवाएं	0.91	0.00	0.91
आर्थिक सेवाएं			
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	533.45[8]	(–)16.22[7]	517.23
ग्राम विकास	0.58	0.00	0.58
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	0.17	0.00	0.17
ऊर्जा	271.75	0.00	271.75
उद्योग तथा खनिज	10.08	(–)0.01[7]	10.07
परिवहन	6.17	0.00	6.17
सामान्य आर्थिक सेवाएं	5.53	0.00	5.53
शासकीय कर्मचारियों को ऋण	5.87	(–)0.02[7]	5.85
योग–ऋण एवं अग्रिम	**1,397.08**	**(–)54.30**[7]	**1,342.78**
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.68[9]	0.00
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	0.00	0.00	0.00
योग–पूंजीगत और अन्य व्यय	**97,977.77**	**9,463.15**	**1,07,435.39**[10]
घटांए–आकस्मिकता निधि से अंशदान	0.00	0.00	0.00
घटांए–विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंशदान	69.11	4.85	73.96
घटांए–अधोसंरचना विकास उपकर निधि से अंशदान			
मुख्यशीर्ष 4059	188.00	0.00	188.00
मुख्यशीर्ष 5054	209.68	0.00	209.68

[6] पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि की गई।

[7] संवितरण से अधिक वसूली के कारण ऋणात्मक आंकड़े है।

[8] पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की कमी की गई।

[9] यह निवल आंकड़े है। इस शीर्ष में ₹ 0.01करोड़ (नामे) तथा ₹ (–)0.67 करोड़ (जमा) किया गया। इस शीर्ष के अन्तर्गत विभाजन अवधि के पश्चात के सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के शेषों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश को तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से स्थानांतरित होने से संबंधित संव्यवहारों को प्रदर्शित करता है।

[10] अंतशेष में ₹ 5.53 करोड़ (निवल) कमी की गई। सहकारी समितियों एवं बैंकों के पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 4.85 करोड़ की कमी तथा शासकीय लेखे में बंद अंतर्राज्यीय परिशोधन शीर्ष में ₹ 0.68 करोड़ की कमी की गई।

12. वर्ष 2020–21 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष 2020–21 के दौरान	31 मार्च 2021 को
पूंजीगत और अन्य व्यय–समाप्त			
घटांए–विद्युत विकास निधि से अंशदान	1,198.48	200.00[11]	1,398.48
घटांए–छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम से अंशदान	1,298.71	26.30	1,325.01
घटांए–केन्द्रीय सड़क निधि से अंशदान	791.99	266.28	1,058.27
निवल पूंजीगत और अन्य व्यय	**94,221.80**	**8,965.72**	**1,03,181.99**[12]

[11] मुख्यशीर्ष 4801 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 150.00 करोड़ तथा मुख्यशीर्ष 4810 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 50.00 करोड़ का व्यय इस निधि से प्रतिपूरित किया गया है।

[12] अंतशेष में ₹ 5.53 करोड़ (निवल) कमी की गई। सहकारी समितियों एवं बैकों की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 4.85 करोड़ की कमी तथा शासकीय लेखे में बंद अंतराज्यीय परिशोधन शीर्ष में ₹ 0.68 करोड़ की कमी की गई।

12. वर्ष 2020–21 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष 2020–21 के दौरान	31 मार्च 2021 को
निधियों का मुख्य स्त्रोत			
वर्ष 2020–21 के लिए राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (–)		(–)6,856.66	..
(i) जोड़े–पूंजी निवृत्ति/विनिवेश का समायोजन	(–)69.11	0.00	(–)73.96[13]
(ii) ऋण–			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	60,382.67	10,156.14	70,538.81
केन्द्र सरकार से कर्जे तथा पेशगियॉ	2,764.05	3,405.25	6,169.30[14]
अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि,	7,617.67	403.73	8,021.40
योग (ii)–ऋण	**70,764.39**	**13,965.12**	**84,729.51**
(iii) अन्य दायित्व			
आकस्मिकता निधि	100.00	0.00	100.00
जमा एवं अग्रिम	5,481.46	501.82	5,983.28
उचंत एवं विविध (शासकीय लेखे तथा रोकड़ शेष निवेश लेखे को बन्द अतिरिक्त राशि)	77.01	(–)12.11	64.90
आरक्षित निधियॉ	9,697.05	(–)516.38	9,180.67
प्रेषण	(–)278.30	(–)51.08	(–)329.38
योग–(iii)–अन्य दायित्व	**15,077.22**	**(–)77.75**	**14,999.47**
योग–(ii)+(iii) ऋण एवं अन्य दायित्व	**85,841.61**	**13,887.37**	**99,728.98**
(iv) घटाएं–रोकड़ शेष	(–)1,094.99	(–)26.68	(–)1,121.67
(v) घटाएं–निवेश	12,479.08	(–)1,908.33	10,570.75[15]
(vi) घटाएं– आकस्मिकता निधि को विनियोजन	**0.00**	**0.00**	**0.00**
योग–(i)+(ii)+(iii)–(iv)–(v)–(vi) निधियों का निवल प्रावधान	**74,388.41**	**15,822.38**	**90,205.94**[(क)]

[13] सहकारी समितियों एवं बैंकों के ₹ 4.85 करोड़ की पूंजी निवृत्ति को विवरण को संतुलित करने हेतु सम्मिलित किया गया है।

[14] वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में राज्य के पुनर्भुगतान दायित्वों के बिना ऋण प्राप्ति के रूप में वर्ष 2020–21 के दौरान प्रदत्त ₹ 3,109.00 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण सम्मिलित है।

[15] रोकड़ शेष निवेश ₹ 3,389.68 करोड़ एवं उदिष्ट निधियों से निवेश ₹ 7,181.07 करोड़ सम्मिलित है।

12. वर्ष 2020–21 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण–जारी

(क) ₹ 4.85 करोड़ की पूंजी निवृत्ति के समायोजन के कारण ₹ 90,210.79 करोड़ (₹ 74,388.41 करोड़ (+) ₹ 15,822.38 करोड़) से ₹ 4.85 करोड़ का अंतर है। 31 मार्च 2021 तक निवल पूंजीगत और अन्य व्यय (₹ 1,03,181.99 करोड़) तथा निधियों का निवल प्रावधान (₹ 90,205.94 करोड़) के मध्य ₹ 12,976.05 करोड़ का अन्तर है, जिसे निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है :–

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि
1.	वर्ष 2000–01 से 2020–21 तक संचयी राजस्व आधिक्य	11,274.54
2.	सामान्य भविष्य निधि शेष इत्यादि से संबंधित वर्ष 2000–01 से 2018–19 तक प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से प्रोफार्मा स्थानान्तरण का निवल प्रभाव	(–)2,910.34
3.	जोड़े–वर्ष 2011–12 के दौरान शीर्ष 8229–200 में पंचायत एवं भू राजस्व अधिभार तथा स्टाम्प डयूटी निधि में वर्ष 2006–07 से 2010–11 के मध्य किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण प्रोफार्मा कमी	118.00
4.	जोड़े–प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से अंशपूंजी के प्रोफार्मा स्थानांतरण के कारण पूंजीगत व्यय के ''कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप'' उप क्षेत्र में प्रोफार्मा वृद्धि	
	छत्तीसगढ़ वन विकास निगम (2012–13)	6.55
	छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागार निगम (2017–18)	1.52
5.	जोड़े–वर्ष 2013–14 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य वन उत्पाद संघ के ऋणों के प्रोफार्मा स्थानांतरण के कारण ऋण के ''कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप'' उप क्षेत्र में प्रोफार्मा वृद्धि	0.06
6.	घटाएं–वर्ष 2012–13 के दौरान पूंजीगत व्यय के उप क्षेत्र ''ऊर्जा'' में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	0.03
7.	जोड़े–वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के पूंजीगत व्यय में प्रोफार्मा वृद्धि	
	मुख्य शीर्ष 4055–छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के ऋणों को पूंजीगत व्यय में समायोजन	10.57
	वर्ष 2015–16 में मुख्य शीर्ष 4055–छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान को अंशपूंजी निवेश में समायोजन	2.00
	वर्ष 2015–16 एवं 2018–19 में मुख्य शीर्ष 4801–छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड़ द्वारा जारी शेयर सर्टिफिकेट्स को राज्य शासन के अंशपूंजी में समायोजन	4,475.90
8.	मुख्य शीर्ष 5054–प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा अविभाजित अवधि से संबंधित व्यय के स्थानांतरण के कारण	12.83
9.	मुख्य शीर्ष 4225–वर्ष 2017–18 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य अत्यांवसायी वित्त एवं विकास निगम के ऋण को अंशपूंजी में समायोजन	0.50
10.	मुख्य शीर्ष 4217–वर्ष 2017–18 के दौरान नया रायपुर विकास प्राधिकरण (नया नाम–अटल नगर विकास प्राधिकरण) के ऋण को पूंजीगत व्यय में समायोजन	438.00
11.	वर्ष 2018–19 के दौरान मुख्यशीर्ष 4408 से 6408 में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के संबंधित व्यय का प्रोफार्मा अंतरण	(–)2.47

12. वर्ष 2020–21 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण–समाप्त

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि
12.	वर्ष 2018–19 के दौरान मुख्यशीर्ष 4408 से 6408 में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के संबंधित पुनर्भुगतान का प्रोफार्मा अंतरण	0.35
13.	घटाएं–वर्ष 2015–16 एवं 2017–18 के दौरान ''ऋण एवं अग्रिम'' उप क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	
	मुख्य शीर्ष 6216–ऋणों को पूंजीगत व्यय में रूपान्तरण (2015–16)	10.57
	मुख्य शीर्ष 6425–ऋणों को अनुदानों में रूपान्तरण (2015–16)	10.51
	मुख्य शीर्ष 6852–ऋणों को अनुदानों में रूपान्तरण (2015–16)	22.96
	मुख्य शीर्ष 6217–ऋणों को पूंजीगत व्यय में रूपान्तरण (2017–18)	438.00
	मुख्य शीर्ष 6225–ऋणों को अंशपूंजी में रूपान्तरण (2017–18)	0.50
14.	जोडें– वर्ष 2018–19 के दौरान मुख्यशीर्ष 4408 से 6408 में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के संबंधित व्यय एवं पुनर्भुगतान का प्रोफार्मा अंतरण	2.12
15.	जोड़े–वर्ष 2012–13 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के उप क्षेत्र ''ऊर्जा'' में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा वृद्धि	0.03
16.	जोड़े–वर्ष 2017–18 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के उप क्षेत्र ''कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप'' में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा वृद्धि	0.06
17.	घटाएं–वर्ष 2012–13 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के ''शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति'' उप क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	4.00
18.	जोड़े–प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से ऋण राशि प्राप्त होने के कारण मुख्य शीर्ष 7610 के अन्तर्गत में प्रोफार्मा वृद्धि	
	2009–10	0.82
	2011–12	0.36
	2016–17	10.21
	2017–18	6.74
19.	घटाएं–वर्ष 2008–09 तक आकस्मिकता निधि का मुख्य निधियों के अनुप्रयोग के अन्तर्गत त्रुटीपूर्ण दर्शाया जाना	40.00
20.	घटायें–वर्ष 2018–19 तक विविध शासकीय लेखे को बंद राशि	152.56
21.	घटायें–वर्ष 2000–01 से 2020–21 तक प्रगामी अन्तर्राज्यीय समाशोधन	26.70
22.	घटायें–त्र–वर्ष 2016–17 के दौरान आरक्षित निधि के अन्तर्गत राज्य आपदा राहत निधि से संबंधित व्यय के प्रतिपूर्ति के कारण प्रोफार्मा कमी	(–)278.65
23.	घटायें–त्र–वर्ष 2017–18 के दौरान आरक्षित निधि के अन्तर्गत अधोसंरचना विकास उपकर निधि से संबंधित व्यय के प्रतिपूर्ति प्रोफार्मा कमी के कारण	(–)14.90
24.	घटायें–ट–जमा तथा अग्रिम अन्तर्गत पूर्णांक में सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	0.01
25.	घटायें–ट–ऋण तथा अग्रिम–जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के अन्तर्गत पूर्णांक में सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	0.01
26.	घटायें–वर्ष 2016–17 आकस्मिकता निधि को विनियोजन	60.00
	योग	**12,976.05**

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश

क – 31 मार्च 2021 को शेष का सारांश निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

नामे शेष	सामान्य लेखे का क्षेत्र	लेखे का नाम	जमा शेष
		समेकित निधि	
88,937.12	**क से घ, छ, ज और ठ का भाग (मु.शीर्ष 8680 केवल)**	सरकारी लेखे	..
..	**ड.**	लोक ऋण	76,708.11[1]
1,342.78	**च**	कर्जे और पेशगियां	..
		आकस्मिकता निधि	
..		आकस्मिकता निधि	100.00
		लोक लेखा	
..	**झ**	अल्प बचतें, भविष्य निधियॉ इत्यादि	8,021.40
	ञ	**आरक्षित निधियॉ**	
..		(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियॉ	5,070.59
..		(ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियॉ	4,110.08
		सकल शेष	**9,180.67**
7,181.07		**निवेश**	..
	ट	**जमा और पेशगियॉ**	
..		ब्याज वाली जमा	33.16
..		बिना ब्याज वाली जमा	5,951.95
1.83		पेशगियां	..
	ठ	**उचन्त और विविध**	
3,389.68		निवेश	..
..		अन्य मदे	64.90
329.38	**ड**	**प्रेषण**	..
..	**ढ**	**रोकड़ शेष**	1,121.67
1,01,181.86	**योग**		**1,01,181.86**

[1] वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में राज्य के पुनर्भुगतान दायित्वों के बिना ऋण प्राप्ति के रूप में वर्ष 2020–21 के दौरान प्रदत्त ₹ 3,109.00 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण सम्मिलित है।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश–समाप्त

मार्च 2021 के लेखा समाप्ति के उपरांत लेखे में दर्शाए गए आंकड़े ₹ 1,121.67 करोड़ (जमा) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित किये गए 'रिजर्व बैंक के पास जमा' ₹ 926.96 करोड़ (नामे) के मध्य निवल ₹ 194.71 करोड़ (जमा) का अंतर है, जिसे रोकड़ शेष में सम्मिलित किया गया है। अन्तर पुनर्मिलान के अधीन है। दिनांक 30 जून 2021 को उपरोक्त अंतर ₹ 195.02 करोड़ (जमा) रहा।

ख **सरकारी लेखा**–सरकारी लेखाओं में बही खाता रखने के सिद्धान्त के अनुपालन में राजस्व, पूंजीगत शीर्षो और सरकार के अन्य लेन–देनों के अन्तर्गत अंकित की गई राशियां जिनके शेष वर्षानुवर्ष लेखाओं में आगे नही ले जाए जाते, उन्हे एक शीर्ष में बंद किए जाते हैं जिसे ''सरकारी लेखा'' कहा जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत जो शेष होता है वह सभी लेन–देनों का संचयी परिणाम को प्रदर्शित करता है।

इस शेष में लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम, अल्प बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा और पेशगियां, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखे के अतिरिक्त), प्रेषण और आकस्मिकता निधि इत्यादि के शेषों को जोड़ा जाता है तथा वर्ष के अन्त में अंतिम रोकड़ शेष निकाला और सिद्ध किया गया है।

इस सारांश के अन्य शीर्षकों में सरकारी बहियों के उन समस्त लेखा शीर्षों के अन्तर्गत आनेवाली शेष राशियों का परिकलन किया जाता है जिनके सम्बन्ध में प्राप्त धन को वापस करने की देयता या दी गई राशि को वसूल करने का अधिकार सरकार का होता है तथा साथ ही प्रेषण लेन देनों के समायोजन के लिए बहियों में खोले गए लेखा शीर्ष भी सम्मिलित हैं।

यह समझ लेना चाहिये कि इन शेष राशियों को सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा लेखा जोखा नही माना जा सकता क्योंकि इसके हिसाब से न तो राज्य की समस्त भौतिक परिसंपत्तिया जैसे भूमि, भवन, संचार के साधन आदि सम्मिलित होते है और न ही उपार्जित देय राशियां या बकाया देयताये जिन्हे सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही नगद आधार की लेखाविधि के कारण हिसाब में सम्मिलित नही किया जाता।

वर्ष के अंत में शासकीय लेखे के नामे में निवल राशि निम्नानुसार संगणित की गई है :

(₹ करोड़ में)

नामे	विवरण		जमा
73,060.44	क	1 अप्रैल 2020 को सरकारी लेखे का नामे शेष	..
..	ख	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	63,176.18
..	ग	प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	4.85
70,032.84	घ	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	..
9,024.19	ङ.	व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	..
..	च	उचंत तथा विविध (विविध शासकीय लेखा)	..
0.01	छ	अंतर्राज्यीय परिशोधन	(–) 0.67
..	ज	आकस्मिकता निधि को विनियोजन	..
..	झ	31 मार्च 2021 को शासकीय लेखे में नामे राशि	88,937.12
1,52,117.48	**योग**		**1,52,117.48**

लेखाओं के लिए टिप्पणियॉं

1. <u>विशिष्ट लेखाकरण पद्धति का सारांश</u> –

(i) **विद्यमानता एवं लेखाकरण अवधि** : यह लेखे छत्तीसगढ़ शासन के 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 अवधि के संव्यवहारों को प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ शासन के प्राप्ति एवं व्यय के लेखों को राज्य के 29 कोषालयों, 53 वन संभागों, 57 लोक निर्माण संभागों, 62 जल संसाधन विभाग, 36 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभागों, 64 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों/अन्य संभागों, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त समायोजन सूचनाओं तथा अन्य भुगतान लेखा कार्यालयो द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखे से संकलित किया गया है। वर्ष के अंत में किसी भी लेखे को अपवर्जित नहीं किया गया है।

(ii) **लेखाकरण का आधार** : यह लेखे कतिपय आवधिक समायोजनों एवं पुस्तकीय समायोजनों **(अनुलग्नक–क)** को छोड़कर लेखा अवधि में वास्तविक रोकड़ प्राप्ति एवं संवितरण को प्रदर्शित करते है। भौतिक तथा वित्तीय सम्पत्तियों जैसे शासकीय निवेश का मूल्य ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है अर्थात अधिग्रहण/क्रय वर्ष के मूल्य पर। भौतिक सम्पत्ति का मूल्यहास या परिशोधन नहीं होता है। भौतिक सम्पतियों के जीवनकाल में हुई क्षतियों को समाप्त या मान्य नहीं किया जाता है। लेखाकरण अवधि में भुगतान किए गए सेवानिवृत्ति लाभों को लेखाओं में दर्शाया जाता हैं, किन्तु सरकार के भविष्य के पेंशन दायित्वों जैसे कि अपने कर्मचारियों के वर्तमान तथा पूर्व सेवाओं के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभ को लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

(iii) **मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते है :** छत्तीसगढ़ शासन के लेखे भारतीय रूपये में संधारित किए जाते हैं।

(iv) **लेखाओं का प्रारूप :** संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत, संघ तथा राज्यों के लेखे को ऐसे प्रारूप में रखा जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 150 में शब्द ''प्रारूप'' का व्यापक अर्थ है, जो लेखे को रखे जाने वाले विस्तृत स्वरूप का निर्धारण ही नहीं बल्कि लेन देनों के वर्गीकरण हेतु उचित शीर्षो के चयन के आधार के लिए भी व्यवहृत होता है।

(v) **राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के मध्य वर्गीकरण :** राजस्व व्यय एक आवर्ती स्वरूप का व्यय है जिसे राजस्व प्राप्तियों से ही पूर्ति किया जाना है। पूंजीगत व्यय को स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्तियों की वृद्धि करने या स्थायी दायित्वों की कमी करने के उद्देश्य के रूप में परिभाषित किया गया है।

2. **समेकित निधि :**

(i) **वस्तु एवं सेवा कर :** वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य का वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण ₹ 7,925.01 करोड़ था जो वर्ष 2019–20 के ₹ 7,894.82 करोड़ के तुलना में ₹ 30.19 करोड़ (0.38 *प्रतिशत*) की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें आई.जी.एस.टी. की अग्रिम प्रभाजन की राशि ₹ 698.09 करोड़ सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर का समनुदेशित निवल आगमों का स्वयं का हिस्सा के रूप में राज्य शासन ने ₹ 6,068.90 करोड़ प्राप्त किया। वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 13,993.91 करोड़ थी। वर्ष 2020–21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर लागू करने से उत्पन्न राजस्व हानि के कारण राज्य को ₹ 3,212,15 करोड़ की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई।

(ii) **राजस्व और पूंजीगत व्यय के मध्य त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण :** वर्ष 2020–21 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 1,865.85 करोड़ की व्यय को राजस्व अनुभाग के स्थान पर त्रुटिपूर्वक पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया गया जो कि व्यय के उद्देश्य से निर्धारित होता है। उपरोक्त व्यय पूंजीगत परिसंपत्तियो के निर्माण हेतु सहायता अनुदान (₹ 1,837.67 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 3.43 करोड़) एवं व्यावसायिक सेवाएं (₹ 24.75 करोड़) से संबंधित है। राज्य के राजस्व/राजकोषीय घाटे पर त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का प्रभाव पैरा–7 में सूचीबद्ध है और त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण **अनुलग्नक–ख (i) से ख (iii)** में दर्शाया गया है।

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ–जारी

(iii) सी.सी.ओ. और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के मध्य प्राप्तियों और व्यय का पुनर्मिलान : सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों (बी.सी.ओ.) के लिए आवश्यक है कि उनके पुस्तको में दर्ज सरकार की प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ो का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित आंकड़ो से पुनर्मिलान करें। वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा ₹ 47,539.69 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 56.02 *प्रतिशत*) के प्राप्तियों तथा ₹ 78,520.40 करोड़ (कुल व्यय का 90.12 *प्रतिशत*) के व्यय का पुनर्मिलान किया गया है।

(iv) लघुशीर्ष 800–'अन्य व्यय' एवं 800–'अन्य प्राप्तियाँ' के अन्तर्गत दर्ज राशि : लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों का परिचालन केवल तभी किया जाना है जब लेखे में समूचित लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं है। लघु शीर्ष 800 के नियमित परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि, इससे लेखाओं में पारदर्शिता नहीं होती है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, 47 राजस्व एवं पूंजीगत मुख्यशीर्षो के अन्तर्गत लघुशीर्ष 800–'अन्य व्यय' के अधीन ₹ 1,268.92 करोड़ दर्ज किए गए जो कि कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय ₹ 79,057.03 करोड़ का 1.61 *प्रतिशत* था। लघुशीर्ष 800–'अन्य व्यय' के अन्तर्गत दर्ज किये गये अधिकांश व्यय (50 *प्रतिशत* या अधिक) का विवरण **अनुलग्नक (ग)** में सूचीबद्ध है।

इसी प्रकार, 43 राजस्व मुख्यशीर्षो के अन्तर्गत लघुशीर्ष 800–'अन्य प्राप्तिया' के अधीन ₹ 3,030.67 करोड़ दर्ज किए गए जो कुल राजस्व प्राप्ति ₹ 63,176.18 करोड़ का 4.80 *प्रतिशत* था। लघुशीर्ष 800–'अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत दर्ज किये गये अधिकांश प्राप्ति (50 *प्रतिशत* या अधिक) का विवरण **अनुलग्नक (घ)** में सूचीबद्ध है।

(v) बिना सलाह के नवीन उप शीर्षो/विस्तृत शीर्षो का खोला जाना : वर्ष 2020–21 की अवधि में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से सलाह लिये बिना जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 एवं छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता–भाग–1 के अनुच्छेद 303 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित है, बजट में 88 नवीन उपशीर्ष (54 राजस्व अनुभाग, 25 पूंजीगत अनुभाग एवं 09 राजस्व एवं पूंजीगत दोनो के अन्तर्गत) आरंभ किए गए। राज्य शासन द्वारा इन शीर्षो के अन्तर्गत बजट प्रावधान किया गया तथा राजस्व अनुभाग में ₹ 9,530.51 करोड़ एवं पूंजीगत अनुभाग में ₹ 1,044.07 करोड़ का व्यय किया गया।

(vi) व्यक्तिगत् निक्षेप खाते (पी.डी. खाता) में राशि का स्थानांतरण : व्यक्तिगत निक्षेप खाते, नामित आहरण अधिकारियों को योजना से संबंधित विशेष उद्देश्य हेतु व्यय किये जाने के लिए समेकित निधि के अन्तर्गत सेवा शीर्ष को नामे कर मुख्यशीर्ष 8443–'सिविल जमा' एवं लघुशीर्ष 106–'व्यक्तिगत जमा' में जमा करने सक्षम करता है। व्यक्तिगत निक्षेप खाते के प्रशासकों द्वारा वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में लेखे को बंद कर अप्रयुक्त राशि को समेकित निधि में वापिस स्थानांतरित किया जाना है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, राज्य के समेकित निधि से ₹ 11.28 करोड़ व्यक्तिगत निक्षेप खाते में स्थानांतरित किया गया एवं ₹ 491.06 करोड़ चालानों के द्वारा जमा की गई। इसमें मार्च 2021 में राज्य के समेकित निधि से स्थानांतरित किया गया ₹ 0.86 करोड़ सम्मिलित है। यह वर्ष के दौरान व्यक्तिगत निक्षेप खाता में कुल जमा का 0.17 प्रतिशत है जिसमें ₹ 0.50 करोड़ मार्च 2021 की अंतिम कार्य दिवस में स्थानांतरित किया गया था।

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 543 के अधीन राज्य शासन के आदेश के सरल क्रमांक 2 (बी) के अनुसार व्यक्तिगत निक्षेप खातो के प्रशासकों द्वारा शेषों का कोषालय से आवश्यक सत्यापन एवं पुनर्मिलान किया जा कर वित्तीय वर्ष के अंत में कोषालय अधिकारी को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। कोषालय अधिकारी द्वारा उक्त प्रमाण पत्र का कोषालय का अभिलेखों से सत्यापन कर शेषों का सत्यापन का प्रतिवेदन प्रतिवर्ष 31 मार्च तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किया जाना है।

लेखाओं के लिए टिप्पणियॉं—जारी

व्यक्तिगत निक्षेप खाते के 44 प्रशासको (208 में से) द्वारा शेषों को कोषालय के आंकड़ों से पुनर्मिलान एवं सत्यापित किया गया तथा 44 वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र उनके द्वारा कोषालय अधिकारी को महालेखाकर कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित की गई है।

31 मार्च 2021 की स्थिति में व्यक्तिगत जमा लेखे का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

अप्रैल 2020 तक प्रारंभिक शेष		वर्ष 2020—21 के दौरान वृद्धि/प्राप्तियॉं		वर्ष 2020—21 के दौरान बंद किये गये/आहरण		31 मार्च 2021 को अंतशेष	
प्रशासको की संख्या	राशि	प्रशासको की संख्या	राशि	प्रशासको की संख्या	राशि	प्रशासको की संख्या	राशि
223	1,585.26	3	502.34	18	526.65	208	1,560.95

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 590 के अधीन राज्य शासन के आदेशानुसार प्रशासको द्वारा योजना/परियोजना के विस्तृत लेखे का संधारण किया जाना है जिसके लिए व्यक्तिगत निक्षेप खाते खोले गये है। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 543 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्तिगत निक्षेप खाता तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए संचालन में नहीं रहता है तो यह माना जाता है कि ऐसे जमा लेखों की आवश्यकता समाप्त हो चूकि है एवं लेखों को बंद किया जाना है। वर्ष के दौरान, 18 निष्क्रिय व्यक्तिगत निक्षेप खाते, जिसमें शेष ₹ 0.06 करोड़ था, बंद की गई है। दिनांक 31 मार्च 2021 की स्थिति में, कुल 208 व्यक्तिगत निक्षेप खाते में से 16 खाते, जिसमें ₹ 13.54 करोड़ शेष है, निष्क्रिय रहा।

(vii) असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयक : वित्तीय नियम (केन्द्रीय कोषालय नियम 290) एवं छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 284 के अनुसार तत्काल किये जाने वाले संवितरण के अतिरिक्त कोई भी राशि शासकीय कोषालय से आहरित नहीं की जायेगी। आकस्मिक परिस्थितियों में आहरण एवं संवितरण अधिकारी संक्षिप्त आकस्मिक देयक के माध्यम से सेवा शीर्ष को नामे कर धनराशि आहरित करने हेतु प्राधिकृत है। छत्तीसगढ़ कोषालय नियम के सहायक नियम 327 के अनुसार नियंत्रक अधिकारियों को विस्तृत आकस्मिक देयक जिस माह में संक्षिप्त आकस्मिक देयक आहरित किये गये थे उसके आगामी माह के 25 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संक्षिप्त आकस्मिक देयक द्वारा किये गये व्यय के समर्थन में विस्तृत आकस्मिक देयकों का विलंब से प्रस्तुती या लंबे समय तक प्रस्तुत नहीं किये जाने से संक्षिप्त आकस्मिक देयक से किये गये व्यय पारदर्शी नहीं रहती है तथा वित्त लेखे में प्रदर्शित व्यय को अंतिम या सही रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

वर्ष 2020—21 के दौरान 208 संक्षिप्त आकस्मिक देयको द्वारा आहरित की गई ₹ 2,947.73 करोड़ में से ₹ 734.50 करोड़ (24.91 *प्रतिशत*) का 54 संक्षिप्त आकस्मिक देयको मार्च 2021 में आहरित की किए गए। 31 मार्च 2021 की स्थिति में ₹ 295.53 करोड़ का कुल 460 संक्षिप्त आकस्मिक देयको के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक प्राप्त नहीं हुई। 31 मार्च 2021 के स्थिति में असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयको, जिसके विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक लंबित है, का विवरण निम्नांनुसार है :

वर्ष	असमायोजित ए.सी. देयको की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2017—18	16	0.20
2018—19	86	0.98
2019—20	186	191.46
2020—21	172	102.89
योग	**460**	**295.53**

डी.सी. देयक जमा नहीं करने वाले प्रमुख चूककर्ता विभाग सहकारिता विभाग— ₹ 284.26 करोड़ है अर्थात 96.19 *प्रतिशत* है (वर्ष 2019—20 के पॉंच देयकों की राशि ₹ 184.26 करोड़ तथा वर्ष 2020—21 के तीन देयकों की राशि ₹ 100.00 करोड़)।

लेखाओं के लिए टिप्पणियॉं–जारी

(viii) सहायता अनुदान हेतु अप्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र : छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक एवं अनावर्ती सशर्त अनुदान के प्रकरण में, अनुदेयी द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र को अनुदान स्वीकृत करने वाली प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना है जो उपयोगिता प्रमाण पत्र को जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके पश्यवर्ती वर्ष में 30 सितम्बर अथवा पहले तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत ना करने की सीमा तक, यह आश्वासन नहीं होता है कि वित्त लेखे में दर्शाये गये राशि लाभार्थीयों को प्राप्त हुआ है एवं इसलिए व्यय को सही अथवा अंतिम के रूप में प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

वर्ष 2020–21 के दौरान 03/2020 तक की अवधि के लिए लंबित ₹ 80.03 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र निराकृत की गई। दिनांक 31.03.2021 को लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की स्थति निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

वर्ष*	लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की संख्या	राशि
2018–19 तक	67	245.61
2019–20	155	3,445.21
2020–21	238	3,326.11
योग	**460**	**7,016.93**

* उपरोक्त अंकित वर्ष ''देय वर्ष'' से संबंधित है अर्थात आगामी वर्ष के 30 सितम्बर को या उससे पहले जिससे अनुदान संबंधित है।

मुख्य चूककर्ता विभागों जिनके द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गये, वे है। नगरीय कल्याण विभाग ₹ 3,780.43 करोड़ (53.88 *प्रतिशत*), पंचायत एवं ग्रामीण विकास : ₹ 3,018.82 करोड़ (43.02 *प्रतिशत*) तथा कृषि विभाग : ₹ 135.76 करोड़ (1.93 *प्रतिशत*)। विभाग जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र सर्वाधिक लंबित है, उनके वर्ष वार विश्लेषण **अनुलग्नक–ङ** में दर्शाया गया है।

(ix) सेवानिवृत्ति हितलाभ के प्रति दायित्व : 31 अक्टूबर 2004 को या उससे पहले नियुक्त किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों, भूतपूर्व विधायक एवं न्यायाधीशों के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान ''पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ'' पर ₹ 6,006.79 करोड़ का व्यय किया गया।

(x) ब्याज समायोजन : सरकार (ञ) आरक्षित निधि (क–ब्याज वाली आरक्षित निधियॉं) एवं ट–जमा तथा अग्रिम (क–ब्याज वाली जमा) के श्रेणी अन्तर्गत शेष राशि पर ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है और इस उद्देश्य के लिए मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षो की सूची में विशिष्ट उप मुख्यशीर्षो का प्रावधान किया गया है।

इन निधियों/जमा का विवरण एवं वर्ष 2020–21 के दौरान शासन द्वारा भुगतान किये गये ब्याज का विवरण निम्नानुसार है :–

राशि (₹ करोड़ में)

निधियॉं/जमा	1 अप्रैल 2020 को शेष राशि	ब्याज की गणना हेतु आधार	देय ब्याज	ब्याज भुगतान
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	25.83	ब्याज की गणना शासन द्वारा अधिसूचित/सामान्य भविष्य निधि के देय ब्याज दर के अनुसार की गई है।	1.83	निरंक

₹ 1.83 करोड़ ब्याज का भुगतान न करना/कम भुगतान करने के परिणामस्वरूप राजस्व एवं राजकोषीय घाटा ₹ 1.83 करोड़ कम आका गया है।

लेखाओं के लिए टिप्पणियॉं—जारी

(xi) **निवेश :** वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 8 एवं 19 में दर्शायी गई शासन के निवेश की जानकारी महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्राप्त लेखों एवं स्वीकृतियों पर आधारित है किन्तु संबंधित विभागों (वित्त विभाग सहित) एवं निवेशिती संस्थाओं द्वारा पुष्टि नहीं की गई। शासन ने वर्ष 2020—21 में ₹ 0.49 करोड़ निवेश किया। दिनांक 31 मार्च 2021 के स्थिति में ₹ 7,261.30 करोड़ की शासन का निवेश का उपज वर्ष 2020—21 के दौरान ₹ 2.29 करोड़ (0.03 *प्रतिशत*) रहा। दिनांक 31 मार्च 2021 के स्थिति में शासन का निवेश विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	संस्थाओं की संख्या	कंपनी के लेखे के अनुसार आंकड़े
सांविधिक निगम	10	88.34
सरकारी कंपनियां	28	6,683.34
अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियां	22	145.21
ग्रामीण बैंक	02	25.15
सहकारी बैंक एवं समितियां	1460	319.26
योग	**1522**	**7,261.30**

वित्त लेखे में दर्शाये गये निवेश के आंकड़े (₹ 18.72 करोड़) तथा राज्य शासन के संस्थाओं द्वारा सूचित आंकड़े (₹ 28.25 करोड़) के मध्य विसंगतियॉं पुनर्मिलान के अधीन है इसका विवरण निम्नानुसार है :

निवेश के अंतर का विवरण

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	कंपनी का नाम	वित्त लेखे के अनुसार आंकड़े	कंपनी के लेखे के अनुसार आंकड़े
1	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम[1]	11.10	1.60
2	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम[2]	7.62	26.65
	योग	**18.72**	**28.25**

(xii) **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए अनुदान/ऋण जहां लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है :** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांवधिक निकायों इत्यादि, को अनुदान/आर्थिक सहायता जारी की गई जिनके लेखे 31 मार्च 2021 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। विवरण **अनुलग्नक—च** में दर्शाया गया है।

(xiii) **शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियॉं :** छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रत्याभूति नियम, 2020 (संशोधित) के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान शासन द्वारा दिये गये कुल शासकीय प्रत्याभूति, महालेखाकार के पुस्तकों के अनुसार पूर्व वर्ष के राज्य का स्वयं राजस्व प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्ष के दौरान, राज्य शासन द्वारा कोई भी प्रत्याभूति नहीं दी गई।

दिनांक 31 मार्च 2021 की स्थिति में, कुल बकाया प्रत्याभूति ₹ 19,836.13 करोड़ (180 संख्या) 25 संस्थाओं के दिये गये जिसमें छः संस्थाओं को दिये गये 75 प्रत्याभूतियों (₹ 2,048.77 करोड़) को प्रत्याभूति शुल्क पर छूट प्रदान की गई एवं 19 संस्थाओं को दिये गये 105 प्रत्याभूतियों (₹ 17,787.77 करोड़) पर छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक 28/2002 दिनांक 22 मई 2002 के अनुसार, 0.5 *प्रतिशत* की प्रत्याभूति शुल्क भारित किया जाना है। संस्थाओं से प्राप्त प्रत्याभूति विवरण के अनुसार केवल दो संस्थाओं नामतः छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ (₹ 14,369.00 करोड़ की 15 प्रत्याभूतियां) एवं अटल नगर विकास प्राधिकरण (₹ 100.00 करोड़ की एक प्रत्याभूति) ने क्रमशः ₹ 74.58 करोड़ एवं ₹ 2.00 करोड़ की प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क घोषित की जिसमें केवल छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ ने ₹ 74.59 करोड़ की प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान किया जो कि दिनांक 31 मार्च 2021 की स्थिति में

---

[1] निवेश से संबंधित जानकारी कंपनी से प्राप्त नहीं होने के कारण दिनांक 31 मार्च 2017 के स्थिति में उल्लेखित आंकड़े को इस सारणी में दर्शाया गया है।

[2] निवेश से संबंधित जानकारी कंपनी से प्राप्त नहीं होने के कारण दिनांक 31 मार्च 2020 के स्थिति में उल्लेखित आंकड़े को इस सारणी में दर्शाया गया है।

प्रत्याभूति राशि (₹ 17,787.77[3] करोड) का 0.42 *प्रतिशत* रहा।

(xiv) पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय : राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 का उद्देश्य पर्यावरणीय चिन्ताओं को सभी विकासपरक गतिविधियों की मुख्यधारा में लाना है। ''पर्यावरण'', ''कचरा प्रबंधन'', ''प्रदुषण का निर्वारण तथा नियंत्रण'', ''पर्यावरणीय अनुसंधान तथा शिक्षा'' एवं ''पर्यावरण संरक्षण'' से संबंधित बजट तथा व्यय के आंकड़े राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत प्रमाणकों एवं बज़ट दस्तावेजों से संकलन किया जाता है।

राज्य शासन द्वारा पर्यावरण हेतु किये गये व्यय को वित्त लेखे में लघुशीर्ष स्तर पर विभिन्न कार्यात्मक लेखाशीर्षो के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान, मुख्यशीर्ष 2401 एवं 2406 के अन्तर्गत बजट प्रावधान ₹ 37.12 करोड़ के विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 21.93 करोड़ का व्यय किया। वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 21.93 करोड़ का व्यय किया गया जो ₹ 70,032.84 करोड़ के राजस्व व्यय का 0.03 *प्रतिशत* रहा। बजट के तुलना में व्यय का मुख्य शीर्षवार विवरण **अनुलग्नक–छ** में दर्शाया गया है।

(xv) पांच वर्ष या उससे अधिक की अपूर्ण परियोजनाएं : राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत 152 अपूर्ण परियोजनाएं एवं लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 132 अपूर्ण परियोजनाएं है, जिसकी अवधि पांच वर्ष या उससे अधिक है। संशोधित लागत के साथ अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट IX में सम्मिलित किया गया हैं।

(xvi) विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को निधि का स्थानांतरण : राज्य शासन द्वारा राज्य/जिला स्तरीय अभिकरणों/स्वायत निकायों एवं प्राधिकरणों, समितियों, अशासकीय संगठनों इत्यादि को केन्द्र योजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुदान के रूप में निधि उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान, शासन की योजनाएं/कार्य/कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा ₹ 22,812.92 करोड़ विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणो को दिया गया। क्रियान्वयन अभिकरणों के खातो में अव्ययित शेष राशि जो कि शासकीय लेखों के बाहर रखी जाती है सहज अभिनिश्चित नहीं होती है। अतः लेखो में दर्शाए गए सरकारी व्यय उस सीमा तक अंतिम नहीं है।

(xvii) केन्द्रीय ऋणों का अपलेखन : तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुपालन में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार, द्वारा दिनांक 29 फरवरी 2012 में एक श्रृंखला में जारी किये गये आदेशों के अनुसार विभिन्न मंत्रालयो (केवल वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदत्त ऋणो को छोड़कर) द्वारा राज्य शासन को केन्द्रीय आयोजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति में प्रदत्त ऋणो को अपलेखित किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश के प्रभावी दिनांक (31 मार्च 2010) से किये गये मूलधन एवं ब्याज का अधिक पुनर्भुगतान को वित्त मंत्रालय को भविष्य में किये जाने वाले पुनर्भुगतान के विरूद्ध समायोजित किये जाने हेतु राज्य शासन को अनुमति प्रदान की गई थी। वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक के अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ₹ 0.04 करोड़ (₹ 0.03 करोड़ का मूलधन एवं ₹ 0.01 करोड़ का ब्याज) का अधिक भुगतान किया गया। 31 मार्च 2021 तक वित्त मंत्रालय द्वारा अधिक भुगतान का समायोजन नहीं किया गया है।

(xviii) वर्ष 2020–21 के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्राप्त भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष आहरण सुविधा (पूर्व में विशेष अर्थोपाय अग्रिम से जाना जाता था) : वर्ष 2020–21 के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से ₹ 4,026.52 करोड़ का विशेष आहरण सुविधा प्राप्त किया। सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान विशेष आहरण सुविधा का संपूर्ण राशि का पुनर्भुगतान किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान विशेष आहरण सुविधा पर ₹ 1.06 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया।

(xix) प्रतिबद्धित दायित्व : बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार केन्द्र सरकार द्वारा उपचय लेखांकन (एक्रूअल अकाऊन्टिग) की ओर अग्रसर होने हेतु कुछ कार्यवाही प्रारंभ की गई है। तथापि, चूंकि परिवर्तन चरणों में घटित होगा, उपचय पर आधारित लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन हेतु, कुछ अतिरिक्त जानकारी विवरण के रूप में नकद

[3] दिनांक 31 मार्च 2021 की स्थिति में कुल बकाया प्रत्याभूति ₹ 19,836.13 करोड़ एवं प्रत्याभूति शुल्क को छूट दिये गये संस्थाओं के ₹ 2,048.77 करोड़ की बकाया प्रत्याभूति का अंतर।

लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में संलग्न किया जाना आवश्यक है जिससे निर्णयन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार को प्रतिबद्ध दायित्वों की जानकारी दिया जाना था जिसे परिशिष्ट–XII में दर्शाया गया है।

(xx) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (सी.एस.एस.)/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) का पुनर्गठन (ब्लॉक अनुदानों को छोड़कर) : आयोजना/आयोजनेत्तर के विलय के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रीय सहायता को अब केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता/अंश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वर्ष 2020–21 में छत्तीसगढ़ शासन को केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल में दर्शाये गये केन्द्रीय सहायता/अंश की राशि ₹ 7,013.36 करोड़ के विरूद्ध ₹ 6,975.55 करोड़ का भारतीय रिजर्व बैंक, सी.ए.एस., नागपुर से क्लीयरेंस मेमो और संबंधित मंत्रालयों से स्वीकृति आदेश प्राप्त हुए थे (केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को प्रत्यक्ष स्थानांतरण को छोड़कर)। इस राशि को मुख्य शीर्ष 1601–''केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान'' के अन्तर्गत राज्य सरकार के लेखे में उचित रूप से दर्ज किया गया है।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत कुल व्यय ₹ 10,626.39 करोड़ दर्ज किया गया (राजस्व व्यय ₹ 8,196.21 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय ₹ 2,430.18 करोड़) जिसमें केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता और राज्यांश से व्यय सम्मिलित है।

(xxi) राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानांतरण (राज्य बजट के बाहर दी गई निधि): सी.जी.ए. के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा ₹ 12,538.27 करोड़ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई। वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को ₹ 12,812.49 करोड़ (आर.बी.आई. के माध्यम से स्थानांतरित राशि और अन्य स्त्रोतों अर्थात कोषालय में जमा राशि सहित) स्थानांतरित किया गया।

कुल राशि ₹ 12,538.27 करोड़ में से ₹ 3,596.32 करोड़ का केन्द्रीय सहायता/अंश मध्यवर्ती संस्थाओं अर्थात पंजीकृत समितियां (शासकीय स्वायत निकाय) को एवं ₹ 8,941.95 करोड़ राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, सांविधिक निकायों, स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के संस्थानों को स्थानांतरित किया गया है।

वर्ष 2019–20 की तुलना में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधि के प्रत्यक्ष स्थानांतरण में 68.28 *प्रतिशत* वृद्धि हुई (वर्ष 2019–20 में ₹ 7,450.85 करोड़ से वर्ष 2020–21 में ₹ 12,538.27 करोड़)। विवरण **परिशिष्ट–VI में** दर्शाया गया है।

(xxii) राज्य शासन के ऑफ बजट दायित्व : पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई थी कि सभी प्रतिबद्धित व्यय एवं विकास संबंधी व्यय को ऑफ बजट अथवा कोई भी अपारदर्शी उपायो से वित्त पोषण न करते हुये संवर्धित उधारी स्त्रोतो से किया जाना है। दिनांक 31 मार्च 2021 की स्थिति में ₹ 92,714.22 करोड़ के बजट दायित्व के अतिरिक्त राज्य शासन का विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के प्रति ऑफ बजट दायित्व है, जो कि लेखे में प्रदर्शित नहीं है। विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	संस्था/संगठन का नाम	राशि
1	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (सी.एच.बी.)	946.95
2	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन मर्यादित (सी.पी.एच.सी.एल.)	562.03
3	राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूड़ा)	825.00

राज्य शासन अपने बजट अभिलेखों में ऑफ बजट दायित्वों को प्रकट नहीं करती है।

लेखाओं के लिए टिप्पणियॉ–जारी

(xxiii) प्रतिकुल शेष : वर्ष के दौरान लेखे में दर्शाये गये ऋणात्मक शेष निम्नानुसार है। इसके अन्तर्गत ऋणात्मक शेष विभाजन से पूर्व अवधि (2000–01 के पूर्व) के शेषों का कम प्रभाजन के कारण हुई।

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	ऋणात्मक शेष
6425–107	सहकारिता के लिए कर्ज	(–)1.09
8223–102	अकाल राहत निधि	4.61 (नामे)

3. आकस्मिकता निधि : छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 के साथ पठित छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसार, विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन राज्य के विधान मंडल द्वारा ऐसे व्यय का प्राधिकरण हो जाने तक अनपेक्षित व्ययो की पूर्ति करने के आशयो के अतिरिक्त निधि में से कोई भी अग्रिम नहीं दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹ 100.00 करोड़ की राशि है। वर्ष 2020–21 के दौरान आकस्मिकता निधि से ₹ 13.39 करोड़ आहरित किया गया और वर्ष की समाप्ति से पूर्व इसकी प्रतिपूर्ति की गई थी। 31 मार्च 2021 की स्थिति में निधि का शेष ₹ 100.00 करोड़ है।

4. **लोक लेखा :**

(i) राष्ट्रीय पेंशन योजना : 1 नवम्बर 2004 को या पश्चात नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना के पात्र है जो एक ''परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना'' है। योजना के अनुसार कर्मचारी अपने मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* का अंशदान करता है एवं राज्य शासन द्वारा मूलवेतन तथा मंहगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* अंशदान किया जाता है एवं संपूर्ण राशि नेशनल सिक्युरिटीज् डिपाज़िटरी लिमिटेड़ (एन.एस.डी. एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से मनोनीत निधि प्रबन्धक को स्थानांतरित किया जाता है। तथापि, भारत सरकार के आदेश दिनांक 26 जनवरी 2019 के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 29 जून 2019 के द्वारा 01 अप्रैल 2019 से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का नियोक्ता अंशदान 14 *प्रतिशत* तक वृद्धि की गई।

वर्ष 2020–21 के दौरान परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में कुल ₹ 2,268.59 करोड़ (कर्मचारी अंशदान ₹ 1,133.84 करोड़, शासकीय अंशदान ₹ 1,129.00 करोड़ तथा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त (अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों सहित) कर्मचारियों का अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान ₹ 5.75 करोड़) का अंशदान किया गया। शासन ने लोक लेखा के मुख्यशीर्ष 8342–117 ''परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना'' के अन्तर्गत राशि ₹ 1,133.25 करोड़ स्थानांतरित किया। एन.पी.एस. में शासकीय अंशदान ₹ 4.84[4] करोड़ से कम था, परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व एवं राजकोषीय घाटा कम आंका गया।

वर्ष 2020–21 के दौरान एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को ₹ 1,133.25 करोड़ (कर्मचारी अंशदान का ₹ 1,130.76 करोड़ तथा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान ₹ 2.49 करोड़ सम्मिलित) स्थानांतरित किया गया। राज्य शासन द्वारा शासकीय अंशदान राशि ₹ 1,129.00 करोड़ को लोक लेखा के मुख्यशीर्ष 8342–117 में दर्ज किये बिना एन.एस.डी.एल. को स्थानांतरित किया गया। शेष ₹ 11.18 करोड़ (कर्मचारी अंशदान की राशि ₹ 3.08 करोड़, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान ₹ 3.26 करोड़ एवं राशि ₹ 4.84 करोड़ का नियोक्ता अंशदान) एन.एस.डी.एल. को स्थानांतरित किया जाना है। असंग्रहित, असंगत एवं अस्थानांतरित राशियों मय अर्जित ब्याज इस योजना के अन्तर्गत राज्य शासन के बकाया दायित्व दर्शाती है।

---

4 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का अंशदान की एकांतिक जानकारी राज्य शासन द्वारा उपलब्ध नहीं किये जाने के कारण कर्मचारियों का अंशदान 10 *प्रतिशत* की दर से गणना की गई है।

लेखाओं के लिए टिप्पणियॉं—जारी

(ii) आरक्षित निधियॉं : आरक्षित निधियों एवं उनके निवेश की जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 21 एवं 22 में उपलब्ध है। विशिष्ट उद्‌देश्यों हेतु 17 आरक्षित निधियां है जिनमें से 14 निधियां क्रियाशील है एवं तीन निधियां अक्रियाशील है। 31 मार्च 2021 के अंत तक इन निधियों में कुल ₹ 9,180.67 करोड़ (₹ 9,180.57 करोड़ क्रियाशील निधियों में एवं ₹ 0.10 करोड़ अक्रियाशील निधियों में) शेष संचित रहा, जिसमें से ₹ 7,181.07 करोड़ (78.22 *प्रतिशत*) निवेश किया गया। कुल संचित शेषों में ब्याज वाली आरक्षित निधियों के अन्तर्गत ₹ 5,070.59 करोड़ तथा बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियों के अन्तर्गत ₹ 4,110.08 करोड़ का शेष रहा।

(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियॉं :

(i) राज्य आपदा उन्मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) : राज्य आपदा उन्मोचन निधि (ब्याज वाली आरक्षित निधि के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष '8121—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां') के गठन एवं प्रशासन से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 75:25 के अनुपात से निधि में अंशदान किया जाना है। वर्ष 2020—21 के दौरान राज्य शासन ने केन्द्रांश के रूप में ₹ 345.60 करोड़ प्राप्त किया। वर्ष के दौरान राज्यांश ₹ 115.20 करोड़ रहा। राज्य शासन द्वारा ₹ 230.40 करोड़ (केन्द्रांश—₹ 172.80 करोड़ एवं राज्यांश—₹ 57.60 करोड़) मुख्यशीर्ष '8121—122 राज्य आपदा उन्मोचन निधि' के अन्तर्गत निधि में स्थानांतरण किया। राज्य शासन द्वारा एन.डी.आर.एफ. हेतु केन्द्र शासन से कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई।

केन्द्रांश की ₹ 172.80 करोड़ एवं शेष राज्यांश की ₹ 57.60 करोड़ की शेष राशि का स्थानांतरण नहीं किये जाने से राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा कम दर्शित हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान राज्य शासन ने ₹ 89.00 करोड़ (वर्ष 2019—20 के दौरान प्राप्त ₹ 66.75 करोड़ का केन्द्रांश एवं ₹ 22.25 करोड़ का राज्यांश) निधि में स्थानांतरण किया। निधि में अंशदान, व्यय एवं शेष निम्नानुसार है :—

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष (1 अप्रैल 2020)	केन्द्रांश का स्थानांतरण	राज्यांश	एन.डी.आर. एफ. के अन्तर्गत प्राप्तियॉं	वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां	प्रतिपूरित राशि (मु.शी. 2245—05)	निधि में शेष	वर्ष के दौरान आर.बी.आई / राज्य शासन द्वारा निवेश
491.88	239.55*	79.85**	0.00	328.73[5]	717.50	103.11	..

* वर्ष 2020—21 का ₹ 172.80 करोड़ एवं वर्ष 2019—20 का ₹ 66.75 करोड़।
** वर्ष 2020—21 का ₹ 57.60 करोड़ एवं वर्ष 2019—20 का ₹ 22.25 करोड़।

प्राकृतिक विपत्ति पर ₹ 717.50 करोड़ के संपूर्ण व्यय को निधि के शेष ₹ 820.61 करोड़ के विरूद्ध प्रतिपूरित (मुख्यशीर्ष 2245—'प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत') किया जा कर 31 मार्च 2021 की स्थिति में निधि का शेष ₹ 103.11 करोड़ रखा गया।

(ii) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि : पंद्राहवीं वित्त आयोग आपदा न्यूनीकरण के लिए निधि का सृजन हेतु अनुशंसा की है। राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के कुल कॉरपस के वित्त पोषण का लागत का बटवारा केन्द्र एवं राज्य शासन के मध्य 75:25 के अनुपात में होगा।

वर्ष 2020—21 के दौरान राज्य शासन ने केन्द्रांश के रूप में ₹ 86.40 करोड़ प्राप्त किया। वर्ष के दौरान राज्य शासन का अंशदान ₹ 28.80 करोड़ रहा। राज्य शासन ने ₹ 57.60 करोड़ (केन्द्रांश—₹ 43.20 करोड़ एवं राज्यांश—₹ 14.40 करोड़) निधि में स्थानांतरण किया। केन्द्रांश की ₹ 43.20 करोड़ एवं शेष राज्यांश की ₹ 14.40 करोड़ की शेष राशि का स्थानांतरण नहीं किये जाने से राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा उस सीमा तक कम दर्शित हुआ। निधि में अंशदान, व्यय एवं शेष निम्नानुसार है :—

[5] ₹ 9.33 करोड़ का कोषालय जमा सम्मिलित है।

लेखाओं के लिए टिप्पणियॉं–जारी

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष (1 अप्रैल 2020)	केन्द्रांश का स्थानांतरण	राज्यांश	वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां	निधि में शेष	वर्ष के दौरान आर.बी.आई / राज्य शासन द्वारा निवेश
निरंक	43.20	14.40	57.60	57.60	57.14

वर्ष के दौरान निधि में कोई भी व्यय दर्ज नहीं की गई। 31 मार्च 2021 के स्थिति में निधि का शेष ₹ 57.60 करोड़ था जिसमें से ₹ 57.14 करोड़ 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल्स् में निवेश किया गया है।

(iii) राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि : वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 5–1/2009–एफसी, दिनांक 28 अप्रैल 2009 के द्वारा जारी किये गये निर्देशों एवं जुलाई 2009 के दिशानिर्देश के परिपालन में राज्य शासन को उपयोगकर्ता अभिकरणों से प्राप्त राशियों एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण करने हेतु संग्रहित राशियो का उपयोग, सहायतित प्राकृतिक उत्थान, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, अधोसंरचना विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा तथा अन्य संबंधित कार्यक्रम एवं इसके साथ जुड़े या उसके आनुषंशिक मामले हेतु राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का गठन किया जाना है। छत्तीसगढ़ शासन ने सितम्बर 2018 में एक अधिसूचना द्वारा मुख्यशीर्ष 8121–''सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियॉं'' के अधीन पृथक लघुशीर्ष 129–''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि–छत्तीसगढ़'' के अन्तर्गत एक विशेष निधि ''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि'' का गठ़न किया।

राज्य शासन द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरणों से प्राप्त राशियों को राज्य के लोक लेखे के ब्याज धारित खण्ड के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष 8336–''सिविल जमा'' के नीचे लघु शीर्ष स्तर पर ''राज्य प्रतिरात्मक वनरोपण जमा'' में जमा किया जाना है। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के धारा 3 (4) के अनुसार निधि का 90 *प्रतिशत* राज्य के लोक लेखे में मुख्यशीर्ष 8121–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों को स्थानांतरित किया जाना है तथा शेष 10 *प्रतिशत* राष्ट्रीय निधि में वार्षिक आधार पर जमा किया जाना है, बशर्त कि 10 प्रतिशत केन्द्रांश मासिक आधार पर जमा किया जाना सुनिश्चित किया जावे ताकि इस राशि को राष्ट्रीय निधि को स्थानांतरित किया जा सके। इस लेखांकन प्रक्रिया को राज्य शासन द्वारा अभी भी लागू किया जाना है।

वर्तमान में, उपयोगकर्ता अभिकरणों द्वारा सम्पूर्ण राशि राष्ट्रीय कैम्पा निधि, नई दिल्ली में जमा किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान, राज्य शासन द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरणों से न तो कोई भी राशि प्राप्त की गई है और न ही मुख्यशीर्ष 8336–सिविल जमा के अन्तर्गत जमा की गई है। राज्य शासन द्वारा भी राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण जमा से कोई राशि प्राप्त नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभी इस उद्देश्य के लिए नया खाता खोलने हेतु अपनी सहमति दी गई है, जो राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त होने पर कार्यशील होगा।

मुख्यशीर्ष 8336–''सिविल जमा'' के अन्तर्गत ''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण जमा'' तथा मुख्यशीर्ष 8121–''सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियॉं'' के अन्तर्गत ''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि'' में उपलब्ध शेषों पर लागू ब्याज दर केन्द्र सरकार द्वारा वर्षानुवर्ष आधार पर घोषित दर के अनुसार होगा।

31 मार्च 2020 को निधि का शेष ₹ 5,391.84 करोड़ था। राज्य सरकार वर्ष 2019–20 में निवेश की गई निधि से ₹ 218.05 करोड़ ब्याज अर्जित किया गया। इसके अतिरिक्त, निधि में ₹ 700.00 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया। 31 मार्च 2021 की निधि का कुल शेष ₹ 4,909.89 करोड़ था जिसमें से राशि ₹ 4,398.61 करोड़ 364 दिवस का ट्रेजरी बिल्स में निवेश किया गया है।

लेखाओं के लिए टिप्पणियॉ—जारी

(ख) बिना ब्याजवाली आरक्षित निधियॉ :

(i) समेकित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ) : छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2006—07 में ऋणों का परिशोधन हेतु समेकित निक्षेप निधि का गठन किया है। इस निधि के दिशा—निर्देशों के अनुसार समेकित निक्षेप निधि में पूर्व वर्ष के अंत तक बकाया दायित्वों (आंतरिक ऋण (+) लोक लेखा) का न्यूनतम 0.5 *प्रतिशत* अंशदान राज्य द्वारा किया जा सकता है। निधि में लेन—देन निम्नानुसार है :—

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष	निधि में वृद्धि (अंशदान एवं ब्याज)		निधि से भुगतान	निधि में कुल शेष	वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निवेशित राशि	31 मार्च 2021 को अंत शेष
	अपेक्षित अंशदान	वर्ष के दौरान अंशदान				
2,311.94	393.56	275.00	0.00	2,586.94	275.00	2,586.94

(ii) गारंटी उन्मोचन निधि (जी.आर.एफ) : बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्य के प्रत्याभूति दायित्व को पूरा करने हेतु गारंटी उन्मोचन निधि का गठन करें। यद्यपि, छत्तीसगढ़ शासन ने पत्र दिनांक 29 जून 2021, के द्वारा सूचित किया कि गारंटी उन्मोचन निधि का गठ़न नहीं किया गया है।

(iii) अक्रियाशील आरक्षित निधियॉ : 31 मार्च 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में तीन अक्रियाशील आरक्षित निधियॉ है :—

अक्रियाशील आरक्षित निधियॉ का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष जब से अक्रियाशील है
8229—विकास एवं कल्याण निधि	101—शिक्षा के उद्देश्य के लिए विकास निधि	जमा 0.03	2011—12
8229—विकास एवं कल्याण निधि	102—कृषि के उद्देश्य के लिए विकास निधि	जमा 0.06	2000—01
8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	200—अन्य निधियॉ	जमा 0.01	2000—01
योग		**जमा 0.10**	..

(iii) उचंत एवं प्रेषण शेष : वित्त लेखे में उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेष प्रतिबिंबित होते है जिसकी जानकारी वित्त लेखे (खण्ड—II) के विवरण क्रमांक 21 में दर्शाया गया है। इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेषो की गणना विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से नामें एवं जमा शेषों को जोड़कर की गई है। मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षो के विगत तीन वर्षो से संबंधित सकल एवं निवल आंकड़ो की जानकारी **अनुलग्नक (ज)** में दर्शायी गई है।

इन शीर्षो के अन्तर्गत बकाया शेषों का निराकरण न करने से राज्य शासन के विभिन्न लेखा शीर्षो के अन्तर्गत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों एवं शेषों (जिसे वर्षानुवर्ष आगे बढ़ाया जाता है) की शुद्धता को प्रभावित करता है।

(iv) मुख्यशीर्ष 8670—चैक्स् एवं बिल्स् : मुख्यशीर्ष 8670—चैक्स् एवं बिल्स् के अन्तर्गत जमा शेष यह इंगित करता है कि जारी किये गये चैक्स् को 31 मार्च 2021 तक भुनाया नहीं गया है। 1 अप्रैल 2020 को उक्त शीर्ष का प्रारंभिक शेष ₹ 59.85 करोड़ (जमा) था। वर्ष 2020—21 के दौरान ₹ 65,386.33 करोड़ के चैक्स् जारी किये गये जिसके विरूद्ध ₹ 65,389.08 करोड़ के चैक्स् भुनाये गये तथा 31 मार्च 2021 को अंतशेष राशि ₹ 57.10 करोड़ (जमा) रहा। अंतशेष, विभिन्न वित्तीय वर्षों में कार्यात्मक मुख्यशीर्षो के अन्तर्गत मूल रूप से दर्ज किये गये व्यय जिसका 31 मार्च 2021 तक छत्तीसगढ़ शासन से कोई नगद बर्हिगमन नहीं हुआ है, इंगित करता है।

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

(v) **केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) :** भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) के अन्तर्गत राज्य शासन को विशिष्ट सड़क परियोजनाओं पर व्यय के लिए वार्षिक अनुदान प्रदाय किया जाता है। वर्तमान लेखांकन प्रक्रियानुसार अनुदान राशि प्रथमतः राज्स्व प्राप्ति के रूप में मुख्यशीर्ष ''1601—सहायता अनुदान'' के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए एवं समतुल्य राशि राजस्व व्यय मुख्यशीर्ष ''3054—सड़कें एवं पुल'' को नामे कर लोक लेखे के अधीन मुख्यशीर्ष ''8449—अन्य प्राप्तियां—103—केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान'' में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि लेखाओं में अनुदान प्राप्ति से राजस्व आधिक्य में वृद्धि अथवा राजस्व घाटे में कमी न हो। विशेष सड़क कार्यो के व्यय को प्रथमतः संबंधित राजस्व या पूंजीगत मुख्यशीर्षों (मुख्यशीर्ष 3054 या 5054) के अधीन दर्ज किया जाता है तथा तदोपरांत मुख्यशीर्षो 3054/5054 को ऋणात्मक नामें कर निधि (मुख्यशीर्ष 8449—103) को तत्संबंधि नामे कर निधि के शेष से समायोजित किया जाता है।

वर्ष 2020—21 के दोरान, राज्य शासन को केन्द्रीय सड़क निधि हेतु ₹ 234.92 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ तथा ₹ 296.54 करोड़ (वर्ष 2020—21 का ₹ 176.63 करोड़ एवं वर्ष 2019—20 से संबंधित ₹ 119.91 करोड़) व्यय शीर्ष 3054 के माध्यम से जमा शीर्ष 8449 में स्थानांतरित किया गया। राज्य शासन ने वर्ष के दौरान निधि से ₹ 266.28 करोड़ का व्यय किया एवं 31 मार्च 2021 को निधि में राशि ₹ 30.26 करोड़ शेष रहा।

राज्य शासन द्वारा निधि में ₹ 58.29 करोड़ स्थानांतरित नहीं किया गया परिणामस्वरूप राजस्व/ राजकोषीय घाटे में कमी हुई जिसका प्रभाव पैरा—7 में दिया गया है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2019—20 से संबंधित राशि ₹ 67.18 करोड़ भी स्थानांतरित नहीं की गई है।

(vi) **भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर :** भारत सरकार द्वारा कर्मकारों को लाभ प्रदाय किये जाने हेतु उपकर के उगाही एवं संग्रहण के लिए ''भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996'' (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया गया है। अधिनियम, अन्य बातों के साथ, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन तथा अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकारों को नियम बनाना अनिवार्य किया गया है। तद्नुसार, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिनियम के तहत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते का विनियमन) नियम 2008 बनाया गया है तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन किया गया है। मण्डल, श्रमिक उपकर जमा के रूप में शासन द्वारा जमा की गई राशि का संवरण एवं संचालन का उत्तरदायी है।

वर्ष 2020—21 के दौरान, राज्य शासन मुख्यशीर्ष 8443 के अन्तर्गत श्रमिक उपकर के रूप में ₹ 35.32 करोड़ संग्रहित किया गया तथा राशि ₹ 35.86 करोड़ (पूर्व वर्षो का शेष राशि ₹ 6.66 करोड़ भी सम्मिलित है) भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को स्थानांतरित किया। 31 मार्च 2021 को मुख्यशीर्ष 8443 के अन्तर्गत अस्थानांतरित राशि ₹ 6.12 करोड़ रहा।

(vii) **अन्य उपकर :** पूर्व वर्ष में संग्रहित उपकर को आगामी वर्ष में लोक लेखा के अन्तर्गत संबंधित निधि में स्थानांतरित किया जाना है। पूर्व वित्त वर्ष में राज्य शासन द्वारा अधोसंरचना विकास निधि एवं पर्यावरण निधि में स्थानांतरण करने हेतु मुख्यशीर्ष 0029—भू—राजस्व के नीचे लघुशीर्ष 103—भूमी पर पौरकर और उपकर के अन्तर्गत अधोसंरचना विकास उपकर के रूप में ₹ 219.90 करोड़ एवं पर्यावरण उपकर के रूप में ₹ 219.90 करोड़ (अन्य श्रमिक उपकर के अतिरिक्त) का संग्रहण किया गया। कुल संग्रहण ₹ 439.80 करोड़ में से वर्ष 2020—21 के दौरान राज्य शासन द्वारा कोई भी राशि का निधि में स्थानांतरण नही किया गया। पूर्व वर्ष में संग्रहित उपकर किन्तु वर्ष 2020—21 में निधि में स्थानांतरण नहीं किये गये उपकर का विवरण निम्नांनुसार है :—

(₹ करोड़ में)

सरल कमांक	लेखा शीर्ष	उपकर का विवरण	राशि
1	8229—200	अधोसंरचना विकास उपकर	219.90
2	8229—200	पर्यावरण उपकर	219.90
योग			**439.80**

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

प्रासंगिक निधियो में उपकर का स्थानांतरण नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व एवं राजकोषीय घाटा ₹ 439.80 करोड़ से कम दर्शित हुआ। पूर्व के वर्षो में राज्य शासन द्वारा संग्रहित उपकर जिसका स्थानांतरण नहीं किया गया है का विवरण **अनुलग्नक (झ)** में दर्शाया गया है।

(viii) रोकड़ शेष : दिनांक 31 मार्च 2021 की स्थिति में महालेखाकार के अभिलेखानुसार रोकड़ शेष ₹ 1,121.67 करोड़ (जमा) था एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष ₹ 926.96 करोड़ (नामे) था। ₹ 194.71 करोड़ (जमा) का अंतर, मुख्यतः मान्यता प्राप्त बैंको द्वारा केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपूर जो कि राज्य शासन का रोकड़ शेष संधारित करने हेतु उत्तरदायी है को प्रेषित त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन के कारण है। यह अंतर पुनर्मिलान के अधीन है।

पूर्व वर्षो का रोकड़ शेष अंतर की राशि निम्नानुसार है :—

(₹ करोड़ में)

वर्ष (31 मार्च की स्थिति में)	रोकड़ शेष
2015—16 तक	70.98 (नामे)
2016—17	57.25 (जमा)
2017—18	31.00 (नामे)
2018—19	401.87 (नामे)
2019—20	8.96 (जमा)
2020—21	194.71 (जमा)

5. भारत सरकार का लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण :

(क) **भारत सरकार का लेखाकंन मानक—1—सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति** : भारत सरकार का लेखाकंन मानक—1 के अनुसार राज्य शासन द्वारा दिये गये प्रत्याभूति से संबंधित क्षेत्रवार एवं वर्गवार प्रकटीकरण वित्त लेखे में सम्मिलित किया जाना है। विवरण क्रमांक 9 एवं 20 में राज्य शासन द्वारा जारी प्रत्याभूति एवं प्रत्याभूति राशि पर ब्याज का विवरण दर्शाया जाता है। 13 प्रत्याभूति प्राप्त करने वाले संस्थाओं में से 11 (अर्थात 85 *प्रतिशत*) द्वारा प्रत्याभूति से संबंधित जानकारी को भारत सरकार का लेखांकन मानक—1 के निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराई गई। अतः राज्य शासन द्वारा इस भारत सरकार का लेखांकन मानक का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया।

भारत सरकार का लेखाकंन मानक—1 के अनुसार तैयार किये गये विवरण क्रमांक 9 एवं 20 में प्रतिवेदित प्रत्याभूतियों का विवरण राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित है।

(ख) **भारत सरकार का लेखांकन मानक—2—सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण :** भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत प्रकरणों के अतिरिक्त सहायता अनुदान से संबंधित व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकरण किया जाता है यद्यपि यह परिसम्पत्तियों के निर्माण से संबंधित है। राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण से संबंधित अपेक्षाओं को विवरण क्रमांक 10 एवं परिशिष्ट—III में दर्शाया गया है जो कि भारत सरकार लेखांकन मानक—2 के अपेक्षानुसार तैयार किया गया है। तथापि भारत सरकार लेखांकन मानक—2 के प्रावधानों के उल्लंघन में ₹ 1,837.67 करोड़ की राशि को सहायता अनुदान के रूप में पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। वस्तुओ के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान से संबंधित विस्तृत जानकारी को राज्य शासन द्वारा उपलब्ध नहीं की गई। 94 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से 13 अर्थात 14 *प्रतिशत* बजट नियंत्रण अधिकारियों ने सहायता अनुदान से संबंधित जानकारी को भारत सरकार लेखांकन मानक—2 के निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया। अतः राज्य शासन द्वारा इस भारत सरकार का लेखांकन मानक का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया है।

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ–जारी

(ग) **भारत सरकार का लेखांकन मानक–3–सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम :** वित्त लेखे 2020–21 के विवरण क्रमांक 7 एवं 18 को भारत सरकार लेखांकन मानक–3 के प्रकटीकरण को सम्मिलित करते हुए तैयार किया गया है। वित्त लेखे के इन विवरणों में प्रस्तुत ऋण तथा अग्रिम का विवरण, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत लेखे के माध्यम से प्राप्त जानकारी तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संधारित ऋण एवं अग्रिमों के विस्तृत लेखे पर आधारित है। 31 मार्च 2021 को विवरण क्रमांक 7 एवं 18 में दर्शाये गये अंतशेष का ऋणी संस्थाओं/राज्य शासन के साथ पुनर्मिलान नहीं किये गये है। राज्य शासन ने कुछ ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये है जिसका विस्तृत लेखा उनके द्वारा रखे जाते है।

सांविधिक निगम/अन्य संस्थाओं को दिये गये ऋणों के विरूद्ध ₹ 888.44 करोड़ (मूलधन–₹ 776.64 करोड़ एवं ब्याज–₹ 111.80 करोड़) की वापसी वर्ष के अंत में लंबित है (विवरण क्रमांक 7 के भाग–3 में)। कुल बकाया ऋण राशि में 31 अक्टूबर 2000 से पूर्व में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया ₹ 40.52 करोड़ के ऋण सम्मिलित है जिसे छत्तीसगढ़ शासन को 1 नवम्बर 2000 को प्रभाजित किये गये थे तथा इनके विरूद्ध कोई भी पुनर्भुगतान नहीं हुआ है। इन ऋणों के अपलेखन के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अपेक्षित है। इन ऋणों का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक–(ञ)** में दर्शाया गया है।

सांविधिक निगम/अन्य संस्थाओं को दिये गये ₹ 172.95 करोड़ का ऋण से संबंधित नियम एवं शर्तो का निर्धारण नहीं किया गया है (विवरण क्रमांक 18 का अतिरिक्त प्रकटीकरण में ब्यौरा)। परिणामस्वरूप इस खाते पर राज्य शासन के प्राप्तियों का आकलन नहीं किया जा सका।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रतिवर्ष ऋण शेषों (जहाँ महालेखाकार द्वारा विस्तृत लेखे का रख–रखाव किया जाता है) का सत्यापन और स्वीकृति हेतु ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों को सूचित करता है। किसी भी ऋणी ने वर्ष 2020–21 के अंत में बकाया ऋण शेष की पुष्टि नहीं की है।

94 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से 53 अर्थात 57 *प्रतिशत* ने राज्य शासन द्वारा प्रदत्त ऋण तथा अग्रिम से संबंधित जानकारी भारत सरकार लेखांकन मानक–3 के निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया। अतः राज्य शासन द्वारा इस भारत सरकार लेखांकन मानक का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया है।

6. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकटीकरण

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005/मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण के अन्तर्गत प्रकटीकरण : छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 4(1) के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2020–21 के राज्य बजट के साथ मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण प्रस्तुत किया। अधिनियम में उल्लेखित लक्ष्य एवं इसके विरूद्ध उपलब्धियों को लेखे में दर्शाया गया जो निम्नानुसार है :

सरल क्रमांक	लक्ष्य	वर्ष के दौरान लेखे के अनुसार उपलब्धियाँ एवं सकल राज्य घरेलु उत्पाद
1	वर्ष 2020–21 की अवधि के दौरान राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों का (–)2.90 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होगा	वर्ष 2020–21 में छत्तीसगढ़ शासन का राजस्व घाटा ₹ 6,856.66 करोड़ था (कुल राजस्व प्राप्तियां का 10.85 *प्रतिशत*)
2	वर्ष 2020–21 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होगा	लेखा अनुसार वर्ष 2020–21 का राजकोषीय घाटा ₹ 15,822.38 करोड़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.52 *प्रतिशत* था।
3	वर्ष 2020–21 के दौरान बकाया देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 21.59 *प्रतिशत* से कम होगा	वर्ष 2020–21 का बकाया देयताएं (₹ 89,605.22 करोड़[6]) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25.58 *प्रतिशत* था।

[6] भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ.सं. 40(1) पीएफ–एस/2021–22 दिनांक 10.12.2021 के अनुसार इस देयता में ₹ 3,109.00 करोड़ सम्मिलित नहीं है, जिसे जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति में कमी के कारण भारत सरकार द्वारा बैक–टू–बैक ऋण के रूप में सौंपा गया था।

लेखाओं के लिए टिप्पणियॉं—जारी

सरल क्रमांक	लक्ष्य	वर्ष के दौरान लेखे के अनुसार उपलब्धियॉं एवं सकल राज्य घरेलु उत्पाद
4	प्राथमिक घाटा सकल राज्य घरेलु उत्पाद के 1.57 *प्रतिशत* से कम होगा	प्राथमिक घाटा ₹ 10,189.27[7] करोड़ है जो वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 3,50,270.00 करोड़) का 2.91 *प्रतिशत* है।
5	ब्याज भुगतान राज्य के स्वयं के राजस्व का 16.51 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होगा	राज्य के स्वयं के राजस्व से ब्याज भुगतान की *प्रतिशतता* 18.76 है। ब्याज भुगतान ₹ 5,633.11 करोड़ था तथा राज्य के स्वयं का राजस्व ₹ 30,026.15[8] करोड़ था।
6	ब्याज भुगतान तथा पेंशन कुल राजस्व प्राप्तियों के 14.48 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होगा	ब्याज भुगतान एवं पेंशन पर व्यय ₹ 12,768.90 करोड़ था जो कि कुल राजस्व प्राप्ति ₹ 63,176.18 करोड़ का 20.21 *प्रतिशत* है।

* सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्त्रोत : आर्थिक तथा सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन का आर्थिक समीक्षा, 2020—21

₹ 15,822.38 करोड़ का राजकोषीय घाटे को (i) आंतरिक ऋण (बाजार उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि)— ₹ 10,156.14 करोड़ (ii) केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम— ₹ 3,405.25 करोड़ (iii) लघु बचत भविष्य निधि इत्यादि— ₹ 403.73 करोड़ (iv) जमा एवं अग्रिम— ₹ 501.82 करोड़ (v) निक्षेप निधि एवं आरक्षित निधि— ₹ (—)465.18 करोड़ (vi) उचंत एवं विविध— ₹ 1,845.02 करोड़ (vii) प्रेषण— ₹ (—)51.08 करोड़ एवं (viii) रोकड़ शेष में कमी— ₹ 26.68 करोड़ के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है।

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम तथा नियमों के तहत लक्ष्य तथा उपलब्धि की स्थिति को राज्य शासन द्वारा विधायिका में 2020—21 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय प्रकट करना आवश्यक है। इस संदर्भ में —

(i) निर्धारित वित्तीय संकेत के अनुपालन को प्रभावित करने वाले या प्रभावित होने की संभावना वाले नीतियों और व्यवहारों, लेखांकन मानकों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(ii) प्रमुख कार्यो और अनुबंधो, प्रतिबद्ध देयताओं, कार्यो और आपूर्ति पर भुगतान हेतु बकाया बिलों से संबंधित दावों तथा सम्पत्ति के विवरण के संबंध में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(iii) राजस्व प्राप्तियां, जो कि उपार्जित हुई किन्तु अप्राप्त है से संबंधित प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

7. राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव : पूर्व के अनुच्छेदों में उल्लेखित राज्य शासन के राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव निम्नानुसार दर्शाया गया हैं :

राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

अनुच्छेद क्रमांक	मद	राजस्व घाटा पर प्रभाव		राजकोषीय घाटा पर प्रभाव	
		अत्युक्ति	न्यूनोक्ति	अत्युक्ति	न्यूनोक्ति
2(ii)	राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूंजीगत अनुभाग में दर्ज सहायता अनुदान	..	1,837.67	..	..
2(ii)	पूंजीगत अनुभाग में दर्ज कार्यालय व्यय	..	3.43	..	..
2(ii)	राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूंजीगत अनुभाग में दर्ज व्यवसायिक सेवाएं	..	24.75	..	..

---

7 राजकोषीय घाटा ₹ 15,822.38 करोड़ (—)ब्याज भुगतान ₹ 5,633.11 करोड़।

8 राज्य के स्वयं के कर राजस्व ₹ 22,889.20 करोड़ एवं करेतर राजस्व ₹ 7,136.95 करोड़ सम्मिलित है।

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ–जारी

राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव–समाप्त

(₹ करोड़ में)

अनुच्छेद क्रमांक	मद	राजस्व घाटा पर प्रभाव		राजकोषीय घाटा पर प्रभाव	
		अत्युक्ति	न्यूनोक्ति	अत्युक्ति	न्यूनोक्ति
2(x)	राष्ट्रीय पेंशन योजना पर ब्याज दायित्वों	..	1.83	..	1.83
4 (i)	राष्ट्रीय पेंशन योजना	..	4.84	..	4.84
4 (ii) (क) (i)	राज्य आपदा उन्मोचन निधि को सहायता अनुदान से संबंधित केन्द्रांश का स्थानांतरण नहीं किया जाना	..	172.80	..	172.80
4 (ii) (क) (i)	राज्य आपदा उन्मोचन निधि को सहायता अनुदान से संबंधित राज्यांश का स्थानांतरण नहीं किया जाना	..	57.60	..	57.60
4 (ii) (क) (ii)	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि को सहायता अनुदान से संबंधित केन्द्रांश का स्थानांतरण नहीं किया जाना	..	43.20	..	43.20
	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि को सहायता अनुदान से संबंधित राज्यांश का स्थानांतरण नहीं किया जाना	..	14.40	..	14.40
4 (vii)	अधोसंरचना विकास उपकर का स्थानांतरण नहीं किया जाना	..	219.90	..	219.90
4 (vii)	पर्यावरण उपकर का स्थानांतरण नहीं किया जाना	..	219.90	..	219.90
4 (v)	केन्द्रीय सड़क निधि के सहायता अनुदान का स्थानांतरण नहीं किया जाना	..	58.29	..	58.29
योग (निवल) प्रभाव		**..**	**2,658.61**	**..**	**792.76**

अनुलग्नक–क
आवधिक/अन्य समायोजनों का विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–1 (ii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	अन्तरण		लेखाशीर्ष		राशि	अभ्युक्ति
	से	को	से	को		
1	मुद्रांक तथा पंजीयन	ग्रामीण विकास निधि	2030–797	8229–200	23.02	ग्रामीण विकास निधि को स्थानांतरण
		पंचायत भू–राजस्व, उपकर तथा स्टाम्प डयूटी निधि	2030–797	8229–200	60.78	पंचायत भू–राजस्व उपकर तथा स्टाम्प डयूटी निधि को स्थानांतरण
2	विद्युत एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	विद्युत विकास निधि	2045–797	8229–110	225.00	विद्युत विकास निधि को स्थानांतरण
3	विद्युत विकास निधि	ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय	8229–110	4801–902	150.00	विद्युत विकास निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
		अपारंपरिक उर्जा स्त्रोत पर पूंजीगत व्यय	8229–110	4810–902	50.00	
		अपारंपरिक उर्जा स्त्रोत	8229–110	2810–902	25.00	
4	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	निक्षेप निधि	2048–101	8222–02–101	275.00	खुले बाजार ऋण के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि को स्थानांतरण
5	ब्याज का भुगतान	सामान्य भविष्य निधि	2049–03–104	8009–01–101	478.45	सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं को वार्षिक ब्याज का स्थानांतरण
6	ब्याज का भुगतान	बीमा तथा पेंशन निधि	2049–60–701	8011–107	62.50	राज्य शासन के कर्मचारियो का समूह बीमा निधि को ब्याज का स्थानांतरण
7	ब्याज का भुगतान	परिवार कल्याण निधि	2049–60–701	8342–120	1.90	परिवार कल्याण निधि में ब्याज का स्थानांतरण
8	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति के लाभ	अन्य विकास तथा कल्याण निधि–पेंशन निधि	2071–01–797	8229–200	22.00	पेंशन निधि को स्थानांतरण
9	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि–राज्य आपदा उन्मोचन निधि	2245–05–101	8121–122	319.40	राज्य आपदा उन्मोचन निधि को केन्द्रांश एवं राज्यांश का स्थानांतरण
		राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	2245–05–101	8121–130	57.60	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि को केन्द्रांश एवं राज्यांश का स्थानांतरण

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

अनुलग्नक—क
आवधिक / अन्य समायोजनों का विवरण—समाप्त
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों—अनुच्छेद क्रमांक—1 (ii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	अन्तरण		लेखाशीर्ष		राशि	अभ्युक्ति
	से	को	से	को		
10	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ—राज्य आपदा उन्मोचन निधि	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत	8121—122	2245—05—901	717.50	राज्य आपदा उन्मोचन निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
11	राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि (एससीएएफ)	वानिकी तथा वन्य जीवन	8121—129	2406—04—902	700.00	राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
12	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	अन्य विकास निधि—छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निघि	2853—02—797	8229—200	65.00	छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि को स्थानांतरण
13	अन्य विकास निधि—खनिज विकास निधि	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	8229—200	4853—01—902	26.30	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
				6853—01—902	62.00	
14	सड़कें एवं पुल	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	3054—797	8449—103	296.54	केन्द्रीय सड़क निधि को स्थानांतरण
15	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	सड़कें एवं पुल	8449—103	5054—03—902	266.28	केन्द्रीय सड़क निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
16	अन्य कल्याण निधि—पंचायत भू—राजस्व उपकर एवं स्टाम्प डयूटी निधि	स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	8229—200	3604—902	60.56	पंचायत भू—राजस्व, उपकर तथा स्टाम्प डयूटी निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति

अनुलग्नक–ख (i)
पूंजीगत अनुभाग में दर्ज सहायता अनुदान का विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–2 (ii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्य शीर्ष	नामावली	उद्देश्य शीर्ष	नामावली	राशि
1	4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	2.53
2	4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	0.32
3	4215	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	109.87
4	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	571.55
5	4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति तथां अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	160.89
6	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	163.60
7	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	201.64
8	4810	नवीन एवं अक्षय ऊर्जा स्त्रोत पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	550.00
9	4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	0.87
10	5275	अन्य संचार पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	70.00
11	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	6.40
				योग	**1,837.67**

अनुलग्नक–ख (ii)
पूंजीगत अनुभाग में दर्ज कार्यालय व्यय का विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–2 (ii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्य शीर्ष	नामावली	उद्देश्य शीर्ष	नामावली	राशि
1	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	04	कार्यालय व्यय	0.01
2	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	04	कार्यालय व्यय	0.06
3	4215	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	04	कार्यालय व्यय	1.15
4	4700	वृहद् सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	04	कार्यालय व्यय	0.42
5	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	04	कार्यालय व्यय	0.42
6	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	04	कार्यालय व्यय	0.47
7	4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	04	कार्यालय व्यय	0.90
				योग	**3.43**

अनुलग्नक—ख (iii)
पूंजीगत अनुभाग में दर्ज व्यवसायिक सेवा का विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों—अनुच्छेद क्रमांक—2 (ii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्य शीर्ष	नामावली	उद्देश्य शीर्ष	नामावली	राशि
1	4700	वृहद् सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	10	व्यवसायिक सेवा व्यय	0.14
2	4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	10	व्यवसायिक सेवा व्यय	24.61
				योग	**24.75**

अनुलग्नक–ग
लघुशीर्ष–800 'अन्य व्यय' के अन्तर्गत दर्ज व्यय का मुख्य शीर्षवार विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–2 (iv) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्यशीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघुशीर्ष–800 अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में दर्ज व्यय	लघुशीर्ष–800 अन्य व्यय के अन्तर्गत दर्ज व्यय का कुल व्यय से *प्रतिशत*
1	2075	विविध सामान्य सेवाएं	0.20	0.20	100.00
2	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1,095.63*	517.30	47.21
3	2810	नवीन एवं अक्षय ऊर्जा स्त्रोत	49.70	29.70	59.76
4	2853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	216.45	116.65	53.89
5	3275	अन्य संचार सेवा	35.63	35.63	100.00
6	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.70	2.70	100.00
7	4700	वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	335.25	204.60	61.03
8	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	71.12	56.47	79.40
9	4801	बिजली परियोजनाओ पर पूंजीगत परिव्यय	202.10*	150.00	74.22
10	5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	8.70	7.60	87.36
11	5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	3.97	3.97	100.00
12	5425	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	3.00	100.00
योग			**1,156.95**	**1,127.82**	

* मुख्यशीर्ष 2245 एवं 4801 के अन्तर्गत दर्शाया गया व्यय सकल व्यय है। ₹ 717.50 करोड़ एवं ₹ 150.00 करोड़ की राशि क्रमशः राज्य आपदा राहत निधि एवं ऊर्जा विकास निधि में स्थानांतरित की गई है।

अनुलग्नक–घ
लघुशीर्ष–800 'अन्य प्राप्तियों' के अन्तर्गत दर्ज प्राप्तियों का मुख्य शीर्षवार विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–2 (iv) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्यशीर्ष	नामावली	कुल प्राप्ति	लघुशीर्ष–800 अन्य प्राप्तियाँ के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में दर्ज प्राप्ति	लघुशीर्ष–800 अन्य प्राप्तियाँ के अन्तर्गत दर्ज प्राप्ति का कुल प्राप्तियों से *प्रतिशत*
1	0049	ब्याज प्राप्तियां	89.77	53.24	59.31
2	0055	पुलिस	29.06	25.90	89.13
3	0058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	1.99	1.57	78.89
4	0059	लोक निर्माण कार्य	32.23	31.70	98.36
5	0070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	35.67	19.95	55.93
6	0217	शहरी विकास	10.20	10.20	100.00
7	0220	सूचना तथा प्रचार	0.04	0.04	100.00
8	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	13.33	13.34	100.07
9	0408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार	1.30	1.30	100.00
10	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.86	1.75	94.09
11	0515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	37.69	34.72	92.12
12	0702	लघु सिंचाई	232.72	233.63	100.39
13	0852	उद्योग	12.08	12.92	106.95
योग			**497.94**	**440.26**	

(*) मुख्यशीर्ष 0235, 0702 एवं 0852 के अन्तर्गत राजस्व की वापसी के कारण इन मुख्य शीर्षों के कुल प्राप्तियों से अधिक प्रदर्शित हो रहा हैं। इन मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व की वापसियाँ क्रमशः ₹ 0.01 करोड़, ₹ 2.26 करोड़ एवं ₹ 0.84 करोड़ थी।

अनुलग्नक–ङ
विभागों जिनके उपयोगिता प्रमाण पत्रों सर्वाधिक लंबित है का वर्षवार विश्लेषण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–2 (viii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

उपयोगिता प्रमाण पत्रों का वर्षवार विश्लेषण								
स.क्र.	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	वर्ष				कुल योग	प्रतिशत
			2016–17 तक	2017–18	2018–19	2019–20		
1	शहरी कल्याण विभाग	3604	6.90	3.88	1,498.62	2,271.03	3,780.43	53.88
2	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	3604	41.35	129.30	1,940.08	908.09	3,018.82	43.02
3	कृषि विभाग	2401	..	4.32	5.98	125.46	135.76	1.93

अनुलग्नक–च

राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों, जिसके लेखों को 31 मार्च 2021 तक अंतिम रूप नही दिया गया है, को प्रदत्त अनुदान, आर्थिक सहायता एवं प्रत्याभूति

(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–2 (xii) के संदर्भ में) लंबित लेखे वाले

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	सार्वजनिक उपक्रमों का नाम	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण हुये है	लंबित लेखों की अवधि	वर्ष के दौरान लंबित लेखे में राज्य सरकार द्वारा अनुदान तथा प्रत्याभूति			
				अनुदान	अन्य (आर्थिक सहायता इत्यादि)	प्रत्याभूति	कुल
1.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	2016–17	2017–18 से 2019–20	120.41	0.00	0.00	120.41
2.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम मर्यादित	2018–19	2019–20	13.00	0.00	0.00	13.00
3.	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन	2018–19	2019–20	0.00	1.25	0.00	1.25
4.	रायपुर स्मार्ट सिटी मर्यादित	2016–17	2017–18 से 2019–20	12.00	0.00	0.00	12.00
योग				**145.41**	**1.25**	**0.00**	**146.66**

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ–जारी

अनुलग्नक–छ
पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–2 (xiv) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	नामावली	वर्ष 2020–21 के दौरान किया गया व्यय	बजट प्रावधान	बजट प्रावधान के अनुसार व्यय का प्रतिशत्ता
1	2401	..	107	2680	पौधा संरक्षण योजना	0.40	0.66	60.61
2	2406	01	101	2536	पर्यावरण वानिकी	5.66	15.82	35.78
3	2406	02	110	3943	वनजीवो को संरक्षण एवं विकास	9.22	9.30	99.14
4	2406	02	110	7887	हाथी प्रभावित क्षेत्रों में चलित हाथी सुरक्षा दस्ता का गठन	0.60	2.70	22.22
5	2406	04	101	7857	पारिस्थितिकीय सेवा विकास परियोजना	6.05	8.64	70.02
					योग	**21.93**	**37.12**	

अनुलग्नक–ज
मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्ष का विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–4(iii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

लेखों का शीर्ष	2018–19		2019–20		2020–21	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658–101 वेतन एवं लेखा कार्यालय–उचंत	52.55	18.83	67.35	19.50	75.32	15.59
निवल	**नामे 33.72**		**नामे 47.85**		**नामे 59.73**	
8658–102–उचंत लेखा (सिविल)	32.44	0.17	30.81	0.17	29.62	0.17
निवल	**नामे 32.27**		**नामे 30.64**		**नामे 29.45**	
8658–109–रिजर्व बैंक उचन्त–मुख्यालय	2.61	3.02	0.03	0.68	1.61	0.04
निवल	**जमा 0.41**		**जमा 0.65**		**नामे 1.57**	
8658–110–रिजर्व बैंक उचन्त–केन्द्रीय लेखा कार्यालय	1.72	0.00	3.57	0.01	13.62	0.01
निवल	**नामे 1.72**		**नामे 3.56**		**नामे 13.61**	
8658–112–स्त्रोत पर कर कटौती उचंत	0.00	65.08	0.00	71.10	0.00	63.14
निवल	**जमा 65.08**		**जमा 71.10**		**नामे 63.14**	
8658–113–भविष्य निधि उचंत	46.08	0.00	44.35	0.00	20.62	0.00
निवल	**नामे 46.08**		**नामे 44.35**		**नामे 20.62**	
8658–123–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	0.00	0.16	0.00	0.19	0.00	0.27
निवल	**जमा 0.16**		**जमा 0.19**		**जमा 0.27**	
8658–129–सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा	0.00	84.11	0.00	84.11	0.00	81.67
निवल	**जमा 84.11**		**जमा 84.11**		**जमा 81.67**	
8782–102–लोक निर्माण प्रेषण	112.34	9.13	74.83	42.43	74.32	9.13
निवल	**नामे 103.21**		**नामे 32.40**		**नामे 65.19**	
8782–103–वन प्रेषण	37.83	5.22	36.20	5.44	50.44	5.56
निवल	**नामे 32.61**		**नामे 30.76**		**नामे 44.88**	

अनुलग्नक–झ
अधोसंरचना विकास उपकर का संग्रहण एवं अधोसंरचना विकास निधि में स्थानांतरण का विवरण

(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–4(vii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर संग्रहित	वर्ष 2020–21 के अंत तक निधि में उपकर का स्थानांतरण	निधि में अस्थानांतरित उपकर की राशि
2016–17	225.17	225.17	0.00
2017–18	165.84	अस्थानांतरित	165.84
2018–19	174.00	अस्थानांतरित	174.00
2019–20	219.90	अस्थानांतरित	219.90
कुल	**784.91**	**225.17**	**559.77**

पर्यावरण उपकर का संग्रहण एवं पर्यावरण निधि में स्थानांतरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर संग्रहित	वर्ष 2020–21 के अंत तक निधि में उपकार का स्थानांतरण	निधि में अस्थानांतरित उपकर की राशि
2016–17	61.44	61.44	0.00
2017–18	165.87	अस्थानांतरित	165.87
2018–19	174.00	अस्थानांतरित	174.00
2019–20	219.90	अस्थानांतरित	219.90
कुल	**621.21**	**61.44**	**559.77**

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ–जारी

अनुलग्नक–ञ
ऋण जिसका अपलेखन किया जाना है का विस्तृत विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–5(ग) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

मुख्यशीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	नामावली	राशि
6210	03	105	अन्य विविध कर्ज	0.03
6216	02	195	अन्य विविध कर्ज	0.02
6216	02	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	2.80
6216	02	800	अन्य कर्ज	0.25
6216	03	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	0.18
6216	80	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	1.33
6225	01	789	सफाई करने वालों के मुक्ति और पुनर्वास के लिए योजना	0.39
6225	01	800	अन्य विविध कर्जे	1.99
6225	02	794	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता	0.02
6225	02	796	आदिवासी किसान को कर्ज	0.05
6225	02	800	अन्य विविध कर्जे	0.01
6235	01	103	अन्य विविध कर्जे	0.04
6235	01	200	अन्य विविध कर्जे	0.01
6235	60	200	रोजगार उन्नयन कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को कर्ज	0.81
6235	60	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	0.09
6235	60	800	अन्य विविध कर्जे	0.06
6245	01	102	प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न जल अभाव के लिये कर्जे	0.21
6250	60	800	शिक्षित बेरोजगार, बेरोजगारों एवं अन्य विविध कर्जे के लिए कर्ज	0.91
6401	..	105	स्थानीय खाद संसाधन, मोटर सायकल क्रय हेतु नगर निगम को कर्ज तथा अन्य विविध कर्जे	0.17
6401	..	110	अन्य विविध कर्ज	0.02
6401	..	195	अन्य विविध कर्ज	0.04
6401	..	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	0.09
6401	..	800	भूमी सुधार ऋण अधिनियम, कृषि ऋण अधिनियम अन्तर्गत कर्ज इत्यादि	6.59
6402	..	102	भूमी सुधार ऋण अधिनियम	1.36

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ–जारी

अनुलग्नक–ञ
ऋण जिसका अपलेखन किया जाना है का विस्तृत विवरण–जारी
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–5(ग) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

मुख्यशीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	नामावली	राशि
6402	..	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	3.47
6402	..	800	अन्य विविध कर्ज	0.01
6403	..	102	अन्य विविध कर्ज	0.01
6403	..	103	अन्य विविध कर्ज	0.25
6408	01	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	0.59
6408	02	195	शीत भण्डार संयत्र की स्थापना के लिये सहकारी समितियों एवं गोदाम निर्माण के लिए विपणन समिति इत्यादि को कर्ज	0.42
6425	..	108	संसाधन इकाइयों की स्थापना, शीत भण्डारों की स्थापना, सोयाबीन काम्पलेक्स की स्थापना, साबुन कारखाना दुर्ग एवं चावल मिलों को सीमांत कर्ज	1.16
6425	..	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	8.26
6425	..	800	हरिजन कृषकों को उपभोक्ता कर्ज, अन्य विविध कर्ज (मछुआरा सहकारी समितियों को कर्ज)	0.01
6435	01	101	अन्य विविध कर्ज	0.02
6435	01	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	0.01
6515	..	102	सामुदायिक विकास परियोजनाओं तथा एप्लाईड पोषण अभियान को वित्त पोषण करने हेतु कर्ज	0.20
6515	..	103	लोकोपयोगी निर्माण कार्यो, कोन्टूर निर्माण के लिये पंचायतों आदि को कर्ज	0.38
6702	..	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	0.07
6702	..	800	अन्य विविध कर्ज	0.05
6705	..	800	अन्य विविध कर्ज	0.05
6851	..	109	संसाधन ईकाईयों की स्थापना, हथकरघे का बिजली करघे मे परिवर्तन, बिजली करघे समितियाँ आदि हेतु प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को कर्ज	0.38
6851	..	200	जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना के लिये कर्ज	0.21
6851	..	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	0.49
6853	01	190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	0.01
6860	01	190	परियोजना पैकेज, हथकरघा इकाई आदि की स्थापना के लिए कर्ज	0.06

लेखाओं के लिए टिप्पणियॉं–समाप्त

अनुलग्नक–ञ

ऋण जिसका अपलेखन किया जाना है का विस्तृत विवरण–समाप्त

(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–5(ग) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

मुख्यशीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	नामावली	राशि
6860	01	796	परियोजना पैकेज के लिए कर्ज	0.11
6860	03	800	अन्य विविध कर्ज	0.02
6860	04	190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	0.38
6885	01	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	1.64
6885	01	800	अन्य कर्ज	0.17
6885	60	190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	0.60
6885	60	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	0.54
6885	60	800	नये उद्योगों को विक्रय कर कर्ज एवं अन्य विविध कर्ज	3.48
			योग	**40.52**

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
2022
www.cag.gov.in

agaechhattisgarh@cag.gov.in